सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

स्वावलम्बन
Swavlamban

वार्षिक रिपोर्ट

2025-26

माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार

डा. वीरेन्द्र कुमार

केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

श्री रामदास अठावले

राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

श्री बी. एल. वर्मा

राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट 2025–26

I. विषय वस्तु

अध्याय सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1.	विभाग का परिचय और सिंहावलोकन	1-4
2.	सांविधिक संरचना	5-6
3.	राष्ट्रीय नीति और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	7
4.	विभाग के अधीन सांविधिक निकाय (i) भारतीय पुनर्वास परिषद् (आर.सी.आई) (ii) मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त (सी.सी.पी.डी.) (iii) राष्ट्रीय न्यास	8-10
5.	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम / उपक्रम (i) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को),कानपुर. (ii) नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनडीएफडीसी)	11-15
6.	स्वायत्त निकाय (i) राष्ट्रीय संस्थान (ii) अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र (एबीवी–टीसीडीएस), ग्वालियर	16-24
7.	विभाग की योजनाएं (i) दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डी.डी.आर.एस.) (ii) सहायक यंत्रों / उपकरणो की खरीद / फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना (एडिप योजना) (iii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजनाएं (सिपडा) (iv) दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना	25-36
8.	दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार– 2025	37-38

II. अनुबंधों की सूची

अनुबंध संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
I	क. जनगणना 2011 के अनुसार दिव्यांगजनों की राज्य–वार आबादी ख. श्रेणी–वार दिव्यांगजन ग. दिव्यांगजनों का शैक्षिक स्तर	39-40
II	विभाग का योजना–वार बजट और व्यय	41-42
III	राष्ट्रीय संस्थानों/समेकित क्षेत्रीय केन्द्रों में दीर्घ–कालिक पाठ्यक्रम	43-47
IV	डीडीआरएस और डीडीआरसी के तहत गैर–सरकारी संगठनों/डीडीआरसी को जारी किया गया सहायता–अनुदान	48-61
V	एडिप योजना के अंतर्गत राज्य–वार आयोजित शिविर, उपयोग की गई निधियां और लाभार्थी	62-63
VI	एडिप योजना के तहत सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए सहायता–अनुदान	64
VII	सिपडा योजना के अंतर्गत जारी सहायता–अनुदान	65-67
VIII	दिव्य कला मेला, दिव्य कला शक्ति और पर्पल फेयर की सूची	68-70
IX	राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए वर्ष 2025 के विजेताओं की सूची	71-72
X	(I) भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) की प्रमुख गतिविधियाँ, पहलें और उपलब्धियां (2025–26) (II) अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र (एबीवी–टीसीडीएस), ग्वालियर की प्रमुख गतिविधियाँ (जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक)	73-77
XI	सफलता की कहानियां	78-84

अध्याय 1

परिचय और सिंहावलोकन

1.1 दिव्यांगता क्षेत्र का सिंहावलोकन

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं जो कि कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है। इनमें दृष्टि, श्रवण, गतिविषयक, वाक्, मानसिक रूग्णता, बौद्धिक दिव्यांगता, बहु–दिव्यांगताओं तथा अन्य दिव्यांगताओं से ग्रस्त दिव्यांगजन शामिल हैं। कुल दिव्यांगजनों में से लगभग 1.50 करोड़ पुरुष हैं और 1.18 करोड़ महिलाएं हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, लगभग 36 प्रतिशत दिव्यांगजन (पुरूष–47 प्रतिशत और महिला–23 प्रतिशत) काम कर रहे हैं ।

1.2 पृष्ठभूमि

दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण पर लक्षित नीतिगत मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने और गतिविधियों पर सार्थक जोर देने के लिए 12 मई 2012 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग करके एक पृथक डिसैबिलिटी कार्य विभाग बनाया गया था। दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को इस विभाग का नाम बदलकर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया, और बाद में 2015 में इसका नाम बदलकर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन) कर दिया गया। यह विभाग दिव्यांगता से संबंधित मामलों में विभिन्न स्टेकहोल्डरों, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, गैर सरकारी संगठनों आदि के बीच और नजदीकी समन्वय स्थापित करने के साथ ही दिव्यांगता और दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

1.3 विभाग को आवंटित कार्य

विभाग को मुख्य रूप से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण से संबंधित कार्य सौंपा गया है। भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली के अनुसार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) को आवंटित कार्य इस प्रकार हैं :–

(i) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I–संघ सूची के तहत आने वाले निम्नलिखित विषय :

"दान की गई राहत सामग्री/आपूर्तियों के शुल्क मुक्त आयात और ऐसी आपूर्तियों के वितरण से संबंधित मामले हेतु भारत–अमेरिका, भारत–ब्रिटेन, भारत–जर्मन, भारत–स्विस और भारत–स्वीडिश समझौते ।"

(ii) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–III – समवर्ती सूची के तहत आने वाले निम्नलिखित विषय (कानून से संबंधित मामले):

"सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, उस सीमा तक जो किसी अन्य विभाग को आवंटित किए गए हैं।"

(iii) संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II – राज्य सूची या सूची III – समवर्ती सूची में आने वाले निम्नलिखित विषय, जब तक ये विषय ऐसे क्षेत्राधिकार में हैं :

"दिव्यांगजनों और जो रोजगार के लिए योग्य नहीं है; उनके लिए राहत; सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, उस सीमा तक जो किसी अन्य विभाग को आवंटित किए गए हैं।"

(iv) दिव्यांगता और दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करना।

नोट– दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों की समग्र नीति, योजना और कार्यक्रमों के समन्वय के लिए नोडल विभाग होगा। हालांकि, इस समूह के संबंध में, क्षेत्रीय कार्यक्रमों का समग्र प्रबंधन और निगरानी आदि संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी होगी। प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय या विभाग अपने क्षेत्र से संबंधित नोडल जिम्मेदारी का निष्पादन करेगा।

(v) दिव्यांगजनों के पुनर्वास और उनके सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लक्ष्य वाली विशेष योजनाएं, उदाहरण के लिए सहायक यंत्रों और उपकरणों की आपूर्ति, छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय, कौशल प्रशिक्षण, रियायती ऋण और स्वरोजगार के लिए सब्सिडी, आदि।

(vi) पुनर्वास पेशेवरों को शिक्षा और प्रशिक्षण देना ।

(vii) इस विभाग से संबंधित मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और समझौते, उदाहरण के लिए दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन।

(viii) विभाग को आबंटित कार्यों के संबंध में जागरूकता सृजन, अनुसंधान, मूल्यांकन और प्रशिक्षण।

(ix) विभाग को आबंटित कार्यों से संबंधित धर्मार्थ और धार्मिक वृत्ति तथा स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना और उनका विकास करना।

(x) अधिनियम/विधान/नीतियां

क) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49);

ख) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम,1992 (1992 का 34);

ग) ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44);

घ) दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006।

1.4 विजन

एक ऐसा समावेशी समाज बनाना जिसमें दिव्यांगजनों की उन्नति और विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वे उपयोगी, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।

1.5 मिशन

अपने विभिन्न अधिनियमों /संस्थाओं /संगठनों तथा पुनर्वास की योजनाओं के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त करना और एक ऐसा समर्थकारी वातावरण स्थापित करना जो ऐसे व्यक्तियों को समाज में समान अवसर और उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करे ताकि वे स्वतंत्र रूप से समाज में भाग ले सकें और उपयोगी सदस्य बन सकें।

1.6 विभाग के उद्देश्य:

अपने उद्देश्य (विजन) को पूरा करने एवं मिशन को हासिल करने के लिए, विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रयास करता है;

(i) शारीरिक पुनर्वास, जिसमें शीघ्र निदान तथा उपाय, परामर्श और चिकित्सा पुनर्वास तथा दिव्यांगताओं के प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद में सहायता शामिल है;

(ii) व्यावसायिक शिक्षा सहित शैक्षणिक पुनर्वास;

(iii) आर्थिक सशक्तिकरण;

(iv) पुनर्वास व्यावसायिकों/कर्मियों को तैयार करना।

(v) आंतरिक कार्य–दक्षता/संवेदनात्मकता/सेवा प्रदायगी में सुधार; और

(vi) समाज के विभिन्न वर्गों में सांस्कृतिक, मनोरंजनात्मक और खेल गतिविधियों आदि के माध्यम से जागरूकता पैदा कर

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का समर्थन करना।

1.7 संस्थागत ढांचाः यह विभाग माननीय केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा माननीय राज्य मंत्रियों सामाजिक न्याय और अधिकारिता के तहत काम कर रहा है। विभाग में प्रशासनिक प्रमुख सचिव हैं, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। यह विभाग देश भर में अपने विभिन्न संगठनों, संस्थानों, वैधानिक निकायों आदि के माध्यम से भी अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को कार्यान्वित करता है, जिनमें, अन्यों के साथ–साथ, मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैंः–

1.7.1 सांविधिक निकाय

(i) भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई)
(ii) मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन (सी.सी.पी.डी.)
(iii) ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास

1.7.2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम / उपक्रम (सीपीएसई/सीपीएसयू)

(i) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), कानपुर
(ii) नेशनल दिव्यांगजन फाईनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनडीएफडीसी)

1.7.3 स्वायत्त निकाय

क. राष्ट्रीय संस्थान

(i) पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), दिल्ली
(ii) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर) कटक
(iii) राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), कोलकाता
(iv) राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून
(v) अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान एवाईजेएनआईएसएच(डी), मुंबई
(vi) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद
(vii) राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई
(viii) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली
(ix) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर), सीहोर, मध्य प्रदेश

ख. अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र (एबीवी–टीसीडीएस), ग्वालियर

1.8 विभाग की प्रमुख प्रतिबद्धताएं:

(i) 'दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन' (यूएनसीआरपीडी) और 'सतत विकास लक्ष्यों' के अनुरूप, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग–दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 और विभिन्न अन्य कार्यक्रम और योजनाएं कार्यान्वित करके, दिव्यांगजनों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ii) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए, निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पारिस्थितिकी प्रणाली में, बाधा मुक्त वातावरण बनाने पर अधिक ध्यान दिया। इस दिशा में, विभाग ने एक ओर दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र और उपकरण देने और दूसरी ओर सार्वजनिक भवनों, परिवहनों और आईसीटी को सुगम्य बनाने के अपने प्रयास जारी रखे।

(iii) विभाग सभी 21 श्रेणियों के दिव्यांगजनों के पुनर्वास पर ध्यान देता है, जिसमें बौद्धिक, विकासात्मक और मानसिक दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(iv) विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत को समझा जिसमें वे जीवन के हर क्षेत्र में, जिसमें खेल भी शामिल हैं, बेहतर प्रदर्शन कर सकें तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल गतिविधियों में दिव्यांगजनों की भागीदारी को बढ़ाया जा सके। इसके लिए, सरकार ने ग्वालियर, मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र (एबीवी–टीसीडीएस) की स्थापना की है, जिसमें इनडोर और आउटडोर, दोनों प्रकार के, खेलों के लिए वैश्विक स्तर की सुविधाएं और दिव्यांगजनों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं हैं।

1.9 वर्ष 2025–26 के दौरान विभाग की प्रमुख उपलब्धियां

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 22.09.2025 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों को सहायक उपकरण देने के बारे में दिशा–निर्देश जारी किए हैं, जिसमें इस तरह की सहायता को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत 'उचित सुविधा के एक उपाय के रूप में माना गया है। ये दिशानिर्देश प्रत्यक्ष प्रावधान या प्रतिपूर्ति के माध्यम से उपयुक्त सहायक यंत्र और प्रौद्योगिकी प्रदान करने हेतु एक आवश्यकता–आधारित और व्यक्ति–केंद्रित रूपरेखा निर्धारित करते हैं, ताकि दिव्यांग कर्मचारी अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।

1.10 चुनौतियां :

दिव्यांगजनों के प्रति जनसामान्य की सोच में व्यवहारिक परिवर्तन लाना विभाग के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती रहा है। अतः जागरूकता पैदा करना, सामान्य जनता की सोच को बदलना, केवल मानसिकता को बदलने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि दिव्यांगजनों में उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण के निर्माण हेतु डिजाइनिंग, योजना और निष्पादन के स्तरों पर सुगम्यता मानकों के संवर्धन को आत्मसात करें। दिव्यांगजनों के लिए समर्थक वातावरण सृजन की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुकूल (मैचिंग) संसाधनों (वित्तीय के साथ–साथ मानवीय) को जुटाना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्थानीय निकायों के लिए हमेशा एक चुनौती रही है।

1.11 अभिकथन

विभाग की वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट में विधिक संरचना संस्थागत अवसंरचना को सशक्त बनाने और कार्यक्रम आधारित सहायता के माध्यम से दिव्यांगता क्षेत्र में की गई प्रगति शामिल है। राज्य सरकारें, सिविल सोसायटी संगठन, दिव्यांगजन और अन्य हितधारक (स्टेकहोल्डर) इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार रहे हैं।

1.12 बजट आवंटन और व्यय

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए विभाग के लिए बजट अनुमान 1225.27 करोड़ रुपये था। 2024–25 में वास्तविक व्यय 1112.61 करोड़ रुपये है। पिछले 5 वर्षों के दौरान बजटीय प्रावधान इस प्रकार हैं :–

(रू. करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2021-22	1171.77	1044.31	1009.45
2022-23	1212.42	1015.98	989.35
2023-24	1225.15	1225.01	1143.89
2024-25	1225.27	1167.27	1112.61
2025-26 (31.12.2025 की स्थिति के अनुसार)	1275.00	अभी अंतिम रूप दिया जाना है	881.89

बजट अनुमान और व्यय का योजनावार विवरण **अनुबंध–II** पर है।

*****

अध्याय 2

सांविधिक संरचना

2.1 प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान

भारत का संविधान अपनी प्रस्तावना के माध्यम से सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देता है। भाग III में छह मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जो दिव्यांग व्यक्तियों सहित सभी पर लागू होते हैं। भाग IV में राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं, जो शासन के लिए मार्गदर्शक होते हैं। अनुच्छेद 41 राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर, दिव्यांगता जैसी परिस्थितियों में सहायता प्रदान करने का दायित्व सौंपता है। अनुच्छेद 243–जी और 243–डब्ल्यू के अंतर्गत ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियाँ पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने तथा दिव्यांग व्यक्तियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपती हैं।

2.2 विभाग द्वारा अभिशासित विधायन

विभाग दिव्यांगजनों के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए दिव्यांगता के विभिन्न पहलुओं को शासित करने वाले निम्नलिखित विधानों से संबंधित कार्य करता है :–

(i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016,

(ii) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992, और

(iii) ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999.

2.2.1 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी, 2016)

सरकार ने संसद के माध्यम से दिसंबर, 2016 में यथा पारित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया, जो 19.04.2017 को प्रभावी हुआ। यह अधिनियम, इसमें संलग्न अनुसूची के अनुसार 21 प्रकार की निर्दिष्ट दिव्यांगताओं को मान्यता देता है (यह विभाग की वेबसाइट https://depwd.gov.in/en/acts/ पर उपलब्ध है)। यह अधिनियम समानता, शिक्षा, रोजगार और सुगम्यता जैसे अधिकारों को सुनिश्चित करता है। बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए, इस अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में कम से कम 4% आरक्षण तथा धारा 32 के अंतर्गत उच्च शिक्षा में 5% आरक्षण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, यह सभी प्रासंगिक योजनाओं और विकास कार्यक्रमों में, सभी गरीबी उन्मूलन तथा विभिन्न विकासात्मक योजनाओं में बेंचमार्क दिव्यांग महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए कृषि भूमि और आवास के आवंटन में 5% आरक्षण अनिवार्य करता है और साथ ही, जहाँ भूमि का उपयोग आवास, आश्रय, व्यवसाय, उद्यम, उपक्रम, मनोरंजन केंद्र तथा उत्पादन केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से किया जाना हो, वहां रियायती दर पर भूमि के आवंटन में भी 5% आरक्षण का प्रावधान करता है।

2.2.2 भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992

भारतीय पुनर्वास परिषद को भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित किया गया था। यह परिषद पुनर्वास व्यावसायिकों और कार्मिकों के प्रशिक्षण को विनियमित और मॉनीटर करती है और पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है। उक्त अधिनियम के अनुसार, इस परिषद को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :

(i) शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना।

(ii) भारत में पुनर्वास व्यावसायिकों/अन्य कार्मिकों हेतु विश्रविद्यालयों इत्यादि द्वारा प्रदत्त अर्हताओं की मान्यता के संबंध में विभाग को सिफारिशें करना।

(iii) भारत के बाहर के संस्थानों की अर्हताओं की मान्यता के संबंध में विभाग को सिफारिशें करना ।

(iv) परीक्षाओं में निरीक्षण करना।

(v) पुनर्वास व्यावसायिकों/अन्य कार्मिकों का पंजीकरण, और
(vi) पंजीकृत व्यक्तियों के विशेषाधिकारों और व्यावसायिक आचार संहिता को निर्धारित करना।

2.2.3 आटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999

राष्ट्रीय न्यास स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999, संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

(i) दिव्यांगजनों को स्वतंत्र रूप से और यथा संभव पूरी तरह से, अपने समुदाय के अंदर और समुदाय के यथा निकट जीवनयापन करने में समर्थ और सशक्त बनाना।
(ii) दिव्यांगजनों को अपने स्वयं के परिवारों में ही रहने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को सुदृढ़ करना।
(iii) दिव्यांगजनों के परिवार में संकटकाल के दौरान आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने में पंजीकृत संगठनों को सहायता देना।
(iv) ऐसे दिव्यांगजन, जिन्हें परिवार की सहायता प्राप्त नहीं है, उनकी समस्याओं का हल ढूंढना।
(v) दिव्यांगजनों के अभिभावकों अथवा संरक्षकों की मृत्यु होने पर उनकी देखभाल और संरक्षण के उपायों का संवर्द्धन करना।
(vi) जिन दिव्यांगजनों के संरक्षण की आवश्यकता है उनके लिए संरक्षकों और ट्रस्टी की नियुक्ति की प्रक्रियाएं विकसित करना।
(vii) दिव्यांगजनों के लिए समान अवसरों, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी की प्राप्ति को सुकर करना।
(viii) ऐसा कोई अन्य कार्य जो पूर्वोक्त उद्देश्यों के प्रासंगिक हो।

*****

अध्याय – 3

राष्ट्रीय नीति और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

3.1 दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति

दिव्यांगजन एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन हैं और समान अवसर तथा पुनर्वास की सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करके, समाज में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। समावेशन को बढ़ावा देने और अधिकारों की रक्षा के लिए, सरकार द्वारा वर्ष 2006 में दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति कार्यान्वित की गई। यह नीति रोकथाम, शीघ्र पहचान, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार, बाधामुक्त वातावरण तथा सामाजिक सुरक्षा पर केंद्रित है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग इस नीति के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों के समन्वय के लिए नोडल विभाग है। हितधारकों के प्रतिनिधित्व के साथ गठित केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन से जुड़े विषयों का समन्वय करता है तथा इसी प्रकार का एक बोर्ड राज्य स्तर पर भी कार्यरत है। इस नीति के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की पहचान की गई है।

3.2 दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी)

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 दिसम्बर, 2006 को दिव्यांगजनों के अधिकारों पर अपने कन्वेंशन (प्रतिबद्धताओं) को अपनाया था। भारत उन शुरुआती देशों में से एक है जिसने 30 मार्च 2007 को कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के पश्चात दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी) की अभिपुष्टि की थी। इस कन्वेंशन के प्रत्येक पक्षकार देश के निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण दायित्व हैं:

(i) कन्वेंशन के प्रावधानों का कार्यान्वयन,
(ii) कन्वेंशन के साथ देश के कानूनों का सामंजस्य, और
(iii) देश की रिपोर्ट (कंट्री रिपोर्ट) तैयार करना।

पहली देश रिपोर्ट (कंट्री रिपोर्ट) नवंबर 2015 में प्रस्तुत की गई थी जिसको यूएनएचआरसी मुख्यालय जिनेवा में आयोजित इसके 22 वें सत्र (सितंबर, 2019) के दौरान दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा अपनाया गया था। अब, विभाग दिव्यांगता पर देश की दूसरी से पांचवी समेकित रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में है, जिसे यथासमय प्रस्तुत किया जाना है।

*****

अध्याय 4

विभाग के अधीन सांविधिक संगठन

4.1 भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई)

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अधीन स्थापित भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई), पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिकों तथा कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विनियमन और मॉनिटरिंग करने में मुख्य भूमिका निभाती है। अपनी विस्तृत पहलों के माध्यम से, आरसीआई अनुसंधान विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाली मजबूत ढांचे को आकार देने में मददगार रही है, और साथ ही, उत्तरदायित्व और पेशेवराना अंदाज को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (सीआरआर) का रखरखाव भी करती है। इसकी व्यापकता और प्रभावशीलता को और विस्तारात्मक बनाने के लिए, इस अधिनियम को 2000 (2000 की संख्या 38) में और संशोधित किया गया था। भारतीय पुनर्वास परिषद (2025–26) की प्रमुख गतिविधियों, पहलों एवं उपलब्धियों का विवरण **अनुबंध–X(I)** में दिया गया है।

4.2 मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन

सीसीपीडी के कार्यालय को निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 57 (1) के तहत स्थापित किया गया था और वर्तमान संदर्भ में, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 74(1) के तहत इसका उद्देश्य इस अधिनियम या दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना है; उन कारकों की समीक्षा करना जो दिव्यांगजनों के अधिकारों के उपयोग को रोकते हैं और साथ ही, उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना है। मुख्य आयुक्त स्वयं या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर या अन्यथा दिव्यांगजनों के अधिकारों से वंचित होने या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के कल्याण और संरक्षण के लिए बनाए गए या जारी किए गए नियमों, उप–कानूनों, विनियमों के कार्यकारी आदेशों, दिशा–निर्देशों या निर्देशों आदि के कार्यान्वयन न करने से संबंधित शिकायतों पर विचार भी कर सकते हैं, और इस मामले को संबंधित प्राधिकारियों के पास ले जा सकते हैं। मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन को कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए सिविल न्यायालय की कुछ शक्तियां सौंपी गई हैं।

4.2.1 स्वतः संज्ञान लिए गए मामले: सीसीपीडी का कार्यालय इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, जैसे रोजगार, प्रवेश में आरक्षण, प्रेस, मीडिया में रिपोर्ट किए गए दिव्यांगों के खिलाफ भेदभाव के मामलों, को कार्यान्वित न किए जाने के बारे में स्वतः संज्ञान लेकर कार्य करता है और संबंधित प्राधिकारियों के साथ चर्चा करता है। इस तरह की सक्रिय पहलों ने न केवल दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा की है, बल्कि विभिन्न स्टेकहोल्डरों को भी संवेदनशील बनाया है और दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता सृजित की है।

4.2.2 राष्ट्रीय समीक्षा बैठक: आयुक्तों के कार्यों के समन्वय तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्यूडी अधिनियम, 2016) के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के उद्देश्य से, मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त (सीसीपीडी) का कार्यालय प्रतिवर्ष राज्य आयुक्तों की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन करता है। इस बैठक में राज्य आयुक्त अपने–अपने कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हैं तथा दिव्यांगता क्षेत्र में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा वर्ष के दौरान की गई पहलों एवं प्राप्त उपलब्धियों की जानकारी देते हैं। दिव्यांगजनों के लिए राज्य / संघ राज्य क्षेत्र आयुक्तों की 19वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक 23 मई, 2025 को आयोजित की गई थी।

4.2.3 मोबाइल न्यायालय : राज्य दिव्यांगजन आयुक्त के कार्यालय (एससीपीडी), बिहार के सहयोग से 31 अगस्त, 2025 को गांधी मैदान, पटना में आयोजित दिव्य कला मेले के दौरान संयुक्त मोबाइल न्यायालयों का आयोजन किया गया। इसके बाद, राज्य दिव्यांगजन आयुक्त के कार्यालय (एससीपीडी), उत्तर प्रदेश के सहयोग से 17 से 19 सितंबर, 2025 तक उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं अंबेडकर नगर जिलों में तथा 22 नवंबर, 2025 को लखनऊ में मोबाइल न्यायालयों का आयोजन किया गया। मोबाइल न्यायालयों में कुल 1018 मामले पंजीकृत किए गए एवं उनकी सुनवाई की गई।

4.2.4 सार्वजनिक भवनों/स्थानों का सुगम्यता ऑडिटः सीसीपीडी कार्यालय सार्वजनिक स्थानों जैसे सरकारी कार्यालय भवन, अस्पताल, स्टेडियम, बाजार स्थल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टॉप, धार्मिक स्थल आदि का सुगम्यता संबंधी ऑडिट करने की पहल करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आवश्यक संशोधन दिए गए समय सीमा के अंदर किए जाएं। जनवरी, 2025 से दिसंबर, 2025 की अवधि के दौरान 90 संस्थानों तथा 104 स्थानों (स्पॉट सर्वेक्षण) का सुगम्यता लेखा–परीक्षण (एक्सेस ऑडिट) किया गया।

4.2.5 दिनांक 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक, 341 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 226 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। उपर्युक्त मामलों में मुख्य आयुक्त/आयुक्त की संस्तुति, मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

4.2.6 ऑनलाइन मामला प्रबंधन पोर्टलः सीसीपीडी कार्यालय में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा के लिए तथा शिकायत की वास्तविक समय पर स्थिति का पता लगाने के लिए एक ऑनलाइन मामला प्रबंधन पोर्टल है। (www.ccpdcourt.gov.in).

4.2.7. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 21 के अंतर्गत समान अवसर नीति का निर्माणः
धारा 21(1) के अनुसार, प्रत्येक प्रतिष्ठान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा देते हुए "समान अवसर नीति" अधिसूचित करेगा। अब तक दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के नियम 8 के अनुसार इस कार्यालय में 50 समान अवसर नीतियां रजिस्टर की गई हैं।

4.3 ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता (बौद्धिक दिव्यांगता) और बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यासः

राष्ट्रीय न्यास एक स्वायत्त निकाय है जिसे संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित किया गया है, जो कि "ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता (बौद्धिक दिव्यांगता) और बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999" है। राष्ट्रीय न्यास की स्थापना दो बुनियादी कर्तव्यों–कानूनी और कल्याण के निर्वहन के लिए की गई है। स्थानीय स्तर की समितियों (एलएलसी) के माध्यम से कानूनी कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है और कानूनी संरक्षकता प्रदान की जाती है। इन योजनाओं के माध्यम से कल्याण कर्त्तव्य का निर्वहन किया जाता है।

4.3.1 राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों में, अन्य बातों के साथ–साथ, कानूनी संरक्षक की नियुक्ति, स्वास्थ्य बीमा कवर के माध्यम से इन दिव्यांगजनों को सुरक्षा प्रदान करना तथा इन दिव्यांगजनों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप, दिवस देखभाल, राहत और आवासीय देखभाल कार्यक्रमों का आयोजन करना शामिल है।

i. संगठनों का पंजीकरण (आरओ) – राष्ट्रीय न्यास ऐसे किसी भी स्वैच्छिक संगठन, दिव्यांगजनों के माता–पिता के संघ या दिव्यांगजनों के संघ को पंजीकृत करता है, जो ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करते हैं। देश में राष्ट्रीय न्यास (आरओ) के 606 पंजीकृत संगठन हैं।

ii. स्थानीय स्तर की समिति (एल.एल.सी.) – राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत, जिला मजिस्ट्रेट (डी.एम.)/जिला कलेक्टर (डी.सी.) की अध्यक्षता में जिला स्तर पर स्थानीय स्तर की समितियों का गठन किया गया है। एल.एल.सी. के अन्य दो सदस्य हैं राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठन का सदस्य और एक दिव्यांगजन। देश के 770 जिलों में एल.एल.सी. का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष डी.एम./डी.सी. हैं।

iii. कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति – राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत, कानूनी संरक्षण की जरूरत वाले दिव्यांगजनों के लिए कानूनी संरक्षक (एलजी) की नियुक्ति का प्रावधान है। देश में अब तक कुल 79423 कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है।

iv. राज्य नोडल एजेंसी केंद्र (एसएनएसी) – राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों को राज्य स्तर पर प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने तथा संबंधित राज्य सरकार के विभागों के साथ समन्वय/सम्पर्क स्थापित करने के लिए, राष्ट्रीय न्यास के एक प्रतिष्ठित पंजीकृत संगठन को राज्य नोडल एजेंसी केन्द्र (एसएनएसी) के रूप में नियुक्त किया जाता है। 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एसएनएसी नियुक्त किए गए हैं।

4.3.2 राष्ट्रीय न्यास की योजनाएँ

(i) **दिशा (प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल जाने की तैयारी योजना)–** यह योजना **0–10** वर्ष के दिव्यांग बच्चों को प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल जाने की तैयारी कार्यक्रम प्रदान करने के लिए है। देश में 21 दिशा केंद्र हैं।

(ii) **विकास (डे केयर योजना) –** यह **10+** वर्ष के दिव्यांगजनों के लिए एक डे केयर योजना है, जिसका उद्देश्य उनके पारस्परिक और व्यावसायिक कौशल को बढ़ाना है। देश में 31 विकास केंद्र हैं।

(iii) **दिशा–सह विकास (डेकेयर योजना) –** ऐसे पंजीकृत संगठनों के लिए, जो कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहे थे, उन्हें विलय की गई योजना को कार्यान्वित करने का विकल्प दिया गया था। दिशा–सह–विकास योजना (डे केयर) 01–04–2018 से कार्यान्वित की जा रही है। देश में 29 दिशा–सह–विकास केंद्र हैं।

(iv) **समर्थ (राहत देखभाल योजना) –** यह सभी आयु वर्ग के ऐसे दिव्यांगजनों के लिए एक राहत देखभाल आवासीय योजना है, जो अनाथ या परित्यक्त हैं या संकटग्रस्त परिवारों से हैं। देश में 09 समर्थ केन्द्र हैं।

(v) **घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह) –** यह एक समूह गृह आवासीय योजना है, जो एक कुछ विशिष्ट न्यूनतम गुणवत्ता वाली देखभाल के साथ आजीवन सेवाएं प्रदान करती है। देश में 18 घरौंदा केन्द्र हैं।

(vi) **समर्थ–सह–घरौंदा (आवासीय योजना) –** ऐसे पंजीकृत संगठनों को, जो कई योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं, उन्हें विलय की गई योजना को कार्यान्वित करने का विकल्प दिया गया था। समर्थ–सह–घरौंदा योजना (आवासीय) **01–04–2018** से कार्यान्वित की जा रही है। देश में 11 समर्थ–सह–घरौंदा केंद्र हैं।

(vii) **'निरामया' स्वास्थ्य बीमा योजना –** निरामया राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें प्रति वर्ष **1** लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर शामिल है। इसमें कोई आयु सीमा नहीं है और न ही चयन मानदंड है। सभी आयु वर्ग के दिव्यांगजन इस योजना के लिए पात्र हैं। इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ किसी भी अस्पताल/स्वास्थ्य सेवा केंद्र से उठाया जा सकता है।

*****

अध्याय 5

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/उपक्रम

5.1 भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को)

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), अनुसूची ''ग'' लघुरत्न श्रेणी–II वाली केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुरूप), के अन्तर्गत पंजीकृत है। यह दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य कर रहा है। यह भारत सरकार का 100 प्रतिशत स्वामित्व वाला केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पुनर्वास, सहायक यंत्रों का निर्माण करके और उनके लिए कृत्रिम अंगों और पुनर्वास सहायक यंत्रों की उपलब्धता, उपयोग, आपूर्ति और वितरण को बढ़ावा, प्रोत्साहन देने और विकसित करने के माध्यम से दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को यथासंभव लाभान्वित करना है। निगम का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि इसका मुख्य जोर उचित कीमत पर दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों की एक बड़ी संख्या को सहायक यंत्रों और उपकरणों को उपलब्ध कराने पर है। संस्थान ने 1976 में कृत्रिम अंग का निर्माण करना शुरू किया। वर्तमान में इसके छः सहायक उत्पादन केंद्र (एएपीसीएस) हैं जो भुवनेश्वर (उडीसा), जबलपुर (म.प्र.), बंगलुरू (कर्नाटक), मोहाली (पंजाब), उज्जैन (म.प्र.) और फरीदाबाद (हरियाणा) में हैं। निगम के 8 विपणन केंद्र हैं जो नई दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, हैदराबाद, गुवाहाटी, जयपुर, रांची और चेन्नई में हैं। इस कंपनी ने देश भर में 100 प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र(पीएमडीके) स्थापित किए हैं। इसमें 75 आसरा (एएसआरए) केंद्र भी हैं।

5.1.1 उद्देश्य: देश के दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और अन्य पुनर्वास उपकरणों के संवर्धन, प्रोत्साहन तथा उपलब्धता बढाने, प्रयोग, आपूर्ति तथा वितरण द्वारा दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास उपकरणों के निर्माण द्वारा उन्हें अधिकतम लाभान्वित करना है। निगम का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है और इसका मुख्य जोर उचित मूल्य पर बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों को बेहतर गुणवत्ता वाले सहायक यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध कराना है।

(डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, श्री बी. एल. वर्मा, राज्य मंत्री, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सुश्री मनमीत कौर नंदा, अपर सचिव, तथा श्री प्रवीन कुमार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एलिम्को, द्वारा नवीन लोगो का उद्घाटन)

(डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा मध्य प्रदेश के छतरपुर में सहायक यंत्रों और उपकरणों का संवितरण)

(डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा मध्य प्रदेश के छतरपुर में सहायक यंत्रों और उपकरणों का संवितरण)

(श्री रामदास अठावले माननीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा रायगढ़,महाराष्ट्र में सहायक यंत्रों और उपकरणों का संवितरण)

(श्री बी.एल. वर्मा, माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा बदायूं में सहायक यंत्रों और उपकरणों का संवितरण)

5.2 नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनडीएफडीसी)

5.2.1 निगम के बारे में

1. नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनडीएफडीसी) एक पूंजीगत कंपनी (गैर–लाभकारी) है, जिसकी सीापना 24 जनवरी, 1997 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (पूंजीगत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के अंतर्गत की गई थी। यह भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीन, देश में दिव्यांग व्यक्तियों/दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु एक शीर्ष (एपेक्स) निगम है।
2. कंपनी के मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों के लाभ हेतु आर्थिक विकासात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना तथा स्व–रोजगार और उच्च शिक्षा आदि के लिए दिव्यांगजनों को ऋण प्रदान करना है।

5.2.2 निगम की योजनाएँ एवं कार्यक्रम

5.2.2.1 दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना (डीएसवाई): दिव्यांगजनों को, स्वरोजगार उद्यम शुरू करने/विस्तार करने या किसी भी ऐसी गतिविधि में सहयोग करने के लिए, जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से आय सृजन में योगदान देती हो या जो दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की समग्र प्रक्रिया में सहायता करती हो (जिसमें शिक्षा ऋण, व्यावसायिक अध्ययन, सहायक उपकरणों की खरीद शामिल हैं), 50 लाख रुपये तक का रियायती ऋण प्रदान किया जाता है और ऋण राशि के आधार पर ब्याज दर 4% से 9% निर्धारित की जाती है।

एनडीएफडीसी के वित्तपोषण के मानदंडों एवं प्रक्रिया के अनुसार, ऋण आवेदन तथा आवश्यक दस्तावेज कार्यान्वयन एजेंसी को प्रस्तुत किए जाते हैं तथा ऋण राशि एनडीएफडीसी द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी को जारी की जाती है, ताकि उसे आगे लाभार्थियों को संवितरित किया जा सके।

एनडीएफडीसी दिव्यांगजनों के लाभार्थ दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना (डीएसवाई) को राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से कार्यान्वित करता है। इसके अलावा, एनडीएफडीसी ने दिव्यांगजनों को रियायती ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के 6 बैंकों (पीएसबी) नामतः पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा जम्मू एवं कश्मीर बैंक और 17 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के साथ समझौता किया है।

- **ऋण के लिए ब्याज दर:**

क्रम. सं.	ऋण की राशि (रुपये लाख में)	दिव्यांगजनों के लिए ब्याज दर (%)
i)	0.50 से कम	5
ii)	0.50 से अधिक – 5.0 तक	6
iii)	5.0 से अधिक - 15.0 तक	7
iv)	15.0 से अधिक – 30.0 तक	8
v)	30.0 से अधिक - 50.0 तक	9

- **छूट:** दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना 50,000/–रू. तक के स्वरोजगार ऋण में दिव्यांग महिलाओं/ओएच के अतिरिक्त अन्य दिव्यांगजनों को 1 प्रतिशत ब्याज दर की छूट दी गई है। यह छूट एनडीएफडीसी द्वारा वहन की जाती है। शिक्षा ऋण (50.0 लाख रुपये तक) के लिए ब्याज दर 4 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। गृह ऋण (50.0 लाख रुपये तक) के लिए ब्याज दर 5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी।

- **ऋण की पुनर्भुगतान व्यवस्था :**

i) कार्यान्वयन एजेंसी को ऋण वितरण की तिथि से अधिकतम 10 वर्षों की समग्र सीमा के भीतर गतिविधि–वार/केस–वार पुनर्भुगतान अनुसूची निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी।

ii) एनडीएफडीसी योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण एवं आवास ऋण के लिए पुनर्भुगतान अवधि वही होगी, जो कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा स्वीकृत की गई होगी।

5.2.2.2 विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना (वीएमवाई) :– विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना (वीएमवाई) के तहत, लक्षित समूह और गतिविधियों को आवश्यकतानुसार और त्वरित वित्तीय सहायता–एनबीएफसी–एमएफआई, धारा–8–एमएफआई तथा एनजीओ–एमएफआई, स्वयं सहायता समूह के संघों, राज्य सरकार के मिशनों और राज्य स्तर की अन्य संस्थाओं के माध्यम से उचित ब्याज दर पर प्रदान की जाती है, ताकि वे लघु/सूक्ष्म व्यवसाय और विकास गतिविधियों को आगे बढ़ा सकें। परियोजना की यूनिट लागत 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऋण की अदायगी की अवधि ऋण वितरण की तिथि से अधिकतम 3 वर्ष तक होती है। वर्तमान में, इस योजना के अंतर्गत ब्याज वसूली का पैटर्न निम्नानुसार है:

एनडीएफडीसी से कार्यान्वयन एजेंसी को	**कार्यान्वयन एजेंसियों के लि इंटरेस्ट स्प्रेड**	**कर्यान्वयन एजेंसियों से लाभार्थी को**
4.5 % प्रति वर्ष	8% तक	12.5 % तक प्रति वर्ष

विशेष माइक्रो फाइनेंस योजना के अंतर्गत ऋण एनबीएफसी–एमएफआई, धारा–8–एमएफआई, एनजीओ–एमएफआई, स्वयं सहायता समूह के संघों, राज्य चैलाइजिंग एजेंसियों, क्लस्टर–स्तरीय संघों, राज्य सरकार के मिशनों तथा राज्य–स्तरीय अन्य संगठनों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।

5.2.3 पात्रता मानदंड: एनडीएफडीसी योजना के अंतर्गत ऋण हेतु पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

i) कोई भी भारतीय नागरिक, जिसे 40% या उससे अधिक दिव्यांगता हो (दिव्यांगता की परिभाषा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 या उसके संशोधनों के अनुसार होगी)।

ii) आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तथापि, मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के मामले में, पात्र आयु 14 वर्ष से अधिक होगी। शिक्षा ऋण के लिए आयु संबंधी मानदंड लागू नहीं होगा।

iii) विशिष्ट दिव्यांगता पहचान संख्या (यूडीआईडी) का होना अनिवार्य है।

*****

अध्याय – 6

स्वायत्त निकाय

6.1 राष्ट्रीय संस्थान : राष्ट्रीय संस्थान स्वायत्त निकाय हैं और विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए स्थापित किए गए हैं। दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास में संलग्न ये संस्थान दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवा प्रदान कर रहे हैं और अनुसंधान एवं विकास कार्य कर रहे हैं। ये नौ राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित हैं:–

1. पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली
2. स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक
3. राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), कोलकाता
4. राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून
5. अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण बाधित दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई
6. राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद
7. राष्ट्रीय बहु–दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई
8. भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली
9. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर), सिहोर

6.1.1 पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली

पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान–दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासकीय एवं वित्तीय नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1960 में सोसायटी फॉर क्रिपलड़ एवं हैंडीकैप्ड द्वारा एक गैर–सरकारी संगठन के रूप में की गई थी, जिसे पहले शारीरिक रूप से निःशक्तजन संस्थान *(IPH)* के नाम से जाना जाता था। यह 22 मई 1975 को भारत सरकार के नियंत्रण में आ गया और वर्ष 1976 में यह एक स्वायत्त संगठन बन गया। वर्ष 2016 में इस संस्थान का नाम बदल कर **पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान** कर दिया गया।

इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य सभी आयु वर्ग के शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों की सेवा करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पहलें आयोजित की जा रही हैं:

(क) दिव्यांगजनों को बाह्य रोगी (आऊट–पेशैंट) नैदानिक सेवाएं प्रदान करना तथा ऑर्थोटिक एवं प्रोस्थेटिक उपकरणों के निर्माण हेतु कार्यशाला का प्रावधान।
(ख) समर्पित औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से मानव संसाधन का सृजन।
(ग) लखनऊ, श्रीनगर, जम्मू, जयपुर एवं वाराणसी में समेकित क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए संस्थागत व्यापक पुनर्वास सेवाओं का विस्तार।

(15 अगस्त, 2025 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित "Home At Reception" समारोह के दौरान उपलब्धि प्राप्तकर्ता दिव्यांगजनों को सम्मानित किया गया।)

(21 जून, 2025 को मॉडर्न स्कूल, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें 500 दिव्यांगजनों एवं उनके सहायकों ने भाग लिया।)

अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें: https://pdunippd.nic.in/

6.1.2 स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक:

स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर) दिव्यांगजनों की सेवा करता रहा है। यह ओडिशा के कटक जिले के ओलाटपुर (भुवनेश्वर और कटक से 29 किलोमीटर दूर) में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में राष्ट्रीय कृत्रिम एवं ऑर्थोटिक प्रशिक्षण संस्थान (एनआईपीओटी) के रूप में की गई थी, जो भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को), कानपुर की एक सहायक इकाई है। समुदाय आधारित पुनर्वास और मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देने के लिए 22 फरवरी 1984 को एनआईपीओटी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (पूर्ववर्ती कल्याण मंत्रालय), भारत सरकार के नियंत्रण में ले लिया। तब से यह इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त निकाय है। वर्ष 1984 में इसका नाम एनआईपीओटी से बदलकर एनआईआरटीएआर कर दिया गया तथा तत्पश्चात वर्ष 2004 में इसका नाम एसवीएनआईआरटीएआर कर दिया गया। यह देश के प्रमुख संस्थानों में से एक है जो दिव्यांगजनों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करता है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें : https://www.svnirtar.nic.in/

6.1.3 राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), कोलकाता

तत्कालीन समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में वर्ष 1978 में राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), पूर्व में राष्ट्रीय अस्थिरोग ग्रस्त संस्थान (एनआईओएच), की कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में स्थापना की गई थी। एनआईएलडी दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करता है और उन्हें अपने गैर–दिव्यांग मित्र समूह के साथ एक समान आधार पर पुनर्वास प्रबंधन, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और मानव संसाधन विकास के माध्यम से जीवन जीने के लिए अपने अधिकारों को अनुभव करने में सक्षम बनाता है। इस संस्थान के त्रिपुरा, पटना और सिक्किम में तीन सीआरसी तथा आईजॉल एवं नाहरलागुन, अरूणाचल प्रदेश में आरसी कार्यात्मक हैं।

संस्थान की प्रमुख गतिविधियां

मानव संसाधन विकास अनुसंधान और विकास, फिजिकल चिकित्सा और पुनर्वास, ओपीडी सेवाएं और सुधारात्मक सर्जरी, नैदानिक सेवाएं– पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी (एक्स–रे), ईएमजी और एनसीवी, दिव्यांगजनों को यंत्रों और उपकरणों का वितरण, फिजियोथेरेपी, ओक्यूपेशनल थेरेपी, कृत्रिम अंगों और ऑर्थोसिस का निर्माण और फिटमेंट, संस्थान और शिविरों के माध्यम से एडिप योजना को लागू करना, सामाजिक आर्थिक पुनर्वास, व्यावसायिक परामर्श और मार्गदर्शन आदि।

अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें : https://nild.nic.in/

6.1.4 राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून

एनआईईपीवीडी, देहरादून की स्थापना 1943 में सेंट डन्स्टन होस्टल के रूप में की गई थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध में दृष्टिहीन हुए नाविकों को पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने के लिए बनाया गया था 1982 से, एनआईईपीवीडी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहा है, जिसका उद्देश्य दृष्टिहीन व्यक्तियों को शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास और सशक्तिकरण प्रदान करना है।

लक्ष्य और उद्देश्य

- मानव संसाधन विकास गतिविधियों को संचालित करना।
- दृष्टिहीनता के क्षेत्र में शोध करना, उसका प्रचार करना और उसे प्रायोजित करना।
- सभी आयु वर्ग के दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए इन सामग्रियों को डिजाइन करना, निर्माण करना, वितरित करना, आपूर्ति करना और उनके उपयोग को बढ़ावा देना।
- दिव्यांगता से संबंधित सेवाओं का विकास करना और इन सेवाओं के वितरण के लिए तंत्र स्थापित करना।

दी जाने वाली सेवाएँ

- विशेष शिक्षा और नैदानिक एवं पुनर्वास मनोविज्ञान में दीर्घकालिक मानव संसाधन विकास पाठ्यक्रम
- अल्पकालिक, CRE और क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास पाठ्यक्रम (NCVT और SCPwD से संबंधित पाठ्यक्रम)
- स्कूली शिक्षा (बालवाटिका से कक्षा XII तक)
- जागरूकता, आउटरीच और सामुदायिक कार्यक्रम
- प्लेसमेंट सेवाएँ और 'जॉब फेयर' का आयोजन
- ब्रेल सहायक उपकरण और यंत्रों का उत्पादन
- नैदानिक (आउट–पेशेंट), रेफरल, मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएँ
- कम दृष्टि वालों के लिए केंद्र के माध्यम से नैदानिक एवं कार्यात्मक दृष्टि मूल्यांकन
- सुगम्य शिक्षण सामग्री का उत्पादन, वितरण और आपूर्ति (जैसे ब्रेल, बड़ा प्रिंट, ऑडियो बुक और ई–पब)
- टॉकिंग बुक स्टूडियो और सामुदायिक FM रेडियो (Hello Doon)
- डीईपीडब्ल्यूडी की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन, जैसे DALM, CDEIC, फ्री कोचिंग आदि
- क्रॉस–डिसेबिलिटी प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (CDEIC)
- अनुसंधान और विकास

(भारत की माननीया राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, माननीय केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल के साथ NIEPVD का दौरा करते हुए, छात्रों के साथ संवाद किया और 20.06.2025 को उत्तराखंड के दौरे के दौरान कौशल और सहायक प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का अवलोकन किया)

(प्रतिभा और आत्मविश्वास का प्रदर्शनः मॉडल स्कूल के छात्रों ने देहरादून, उत्तराखंड में आयोजित चिंतन शिविर में शानदार प्रदर्शन किया) (7–8 अप्रैल, 2025)

अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें: https://niepvd.nic.in/

6.1.5 अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई

अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुंबई (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई की स्थापना 9 अगस्त, 1983 को मुख्य रूप से देश में वाक् एवं श्रवण दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए की गई थी। संस्थान के चार क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता, सिकंदराबाद, जानला और नोएडा में स्थित हैं और अहमदाबाद, नागपुर, छतरपुर और गोवा में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) भी हैं।

दी जाने वाली सेवाएँ

i. श्रवण, वाक् और भाषा विकार का मूल्यांकन और निदान
ii. श्रवण यंत्र और ईयर मोल्ड का चयन और फिटिंग
iii. वाक् और भाषा चिकित्सा
iv. शैक्षणिक मूल्यांकन सेवाएँ
v. मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन
vi. मनोचिकित्सा और व्यवहार चिकित्सा
vii. अभिभावकों को मार्गदर्शन और परामर्श
viii. पूर्व–विद्यालय और प्रारंभिक हस्तक्षेप
ix. NIOS के माध्यम से सतत शिक्षा
x. आउटरीच और विस्तार सेवाएँ
xi. अभिभावक सशक्तिकरण कार्यक्रम
xii. व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्लेसमेंट
xiii. कॉक्लियर इम्प्लांट सहायता
xiv. टोल–फ्री दिव्यांगता सूचना हैल्पलाइन
xv. क्रॉस–डिसएबिलिटी प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप सेवाएँ
xvi. वेस्टिबुलर मूल्यांकन और पुनर्वास

(पालघर, महाराष्ट्र में दिनांक 27 जून, 2025 को 'पर्पल फेयर)

*(श्रवण और वाक् भाषा चिकित्सकों के लिए श्रवण मूल्यांकन प्रोटोकॉल के क्षेत्र में हाल ही में हुई प्रगति पर 2 और 3 अगस्त 2025 को, **TISS**, मुंबई के सहयोग से **TISS** परिसर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन)*

अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें: https://ayjnishd.nic.in/

6.1.6 राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी) वर्ष 1984 में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित एक शीर्ष निकाय है। यह संस्थान बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, अनुसंधान, देखभाल और पुनर्वास के मॉडल का विकास, परामर्श सेवाएं, दस्तावेजीकरण और प्रसार, सीबीआर और आउटरीच कार्यक्रमों के उद्देश्य से देश में बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान और सेवाओं के त्रिपक्षीय कार्य करता है।

NIEPID मुख्यालय, इसके क्षेत्रीय केंद्रों और CRCs में दी जाने वाली सेवाएँ:

पुनर्वास सेवाएँ: चिकित्सा, बायोकेमिस्ट्री, ईईजी, पोषण, फार्मेसी, न्यूरोलॉजिस्ट, होम्योपैथी, डेंटल, ऑर्थोपेडिक्स, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जेनेटिक काउंसलिंग, नेत्र विशेषज्ञ, वाक् चिकित्सा, फिजियोथैरेपी, ऑक्यूपेशनल थैरेपी, फैमिली कॉटेज, विशेष शिक्षा, एसईसी, पीएमआर, ऑटिज्म और आईडी, संवेदी (Sensory), सीएआई, सामूहिक गतिविधियाँ, मोबाइल/गृह आधारित प्रशिक्षण, योग, संगीत, रेस्पाइट केयर, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, व्यवहार सुधार, अभिभावक परामर्श, व्यवसायिक मूल्यांकन (VT), मार्गदर्शन और परामर्श (VT), व्यवसायिक मार्गदर्शन और सूचना सेवाएँ (VGIS), कार्य स्थल (VT), और कौशल प्रशिक्षण।

प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएँ: विकासात्मक बाल रोग विशेषज्ञ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट / रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट और वाक् भाषा चिकित्सक (ASLP) / स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, विशेष शिक्षक, नर्स, प्रशिक्षित केयरगिवर, आया / क्लीनर, गतिविधि शिक्षक, अन्य आगंतुक विशेषज्ञ (न्यूरोलॉजिस्ट, डेंटल डॉक्टर, होम्योपैथी) और जेनेटिक काउंसलर।

(11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस – 'स्वयं और समाज के लिए योग' 21 जून, 2025 को कान्हा वेलनेस सेंटर, कान्हा विलेज, चेगुर, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में मनाया गया)

अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें: https://niepid.nic.in/

6.1.7 राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई

राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी) की स्थापना वर्ष 2005 में तमिलनाडु के चेन्नई के मुत्तुकुडु में बहु–दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से की गई थी। एनआईईपीएमडी के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत चार समेकित क्षेत्रीय केंद्र कोझीकोड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मदुरै और कराईकल में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं।

दी जाने वाली सेवाएं

चिकित्सा	शिक्षात्मक	पुनर्वास
• चिकित्सा हस्तक्षेप और रेफरल • सुपर स्पेशियलिटी क्लिनिकल (नैदानिक) सेवाएं जैसे 1. न्यूरोलॉजी, 2. न्यूरोसर्जरी 3. मनोचिकित्सा 4. नेत्र विज्ञान 5. दंत चिकित्सा 6. ईएनटी 7. होम्योपैथी • भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास • बाह्य रोगी होम्योपैथी क्लिनिक	• विशेष स्कूल (बहु–दिव्यांगताओं के लिए मॉडल स्कूल) में शामिल हैं 1. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसआर्डर यूनिट 2. सेरेब्रल पाल्सी की यूनिट 3. बधिर–दृष्टिहीन की यूनिट 4. प्रारंभिक बचपन की यूनिट 5. गंभीर बहु दिव्यांगता यूनिट 6. ट्रांज़िशन सेल की यूनिट और 7. प्ले स्कूल • दिव्यांग बच्चों के माता–पिता जो मॉडल स्कूल में नहीं जा सकते, को परामर्श प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षा सेवाएं, • एनआईओएस अध्ययन केंद्र • अभिभावक सशक्तिकरण कार्यक्रम	• प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएँ • भौतिक चिकित्सा • आक्यूपेशनल चिकित्सा • संवेदी एकीकरण थेरेपी • हाइड्रोथेरेपी • प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स • 3डी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लेब • ऑडियोलॉजिकल मूल्यांकन • वाक् और भाषा हस्तक्षेप • मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप • मार्गदर्शन और परामर्श • वयस्क आत्मनिर्भर जीवन • मोबाइल सेवाएँ • डे केयर सेंटर • सामुदायिक / आउटरीच कार्यक्रम • सहायक यंत्रों और उपकरणों का वितरण • फैमिली कॉटेज सेवाएँ • दस्तावेज़ीकरण और प्रसार सेवाएँ • रेस्पाइट केयर सेवाएँ • टोल–फ्री हेल्पलाइन

(CRC मदुरै की सेवाओं का उद्घाटन और CRC मदुरै के नए भवन का शिलान्यास समारोह 4 जनवरी, 2025 को माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री, डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा किया गया)

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसदीय स्थायी समिति (2024–25) ने 21 जनवरी, 2025 को NIEPMD का अध्ययन दौरा किया)

अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें: https://niepmd.nic.in/

6.1.8 भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली

भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी), एक स्वायत्त संस्थान है जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत कार्य करता है, इसकी स्थापना 28 सितंबर 2015 को नई दिल्ली में की गई थी। संस्थान के मुख्य उद्देश्य, संस्था के अन्तर्नियम के अनुसार, निम्नलिखित हैं:

(i) द्विभाषिकता (अर्थात् सांकेतिक भाषा + लेखन) सहित भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) के प्रयोग, शिक्षण और अनुसंधान के लिए जनशक्ति विकसित करना।

(ii) प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर श्रवण बाधित छात्रों के लिए शिक्षा के एक माध्यम के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य शिक्षा विभागों के साथ मिलकर रूपरेखा तैयार करेगा।

(iii) भारत और विदेश में विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थानों के साथ सहयोग के माध्यम से अनुसंधान करना और भारतीय सांकेतिक भाषा कोष (शब्दावली) के निर्माण सहित आईएसएल के भाषाई रिकॉर्ड/विश्लेषण तैयार करना।

(iv) विभिन्न समूहों, अर्थात् सरकारी अधिकारियों, शिक्षकों, पेशेवरों, सामुदायिक नेताओं और आम जनता को भारतीय सांकेतिक भाषा को समझने और प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना।

(v) भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने और प्रसारित करने के लिए बधिर संगठनों और दिव्यांगता के क्षेत्र में अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग करना।

(आईएसएलआरटीसी ने 23 सितंबर, 2025 को "सांकेतिक भाषा दिवस" मनाया।)

अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें: https://islrtc.nic.in/

6.1.9 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर), सीहोर, मध्य प्रदेश

भारत में विशेष मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाओं की बढ़ती ज़रूरत को देखते हुए मध्य प्रदेश के सीहोर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर) की स्थापना की गई। न्यूरोसाइकियाट्रिक विकारों के बढ़ते बोझ को चिन्हित करते हुए, भारत सरकार ने 2025 के राष्ट्रीय मैक्रोइकॉनोमिक और स्वास्थ्य आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप, उपचार से परे मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया। हालाँकि कई संस्थान विभिन्न दिव्यांगताओं को पूरा करते हैं, लेकिन केवल मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए समर्पण में स्पष्ट कमी थी।

संस्थान की प्रमुख गतिविधियां:

- एकीकृत बहु विषयक दृष्टिकोण का उपयोग करके मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास को बढ़ावा देना।
- मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना और प्रशिक्षित पेशेवरों को विकसित करने में शामिल करना।
- मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं विकास तथा नीति निर्माण में संलग्न होना।

अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें : https://nimhr.nic.in/

6.2 अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र, ग्वालियर

यह दिव्यांग खेल केंद्र ग्वालियर (म.प्र.), सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है, जिसके शासी निकाय और कार्यकारी समितियाँ केंद्र की गतिविधियों की निगरानी करती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र (एबीवी–टीसीडीएस), ग्वालियर का उद्घाटन निम्न लक्ष्य एवं उद्देश्यों के साथ 2 अक्टूबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली किया गया है।

- दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए मानदंडों के अनुसार पूर्ण पहुंच के साथ अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करना।
- विशेष खेल अवसंरचना का निर्माण करना ताकि पैरा–खिलाड़ी केंद्र में कठोर एवं विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।
- खेल गतिविधियों में दिव्यांगजनों की अधिक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करना तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रभावी रूप से भाग लेने में सक्षम बनाना।
- दिव्यांगजनों में आत्मविश्वास पैदा करने और उनमें अपनेपन की भावना विकसित करने में सहायता करना, ताकि समाज में उनका एकीकरण सुगम हो सके।

संस्थान दिव्यांगजनों को विश्व स्तर पर नवीनतम सुविधाओं के साथ खेल प्रशिक्षण प्रदान करता है, ताकि वे पैरालिंपिक, डेफलिंपिक, विशेष ओलंपिक और दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकें और पदक जीत सकें। खेल सुविधाएँ उपलब्ध हैं जिनमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल और टेनिस जैसी आउटडोर गतिविधियाँ और बैडमिंटन, व्हीलचेयर बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, सिटिंग वॉलीबॉल, जूडो, ताइक्वांडो, व्हीलचेयर फेंसिंग, व्हीलचेयर रग्बी, बोशिया, गोलबॉल, फुटबॉल 5–ए–साइड, पैरा डांस स्पोर्ट और पैरा पावरलिफ्टिंग जैसी इनडोर गतिविधियाँ शामिल हैं, साथ ही एक छात्रावास भी है।

अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र (ABV-TCDS), ग्वालियर की प्रमुख गतिविधियों का विवरण (जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक) ***अनुबंध–X(II)*** *में दिया गया है।*

*****

अध्याय 7

विभाग की योजनाएँ

विभाग दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाएं चला रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य दिव्यांगजनों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पुनर्वास और विकास को बढ़ावा देना है, ताकि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और वे सम्मान के साथ जीवन जीने में सक्षम बन सकें।

7.1 दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)

उद्देश्यः डीडीआरएस विभाग की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो (i) मॉडल परियोजनाओं, और (ii) जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (DDRC) की स्थापना को अनुदान प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य हैः क) दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए, उनके इष्टतम शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मानसिक या सामाजिक–कार्यात्मक स्तर तक पहुँचने और उसे बनाए रखने में उन्हें सक्षम बनाना। ख) जो दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। ग) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। योजनाओं के दो उप–घटकों का विवरण निम्नलिखित है–

7.1.1 दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) घटकः–

इस योजना के अंतर्गत संगठनों को अनुदान के लिए स्वीकार्य गतिविधियों/घटकों में कर्मचारियों को मानदेय, लाभार्थियों का परिवहन, लाभार्थियों के लिए स्पाइपेंड/छात्रावास रखरखाव, कच्चे माल की लागत और कार्यालय व्यय, बिजली, पानी के शुल्क और किराए को पूरा करने के लिए आकस्मिक व्यय शामिल हैं।

इस योजना को लागू करने के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या सार्वजनिक न्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत संगठन या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत गैर–लाभकारी कंपनी पात्र हैं।

सरकारी संस्थाओं/स्वायत्त निकायों या सशस्त्र बलों द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव को संबंधित संस्था के प्रमुख द्वारा सीधे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को प्रस्तुत किया जा सकता है।

डीडीआरएस के अंतर्गत मॉडल परियोजनाएं निम्नानुसार हैंः

I. क्रॉस डिसेबिलिटी प्री–स्कूल और प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए परियोजना जिसमें गृह–आधारित पुनर्वास और समुदाय–आधारित पुनर्वास का प्रावधान है
II. श्रवण दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए विशेष विद्यालय, जिसमें गृह–आधारित पुनर्वास/समुदाय–आधारित पुनर्वास का विकल्प भी शामिल है
III. दृष्टि दिव्यांगता वाले बच्चों (बधिर–दृष्टिहीन सहित) के लिए विशेष स्कूल, जिसमें गृह–आधारित पुनर्वास/समुदाय–आधारित पुनर्वास और निम्न दृष्टि केंद्र का विकल्प शामिल है
IV. बहु दिव्यांगताओं (बौद्धिक दिव्यांगता, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, बहु दिव्यांगता, मांसपेशीय दुर्विकार, बधिर–दृष्टिहीन, आदि) वाले बच्चों के लिए विशेष विद्यालय, जिसमें गृह–आधारित पुनर्वास/समुदाय–आधारित पुनर्वास का विकल्प शामिल है।
V. कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्तियों (एलसीपीएस) का पुनर्वास, जिसमें गृह–आधारित पुनर्वास और समुदाय–आधारित पुनर्वास परियोजना का विकल्प शामिल है।
VI. मानसिक बीमारी से ग्रस्त उपचारित एवं नियंत्रित व्यक्तियों के मनो–सामाजिक पुनर्वास के लिए हाफ वे–होम, जिसमें गृह–आधारित पुनर्वास और समुदाय–आधारित पुनर्वास परियोजना का विकल्प भी शामिल है।
VII. विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक/उपचार केंद्र समावेशी शिक्षा परियोजना जारी रखेगा।
VIII. क्रॉस–डिसेबिलिटी थेरेपी और परामर्श केंद्र

01.01.2025 से 31.12.2025 तक के डीडीआरएस के तहत गैर–सरकारी संगठनों को जारी सहायता अनुदान ***अनुबंध–IV*** *में दिया गया है।*

डीडीआरएस के तहत वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियों का विवरणः–

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या
2024-25	139.86	34898
2025–26 (दिनांक 01.04.2025 से 31.12.2025 तक)	70.57	22566
2025 (दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 तक)	143.64	34082

जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक अनुमानित व्यय राशि ₹74.43 करोड़ है, जिससे लगभग 11,000 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।

7.1.2 जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) के घटक

दिव्यांगजनों को निम्न कारकों से पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) स्थापित किए गए हैं–

i. शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप।
ii. जागरूकता सृजन।
iii. सहायक उपकरणों की आवश्यकता/प्रावधान/फिटमेंट उपकरण का आकलन।
iv. चिकित्सीय सेवाएं जैसे फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा, वाक् चिकित्सा, आदि।
v. सर्जिकल सुधार का रेफरल और व्यवस्था।
vi. छात्रवृत्ति प्रदान करने में सहायता।
vii. कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार के लिए ऋण।
viii. शिविर के माध्यम से दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण एवं पहचान।
ix. विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) जारी करने में सहायता करना
x. स्वरोजगार के लिए ऋण की व्यवस्था
xi. राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए आउटरीच केंद्र के रूप में कार्य करना
xii. बाधा मुक्त वातावरण को बढ़ावा देना।

इस योजना को रेड क्रॉस सोसायटी या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के किसी स्वायत्त/अर्द्ध–स्वायत्त निकाय या अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले किसी प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन के माध्यम से कार्यान्वित किया जा सकता है। इस योजना में देश के प्रत्येक जिले में एक डीडीआरसी की परिकल्पना की गई है।

योजना के अनुसार, डीडीआरसी की पसंदीदा स्थान में जिला अस्पताल/डीईआईसी या उसके निकट डीडीआरसी के अपेक्षित स्थान की पहचान की गई, ताकि दिव्यांगजनों के प्रभावी पुनर्वास के लिए कम से कम 4 चिकित्सा और पुनर्वास पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और अग्रिम सह प्रतिपूर्ति के आधार पर सहायता–अनुदान जारी की जा सके।

दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 तक डीडीआरसी को जारी सहायता–अनुदान का विवरण **अनुबंध–IV** में दिया गया है।

7.2 सहायक यंत्रों / उपकरणो की खरीद / फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना (एडिप योजना)

योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों (राष्ट्रीय संस्थान/समेकित क्षेत्रीय केंद्र/भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को)/जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र/दिव्यांगता के क्षेत्र में राज्य निगम/अन्य स्थानीय निकाय/एनजीओ) को सहायता अनुदान प्रदान करना है, ताकि वे जरूरतमंद दिव्यांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायक यंत्र और सहायक उपकरण खरीदने में सहायता कर सकें, ताकि उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके और उनकी आर्थिक क्षमता में वृद्धि हो सके। योजना के तहत आपूर्ति की जाने वाली सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों का उचित प्रमाणीकरण होना चाहिए। योजना में सहायक यंत्र और सहायक

उपकरण प्रदान करने से पहले, जब भी आवश्यक हो, सुधारात्मक सर्जरी करने की भी परिकल्पना की गई है। योजना को 26.09.2024 से संशोधित/परिवर्तित किया गया है।

एडिप योजना के तहत शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा अभियान योजना के तहत स्कूल जाने वाले बच्चों को सहायक यंत्र और सहायक उपकरण वितरित करने के लिए, एडिप–एसएसए शिविरों के लिए और पात्र लाभार्थियों को सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के मूल्यांकन/वितरण के लिए और एडिप शिविर के लिए निर्धारित निधियों का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय संस्थान/सीआरसी/एएलआईएमसीओ भी इन संस्थानों से संपर्क करने वाले पात्र लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एडिप अनुदान का उपयोग करते हैं।

- प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र (पीएमडीके) वॉक–इन सेंटर हैं, एडिप योजना के तहत जहां पात्र लाभार्थी निःशुल्क सहायक यंत्र और सहायक उपकरण प्राप्त कर सकते हैं। अब तक देश भर में **100 पीएमडीके** चालू हो चुके हैं।

- इसके अतिरिक्त, कुछ प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठनों के केंद्र/उपकेंद्र हैं, जहां ओपीडी गतिविधियां संचालित की जाती हैं तथा दिव्यांगजनों के लिए सुधारात्मक शल्यक्रियाएं की जाती हैं।

- इस योजना में श्रवण बाधित बच्चों के लिए पुनर्वास के साथ–साथ कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी और पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी का प्रावधान किया गया है। वित्तीय सहायता में इम्प्लांट, सर्जरी, थेरेपी, मैपिंग, यात्रा और प्री–इम्प्लांट मूल्यांकन की लागत शामिल है। इस कार्यक्रम के माध्यम से, श्रवण और वाक् बाधित बच्चे सफलतापूर्वक श्रवण और वाक् कार्यक्षमता को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होते हैं।

- इस योजना के तहत कम से कम 80% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल और मोटरचालित व्हीलचेयर प्रदान की जाती हैं। हालांकि, एडिप–एसएसए योजना के तहत आने वाले छात्रों के लिए मोटरचालित ट्राइसाइकिल/मोटरचालित व्हीलचेयर के लिए कम से कम 80% दिव्यांगता की शर्त को शिथिल करके 40% दिव्यांगता कर दिया गया है।

- 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लोकोमोटर (गतिविषयक) दिव्यांगजनों के लिए उच्च श्रेणी के कृत्रिम अंग ('हाई एंड प्रोस्थेसिस')। सब्सिडी की सीमा 30,000/– रुपये होगी।

वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां : योजना के अंतर्गत वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:–

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान आवंटन	संशोधित अनुमान	जारी की गई राशि	लाभार्थियों की संख्या
2024-25	315.00	350.00	348.51	251410
2025 (01.01.2025 से 31.12.2025 तक)	316.70	330.60	291.05	262632

एडिप योजना के तहत जनवरी से मार्च 2026 तक के महीनों के लिए अनुमानित व्यय ₹38.86 करोड़ है, जिससे लगभग 26,000 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।

*एडिप योजना के तहत आयोजित शिविरों, उपयोग की गई निधियों और लाभार्थियों की संख्या का राज्य–वार विवरण **अनुबंध–V** में दिया गया है, और एडिप योजना के तहत सहायक यंत्रों एवं उपकरणों के संवितरण के लिए सहायता अनुदान का विवरण **अनुबंध– VI** में दिया गया है।*

7.3 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा)

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा) एक व्यापक "केन्द्रीय क्षेत्र की योजना" है जिसमें निम्नलिखित 10 उप–योजनाएं शामिल हैं:

i. दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण (बीएफई) का निर्माण
ii. क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (सीडीईआईसी)
iii. विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) परियोजना
iv. दिव्यांगजनों के कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी)
v. सेवाकालीन प्रशिक्षण के साथ जागरूकता सृजन और प्रचार (एजीपी)
vi. स्पाइनल इंजुरी केंद्रों को सहायता
vii. दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी, उत्पाद एवं मुद्दों पर अनुसंधान।
viii. 'सिपडा के अंतर्गत परियोजनाएं' उप–योजना:
    क.सुगम्य शिक्षण सामग्री (डीएएलएम परियोजना) के विकास के लिए वित्तीय सहायता हेतु परियोजना
    ख. मौजूदा बधिर कॉलेजों को सहायता
ix. केंद्रीय परियोजना निगरानी (सीपीएमयू) सह डेटा रणनीति इकाई (डीएसयू)

बजट आवंटन और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान आवंटन	संशोधित अनुमान आवंटन	जारी की गई राशि
2024-25	111.00	69.06	44.16

दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान 115.53 करोड़ रूपये का व्यय किया गया।

सिपडा योजना के अंतर्गत जारी सहायता अनुदान का विवरण अनुबंध–VII में दिया गया है।

7.3.1 दिव्यांगजनों लिए के लिए बाधा मुक्त वातावरण का निर्माण:

दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करना, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों, कार्यालयों और सार्वजनिक भवनों, मनोरंजन क्षेत्रों, स्वास्थ्य केंद्रों/अस्पतालों आदि में निर्मित वातावरण तक पहुंच शामिल है। इसमें व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए रैंप, रेलिंग, लिफ्ट, सुगम्य शौचालय, ब्रेल साइनेज और श्रवण संकेत, स्पर्शनीय फर्श, व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं की आसान पहुंच के लिए फुटपाथों में ढलान, दृष्टिहीन या निम्न दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए ज़ेबरा क्रॉसिंग की सतह पर उत्कीर्णन, दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले लोगों के लिए रेलवे प्लेटफार्मों के किनारों पर उत्कीर्णन और दिव्यांगता के उपयुक्त प्रतीकों को तैयार करना आदि शामिल होंगे।

एनआईसी और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डी/ओएआरएंडपीजी), द्वारा जारी किए गए भारत सरकार की वेबसाइट के लिए दिशानिर्देश, जो उनकी वेबसाइट "http:@@darpg.nic.in" पर उपलब्ध हैं, के अनुसार केंद्र/राज्य और जिला स्तर पर सरकारी वेबसाइटों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाना।

सुगम्य भारत अभियान

"सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" के विजन के साथ, सुगम्य भारत अभियान को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 03 दिसंबर, 2015 को एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान के रूप में शुरू किया गया था ताकि दिव्यांगजन समान अवसर, स्वतंत्र जीवन और समावेशी समाज में जीवन के सभी पहलुओं में पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने में सक्षम बनने के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता प्राप्त कर सके। अभियान को तीन कार्यक्षेत्रों के साथ शुरू किया गया था – पहले से निर्मित वातावरण/भवनों और बुनियादी अवसंचना की पहुँच को बढ़ाना, बसों, ट्रेनों आदि जैसी सभी परिवहन प्रणालियों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाना; और सूचना और संचार पारिस्थितिकी तंत्र को सभी दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाना।

अभियान को 31 मार्च, 2024 तक जारी रखने के लिए निर्धारित किया गया था, फिर भी, अब इसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए व्यापक योजना (सिपडा) के तहत उप–योजना – "बाधा मुक्त वातावरण योजना (सीबीएफई) के निर्माण" के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है क्योंकि सुगम्यता एक सतत और जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

सीबीएफई योजना में समाहित किए जा चुके एआईसी की उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं :

• रेल मंत्रालय ने अवगत कराया है कि भारतीय रेलवे स्टेशनों पर व्यापक सुगम्यता संबंधी सुधार किए गए हैं, जिनमें 5,639 स्टेशनों पर मानक रैम्प, दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए टैक्टाइल पाथ, 2,525 स्टेशनों पर सुगम्य पार्किंग, 313 स्टेशनों पर सुगम्य टिकट काउंटर, 683 स्टेशनों पर लिफ्ट, 5,854 स्टेशनों पर व्हीलचेयर तथा 4,829 स्टेशनों पर सुलभ शौचालय शामिल हैं। नेविगेशन सहायता के अंतर्गत 947 स्टेशनों पर कोच गाइडेंस सिस्टम, 1,143 स्टेशनों पर ट्रेन संकेतन बोर्ड तथा 6,133 स्टेशनों पर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली उपलब्ध कराई गई है, जिससे दिव्यांगजनों के लिए अधिक समावेशी यात्रा वातावरण तैयार हुआ है।

• **सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय** ने बताया है कि 24 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के 61 राज्य परिवहन उपक्रमों के साथ सहयोग के परिणामस्वरूप सुगम्यता संबंधी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। कुल 1,45,490 बसों में से 51,041 बसें (कुल बेड़े का 35%) अब बुनियादी सुगम्यता मानकों को पूरा करती हैं, जिनमें 25,216 अंतर–शहरी (इंटर सिटी) कोच (26%) तथा 25,825 अंतःशहरी (इंट्रा सिटी) बसें (53%) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सभी एसटीयू नेटवर्कों में 3,363 में से 2,521 बस अड्डों (75%) को बेड़े और टर्मिनलों के सार्वभौमिक डिजाइन के अनुरूप रेट्रोफिटिंग के माध्यम से सुगम्य बनाया गया है।

• **इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई)** ने अवगत कराया है कि केंद्र सरकार की 68 वेबसाइटों को सुगम्य बनाया गया तथा मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) द्वारा प्रमाणित किया गया। वर्तमान में कुल 145 वेबसाइटों (केंद्र सरकार की 123, राज्य सरकार की 4) के पास जीआईजीडब्ल्यूडी दिशानिर्देशों के अनुसार सुगम्यता हेतु वैध एसटीक्यूसी प्रमाणन है। अब तक 3000 से अधिक सरकारी वेबसाइटों को s3waas प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किया गया है। साथ ही, एआईसी के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की 676 वेबसाइटों को सुगम्य बनाया गया है।

• **वित्तीय सेवाएँ विभाग** ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में दिव्यांगजनों के लिए व्यापक भौतिक सुगम्यता की जानकारी दी है— 5,468 कार्यालयों में से 4,307; 86,639 शाखाओं में से 71,063; तथा 1,29,102 एटीएम में से 1,07,463 सुगम्य हैं। डिजिटल रूप से, प्रत्येक संगठन ने सुगम्यता लेखा परीक्षक (ऑडिटर) नियुक्त किए हैं और अन्य प्लेटफार्मों को बेहतर बनाया जा रहा है, हालांकि पूर्ण अनुपालन करने वाली वेबसाइटों की संख्या अभी सीमित है (12 में से 4 पीएसबी साइटें, 7 में से 5 PSIC साइटें, 7 में से 2 पीएसएफआई साइटें तथा 3 नियामक साइटों में से कोई भी नहीं)।

• **आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए)** ने मॉडल बिल्डिंग बाय–लॉज़ (एमबीबीएल) 2016, यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश 2014 तथा समन्वित दिशानिर्देश 2021 के माध्यम से एक व्यापक सुलभता ढांचे की स्थापना की जानकारी दी है। सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत सीपीडब्ल्यूडी ने 168 शहरों में 628 डिवीजनों के माध्यम से 1,100 सरकारी भवनों का सफलतापूर्वक रेट्रोफिटिंग किया है, जिसमें अनुपालन दरें 48% (लोअर्ड रिसेप्शन काउंटर) से 80% (हैंडरेल सहित प्रवेश रैम्प) तक रही हैं।

• **शिक्षा मंत्रालय** ने बताया है कि 302 उच्च शिक्षण संस्थानों में 3,530 यूनिसेक्स शौचालय, 2,167 लिफ्ट (जिनमें 1,058 ब्रेल युक्त), 1,541 रैम्प बनाए गए तथा 905 भवनों की रेट्रोफिटिंग कर सुगम्यता सुनिश्चित की गई। वहीं, 8,026 तकनीकी संस्थानों में बाधामुक्त वातावरण बनाया गया तथा 3,522 समान अवसर केंद्र स्थापित किए गए, और सभी उच्च शिक्षण संस्थानों की वेबसाइटें डब्ल्यूसीएजी 2.0 लेवल ए मानकों का अनुपालन करती हैं। स्कूली शिक्षा में 14.72 लाख विद्यालयों में से 77.3% में रैम्प, 52.24% में हैंडरेल, 34.37% में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के–अनुकूल शौचालय उपलब्ध हैं। साथ ही, मंत्रालय ने डिजिटल पहलें शुरू की हैं— पीएम ई–विद्या आईएसएल चैनल, 76.25 लाख छात्रों की PRASHAST स्क्रीनिंग, 15,964 शिक्षकों का प्रशिक्षण, 377 टॉकिंग बुक्स, ePathshala@DIKSHA पर 4,048 ऑडियो अध्याय, दिव्यांगता विषय में अध्ययन पर SWAYAM पाठ्यक्रम, तथा वर्ष 2024 में IGNOU में 4,747 दिव्यांग छात्रों का नामांकन–जिससे समावेशी शिक्षा को सुदृढ़ किया गया है।

• **नागरिक उड्डयन मंत्रालय** ने बताया है कि उसने सभी 102 लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डों पर व्यापक सुगम्यता उपाय लागू किए हैं। इनमें कोड–सी विमान परिचालन वाले 25 हवाई अड्डों पर एम्बुलिफ्ट, 101 हवाई अड्डों पर सुगम्य पार्किंग, सभी सुविधाओं में सुगम्य लिफ्ट और शौचालय, 78 हवाई अड्डों पर स्पर्शनीय फर्श (शेष का कार्य दिसंबर 2025 तक पूर्ण किया जाएगा) तथा AAI हवाई अड्डों पर 102 व्हीलचेयर की उपलब्धता शामिल है।

• **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), संस्कृति मंत्रालय (एमओसी)** ने अवगत कराया है कि वह 38 क्षेत्रीय सर्किलों के माध्यम से भारत के स्मारकों का प्रबंधन करता है, जहाँ सुगम्यता सुविधाओं के अंतर्गत 211 स्थलों पर रैम्प, 403 पर व्हीलचेयर, 235 पर दिव्यांग शौचालय, 154 पर ब्रेल संकेतक, 47 पर टैक्टाइल पाथ, 9 पर ऑडियो गाइड, साथ ही QR–आधारित सांकेतिक भाषा में वीडियो एवं डिजिटल टचपॉइंट्स उपलब्ध कराए गए हैं।

समग्र सरकारी प्रयासों के साथ सह क्रिया करते हुए सुगम्य भारत अभियान ने दिव्यांगजनों के लिए परिदृश्य को बदल दिया है। इसने अधिक न्यायसंगत और समावेशी भारत के लिए एक मजबूत नींव रखी है।

वित्तीय परिव्यय का विवरण इस प्रकार है :-

क्र.सं.	योजना	करोड़ रुपये में	
		व्यय 01.01.2025 से 31.12.2025 **तक**	अनुमानित व्यय 01.01.2026 से 31.03.2026 **तक**
1.	दिव्यांगजनों के लिए बाधा–मुक्त वातावरण के सृजन की योजना (सीबीएफई) /सिपडा के अंतर्गत सुगम्य भारत अभियान (एआईसी)	67.72 **करोड़ तक**	40.00 **करोड़**

7.3.2 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (सीडीईआईसी):

विभाग न 0–6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों (एनआईएस) और सीआरसी में सिंगल–विंडो, क्रॉस डिसएबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (सीडीईआईसी) शुरू किए। सीडीईआईसी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत कवर की गई सभी 21 श्रेणियों के संबंध में स्क्रीनिंग और हस्तक्षेप करने के लिए सुसज्जित हैं और जोखिम वाले मामलों की पहचान करने और उचित पुनर्वास सेवाओं के लिए रेफर करने के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं; चिकित्सीय सेवाएं जैसे स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी और पैरेंटल/पीयर काउंसलिंग।

विभाग सीडीईआईसी की स्थापना के लिए एनआईएस/सीआरसी को वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि कर्मचारियों के पारिश्रमिक, आकस्मिक व्यय और अवसंरचना विकास के लिए 20 लाख रु तक के एकमुश्त व्यय को पूरा किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, 01.04.2025 से 31.12.2025 की अवधि में राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई) एवं समेकित क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) में सीडीईआईसी के संचालन हेतु ₹4.71 करोड़ की राशि जारी की गई है तथा 01.01.2026 से 31.03.2026 के दौरान लगभग ₹5.5 करोड़ की राशि जारी किए जाने की संभावना है। वर्तमान में विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित राष्ट्रीय संस्थानों एवं समेकित क्षेत्रीय केंद्रों में कुल 28 सीडीईआईसी स्वीकृत किए गए हैं।

7.3.3 विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) परियोजना

यूडीआईडी परियोजना दिव्यांगजनों के राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए विभाग की एक पहल है। यह परियोजना यूडीआईडी पोर्टल www.swavlambancard.gov.in) नामक एक ऑनलाइन केंद्रीकृत प्लेटफार्म प्रदान करती है, जहां दिव्यांगता के मूल्यांकन के आधार पर दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जारी करने के उद्देश्य से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरणों को ऑन–बोर्ड किया गया है।

यूडीआईडी डाटाबेस को डाटा सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के डिजी लॉकर एप्लीकेशन के साथ जोड़ दिया गया है, जो विभिन्न मंत्रालयों एवं राज्य सरकार के प्राधिकरणों द्वारा दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड का लाभ प्रदान करने का आधार बन गया है।

विभाग द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रचार एवं जागरूकता, आईटी अवसंरचना हेतु तकनीकी सहायता, मानव संसाधन सहायता तथा पुराने मैनुअल प्रमाणपत्रों के डिजिटलीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 31.12.2025 तक, उपर्युक्त उद्देश्यों हेतु विभाग द्वारा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों एवं विभिन्न एजेंसियों को कुल ₹68.88 करोड़ जारी किए गए हैं, जिसमें 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान जारी ₹10.43 करोड़ भी शामिल हैं। यूडीआईडी योजना के अंतर्गत जनवरी से मार्च 2026 की अवधि के लिए अनुमानित व्यय ₹4.40 करोड़ है।

7.3.4 दिव्यांगजन कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी)

विभाग दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए एक समर्पित कौशल विकास कार्यक्रम, अर्थात् दिव्यांगजनों के कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों के कौशल को बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर, उत्पादक एवं समाज में योगदान देने वाले सदस्य के रूप में सक्षम बनाना है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे पूरे देश में व्यापक योजना सिपडा के घटक के रूप में लागू किया जा रहा है।

एनसीवीईटी अनुमोदित/अनुकूलित पाठ्यक्रम में चयनित सरकारी संगठनों (जीओ) और सूचीबद्ध गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से योग्य प्रशिक्षकों द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। डोमेन कौशल पाठ्यक्रम से पहले एनसीवीईटी अनुमोदित रोजगार कौशल पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। 15–59 वर्ष आयु वर्ग के, कम से कम 40% दिव्यांगता वाले, यूडीआईडी कार्ड धारक भारतीय नागरिक दिव्यांगजन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।

जारी की गई सहायता–अनुदान राशि (31.12.2025 की स्थिति के अनुसार)

वर्ष	बजट अनुमान *	संशोधित अनुमान *	वास्तविक व्यय
2024-25	28	16	4.33
2025-26 (01.04.2025 से 31.12.2025 तक)	10	-	6.06

* बजट अनुमान और संशोधित अनुमान व्यापक योजना सिपडा के तहत नोशनल आवंटन हैं।

* दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 तक की अवधि में ₹8.49 करोड़ का व्यय किया गया और जनवरी–मार्च 2026 की अवधि के लिए ₹3.94 करोड़ का अनुमानित/प्रक्षिप्त व्यय है।

7.3.5 जागरूकता सृजन और प्रचार तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण योजना

यह केंद्रीय क्षेत्रीय योजना वित्त वर्ष 2014–15 से संचालित है और योजना में 2021–22 में संशोधन किया गया, जिसमें सेवाकालीन प्रशिक्षण योजना को एजीपी योजना में सम्मिलित कर दिया गया। एजीपी योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के कल्याण हेतु विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में सामान्य जागरूकता का सृजन करना और नियोक्ताओं तथा अन्य संबंधित समूहों को दिव्यांगजनों की विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाना है।

इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों के समग्र सशक्तिकरण के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना है, जिसमें राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, संस्थाओं और नियोक्ताओं को संवेदनशील बनाने के लिए स्वयंसेवी सेवा/आउटरीच कार्यक्रम, सामुदायिक रेडियो/टीवी चौनलों में भागीदारी, ब्रांड एंबेसडर की नियुक्ति, हेल्पलाइन/हेल्पडेस्क प्रबंधन, सामग्री विकास, और प्रकाशन आदि शामिल हैं।

एजीपी योजनाओं के अंतर्गत गतिविधियां :

(i) **दिव्य कला मेला (डीकेएम):** दिव्यांगजनों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने तथा उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एजीपी के अंतर्गत एक विशेष परियोजना के रूप में दिव्य कला मेला को प्रोत्साहित किया गया है। पहला दिव्य कला मेला नवंबर 2022 में आयोजित किया गया था और अब तक कुल 28 दिव्य कला मेलों का आयोजन किया जा चुका है।

(ii) **दिव्य कला शक्ति** : दिव्यांग कलाकारों की असाधारण प्रतिभाओं के प्रदर्शन हेतु विभाग "दिव्य कला शक्ति दृ दिव्यांगता में क्षमताओं का साक्षात्कार" शीर्षक से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें विभिन्न राज्यों, सांस्कृतिक संस्थाओं, संस्थानों एवं सिविल सोसाइटी से जुड़े विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता वाले दिव्यांग कलाकार भाग लेते हैं। अब तक 25 दिव्य कला शक्ति कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है।

(iii) **पर्पल फेस्ट/पर्पल फेयर** : यह विभाग पर्पल फेस्ट/पर्पल फेयर जैसी पहलों के माध्यम से समावेशन और सुगम्यता को बढ़ावा देता है। ये पहलें रोजगार, उद्यमिता, खेल, संस्कृति तथा सामुदायिक सहभागिता के लिए सुगम्य मंच प्रदान करती हैं, साथ ही दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं के प्रति हितधारकों को संवेदनशील बनाती हैं। पर्पल फेस्ट की शुरुआत वर्ष 2023 में गोवा में विभिन्न हितधारकों के सहयोग से की गई थी, जिसने समावेशन आंदोलन को सशक्त किया है। इसके उल्लेखनीय संस्करण वर्ष 2024 और 2025 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए गए, जिनमें क्रमशः लगभग 14000 और 23000 लोगों ने भाग लिया। आरंभ से अब तक देशभर में क्षेत्रीय आयोजनों के रूप में 50 पर्पल फेयर आयोजित किए जा चुके हैं।

दिनांक *01.01.2025* से *31.12.2025* की अवधि के दौरान आयोजित डीकेएम, डीकेएस एवं पर्पल फेयर का विवरण अनुबंध–VIII में दिया गया है।

(iv) **अन्य पहलें** : इस विभाग द्वारा एआई आधारित दिव्या बॉट (चैट बॉट एवं वॉयस बॉट) भी शुरू किया गया है, जो दिव्यांगजनों के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्ध सेवाओं से संबंधित त्वरित जानकारी प्रदान करने हेतु 24x7 सुगम्य डिजिटल टूल है।

(v) **बजटीय व्यय** :

वर्ष	वित्तीय आवंटन (करोड़ रुपये में)		
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2024-25	25	16	10.7

दिनांक *01.01.2025* से *31.12.2025* की अवधि के दौरान *14.66* करोड़ रुपये का व्यय किया गया है, तथा आगामी तिमाही (जनवरी 2026 से मार्च 2026) के लिए अनुमानित व्यय *6.20* करोड़ रुपये है (बिल/वाउचर की प्राप्ति के अधीन)।

7.3.6 स्पाइनल इंजरी सेंटर को वित्तीय सहायता के लिए योजना (एएसआईसी योजना)

इस योजना का उद्देश्य देश भर में पूर्व में ही चिन्हित स्पाइनल इंजरी सेंटर को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि स्पाइनल इंजरी वाले रोगी अपनी भरपूर क्षमताओं के साथ अपना जीवन जीने में सक्षम हो सके।

(i) इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर (आईएसआईसी), नई दिल्ली को सहायता

इस घटक में स्पाइनल इंजरी (एससीआई) के गरीब रोगियों के लिए इनडोर उपचार का प्रावधान है। यह स्पाइनल इंजरी और संबंधित बीमारियों वाले रोगियों को व्यापक पुनर्वास प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है और पात्रता मानदंडों के अनुसार पुनर्निर्माण सर्जरी, स्थिरीकरण ऑपरेशन, शारीरिक पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक–सामाजिक पुनर्वास और व्यावसायिक पुनर्वास सेवाओं के रूप में विभिन्न हस्तक्षेप भी प्रदान करता है। एससीआई के गरीब रोगियों के उपचार के लिए आईएसआईसी को 7000 रुपये प्रति बिस्तर प्रतिदिन की दर से 25 निःशुल्क बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता दी गई तथा आईएसआईसी केंद्र एससीआई के गरीब रोगियों को 5 निःशुल्क बिस्तर उपलब्ध कराता है।

पिछले चार वर्षों के दौरान 31 दिसंबर, 2025 तक योजना प्रावधानों के अनुसार आईएसआईसी को 9.44 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

(ii) राज्य स्पाइनल इंजरी सेंटर (एसएसआईसी) की स्थापना के लिए योजना

2015–16 से लागू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसमें सभी राज्यों की राजधानियों/केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी अस्पतालों से जुड़े व्यापक पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के संबंध में स्पाइनल इंजरी के उपचार, पुनर्वास और प्रबंधन के लिए समर्पित 12 बिस्तर प्रदान करता है।

चिकित्सा उपकरण, चिकित्सा/शल्य चिकित्सा उपकरण (ओटी) और पुनर्वास उपकरण पर व्यय के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे 2.33 करोड़ रुपये तक के अनुदान के रूप में गैर–आवर्ती सहायता और 12 बिस्तरों वाले समर्पित वार्डों की स्थापना के लिए 56.00 लाख रुपये तक की जीआईए।

प्रति दिन प्रति बिस्तर 1000 रुपये (अधिकतम 36,00,000 रुपये) की दर से वार्षिक आधार पर 10 बिस्तरों के रखरखाव लागत की प्रतिपूर्ति के लिए आवर्ती सहायता और 2 बिस्तरों के संबंध में व्यय देयता राज्य सरकार/कार्यान्वयन अस्पताल द्वारा वहन की जाएगी, बशर्ते कि शर्तें पूरी की जाएं।

7.3.7 दिव्यांगता संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पाद और मुद्दों पर अनुसंधान

जनवरी 2015 में "दिव्यांगता से संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पाद और मुद्दों पर अनुसंधान" पर केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई और वर्ष 2021–22 में इसकी पुनर्समीक्षा की गई। यह योजना वर्तमान में "दिव्यांग क्षेत्र के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अध्ययन और अनुसंधान तथा दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिए उपयुक्त उत्पादों, सहायक उपकरणों एवं साधनों के अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता" के रूप में जारी है। योजना के उद्देश्यों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पुनः समायोजित किया गया है,जो निम्नलिखित है

- दिव्यांगता क्षेत्र के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधित साक्ष्य आधारित नीतिगत निर्णय को सुविधाजनक बनाने के लिए अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना और समर्थन करना;
- दिव्यांगता के प्रसार के क्षेत्र और इसकी रोकथाम के उपायों से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देना;
- सुविधा और पुनर्वास को बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना और समर्थन करना तथा ऐसे अन्य मुद्दे जो दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक हैं;
- दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए स्वदेशी उत्पादों, सहायक यंत्रों और उपकरणों के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।

वित्तीय वर्ष 2025.26 में इस योजना के अंतर्गत 13 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है, जिनके लिए 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान 0.95 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं तथा 01.01.2026 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान 0. 95 करोड़ रूपये जारी किए जाने की संभावना है।

7.3.8 सिपडा के अंतर्गत योजनाएं

i. सुगम्य शिक्षण सामग्री के विकास के लिए वित्तीय सहायता पर परियोजना

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 2014–15 में ब्रेल प्रेसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन के लिए सहायता योजना की शुरुआत की। योजना का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाले दृष्टि बाधित बच्चों को ब्रेल पाठ्य पुस्तक के निःशुल्क वितरण के लिए इसके उत्पादन को सुविधाजनक बनाना है। वर्ष 2020–21 से ब्रेल प्रेस योजना का विलय सिपडा के साथ उसके घटकों में से एक घटक के रूप में किया गया है और वित्त वर्ष 2022–23 से इसे एक परियोजना के रूप में जारी रखा जा रहा है। नवंबर 2023 से परियोजना दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया और परियोजना का नाम बदलकर "सुगम्य शिक्षण सामग्री के विकास हेतु वित्तीय सहायता परियोजना" रखा गया। इस परियोजना के अंतर्गत दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सभी स्तरों की शिक्षा (स्कूली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा) हेतु ब्रेल के अतिरिक्त अन्य सुगम्य प्रारूपों को भी शामिल किया गया है।

इस परियोजना के संचालन के लिए राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून नोडल एजेंसी है। इस नोडल एजेंसी को प्रस्ताव आमंत्रित करने, जांच, निरीक्षण, मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी और सहायता–अनुदान (जीआईए) प्रदान करने के लिए उपयुक्त प्रस्तावों को स्क्रीनिंग समिति के समक्ष रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि उस पर विचार, करके सिफारिश और मंजूरी दी जा सके।

इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसियां पांच साल से अधिक समय से ब्रेल प्रेस चला रही राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और स्वैच्छिक संगठन अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा ब्रेल प्रेस चलाने के लिए निर्दिष्ट कोई अन्य प्रतिष्ठान हैं। ब्रेल के साथ साथ बड़े प्रिंट की पुस्तकें, टॉकिंग बुक, ई पब आदि के उत्पादन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों का भी प्रावधान किया गया है।

नोडल एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को निम्नलिखित सहायता–अनुदान घटक प्रदान किए जाते है :–

क. गैर–आवर्ती अनुदान सहायता के लिए :–

- नई ब्रेल प्रेस/मौजूदा ब्रेल प्रेस की क्षमता वृद्धि/आधुनिकीकरण।
- मौजूदा टॉकिंग बुक स्टूडियो की क्षमता वृद्धि/आधुनिकीकरण।
- नया डिजिटल पुस्तक उत्पादन केंद्र/मौजूदा डिजिटल पुस्तक उत्पादन केंद्र की क्षमता वृद्धि/आधुनिकीकरण ।
- नए बड़े प्रिंट उत्पादन केंद्र/मौजूदा बड़े प्रिंट उत्पादन केंद्र की क्षमता वृद्धि/आधुनिकीकरण ।

ख. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सुगम्य पुस्तकों या शिक्षण सामग्री के उत्पादन और आपूर्ति के लिए किए गए व्यय के लिए आवर्ती सहायता अनुदान।

अब तक इस योजना के अंतर्गत ब्रेल उत्पादन हेतु 25 कार्यान्वयन एजेंसियों, बड़े प्रिंट प्रेस हेतु 03 कार्यान्वयन एजेंसियों, ई–पब उत्पादन इकाइयों हेतु 06 कार्यान्वयन एजेंसियों तथा टॉकिंग बुक उत्पादन इकाइयों हेतु 06 कार्यान्वयन एजेंसियों को कुल 58. 22 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता (अनावर्ती एवं आवर्ती सहायता अनुदान) प्रदान की गई है।

ii. बधिर कॉलेज परियोजना

2015 में शुरू की गई योजना को देश में मौजूदा बधिर कॉलेजों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अम्ब्रेला स्कीम–सिपडा के तहत एक परियोजना के रूप में संशोधित प्रारूप में लागू किया जा रहा है। इस परियोजना में मौजूदा कॉलेजों की अवसंरचना के विस्तार, सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद और कॉलेज स्टाफ तथा संकेत भाषा दुभाषियों के लिए वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता के लिए देश के निम्नलिखित पांच क्षेत्रों में विश्वविद्यालय अनुदान से संबद्ध एक कॉलेज को वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है ताकि निम्नलिखित मौजूदा बधिर कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके –

i. उत्तर क्षेत्र में बधिरों के लिए ग्रामीण विकास और प्रबंधन कॉलेज (आरडीएमसी)

ii. पश्चिम क्षेत्र में बधिरों के लिए कॉलेज

iii. दक्षिण क्षेत्र में बधिरों के लिए कॉलेज

iv. मध्य क्षेत्र में बधिरों के लिए कॉलेज

v. पूर्वी जोन में बधिरों के लिए कॉलेज

7.4 दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 31 (1) एवं (2) यह अधिदेशित करती है कि 6 से 18 वर्ष तक की बैंचमार्क दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को उनकी इच्छा के निकटतम विद्यालय अथवा किसी विशेष विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने

का अधिकार होगा तथा उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी उपयुक्त वातावरण में उनकी निःशुल्क शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करेंगे। इस अधिदेश को पूरा करने के लिए, यह विभाग दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने, रोजी–रोटी कमाने और समाज में एक सम्मानजनक स्थान पाने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक अम्ब्रेला योजना 'दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना' लागू कर रहा है जिसके निम्नलिखित छह घटक हैं:-

(i) दिव्यांग छात्रों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X के लिए)

(ii) दिव्यांग छात्रों के लिए पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा XI से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के लिए)

(iii) दिव्यांग छात्रों के लिए टॉप क्लास एजुकेशन छात्रवृत्ति (शिक्षा में उत्कृष्टता हेतु अधिसूचित संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री के लिए)

(iv) राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (विदेश में संस्थानों/कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर डिग्री/पीएचडी के लिए)

(v) दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालयों में एम.फिल और पीएच.डी. के लिए)

(vi) दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग (समूह ए, बी और सी पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं और विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाओं के लिए)

7.4.1 विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की मुख्य विशेषताएं

(i) छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न सहायता में विभिन्न घटकों के अंतर्गत यथा लागू अन्य वित्तीय सहायता के साथ–साथ अनुरक्षण भत्ता, शिक्षण शुल्क, पुस्तक भत्ता, दिव्यांगता भत्ता शामिल है।

(ii) किसी भी छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) अनिवार्य है।

(iii) टॉप क्लास एजुकेशन में कम्प्यूटर/लैपटॉप और अपेक्षित सहायक उपकरण खरीदने पर होने वाले खर्चों की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान है।

(iv) प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक और टॉप क्लास एजुकेशन में प्रत्येक वर्ष उपलब्ध कुल छात्रवृत्ति स्लॉट का 50% और नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति और निःशुलक कोचिंग छात्रवृत्ति योजना में 30% स्लॉट छात्राओं के लिए आरक्षित हैं।

(v) राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति आकस्मिक और उपकरण भत्ता भी प्रदान करती है। छात्रवृत्ति का संवितरण और विविध खर्चों की प्रतिपूर्ति विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश स्थित भारतीय मिशन के माध्यम से की जाती है।

(vi) राष्ट्रीय फेलोशिप योजना में प्रत्येक वर्ष 200 अध्येतावृत्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने का प्रावधान है; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा–कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (नेट–जेआरएफ) पर आधारित 75% विद्वान और शेष 25% विद्वान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (यूजीसी–सीएसआईआर) नेट–जेआरएफ संयुक्त परीक्षा पर आधारित हैं।

(vii) विभाग द्वारा राष्ट्रीय संस्थानों/संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आने वाले राज्य विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा/विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत किसी अन्य सरकारी संस्थान के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग योजना कार्यान्वित की जाती है।

7.4.2 विभाग की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ *https://depwd.gov.in/en/scholarship/* पर उपलब्ध है।

7.4.3 छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में जारी की गई निधियों और लाभार्थियों की संख्या का विवरण:-

(रूपये करोड़ में**)**

क्र.सं.	योजना		**2024-25**	**01.01.25 से 31.12.25 तक**	जनवरी–मार्च, 2026 के लिए अनुमानित
1.	प्री–मैट्रिक	राशि	10.22	2.82	5.00
		लाभार्थी	9938	2676	5000
2.	पोस्ट–मैट्रिक	राशि	37.29	45.00	31.85
		लाभार्थी	11668	13209	9300
3.	टॉप क्लास एजुकेशन	राशि	13.03	12.84	11.4
		लाभार्थी	833	798	800
4.	दिव्यांगजनों के लिए ओवरसीज छात्रवृत्ति	राशि	3.89	5.93	1.5
		लाभार्थी	13	17	7
5.	दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप	राशि	24.12	11.97	5.00
		लाभार्थी	447	341	100
6.	दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क कोचिंग	राशि	0.55	1.44	0.25
		लाभार्थी	101	336	150

*****

अध्याय–8

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

8.1 दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए व्यक्तियों/संस्थाओं/राज्यों/जिलों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इन पुरस्कारों की शुरुआत दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों पर जनता का ध्यान केंद्रित करने और उनको समाज की मुख्यधारा में शामिल करने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। यह पुरस्कार हर वर्ष 'अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस' के अवसर पर अर्थात 3 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सभी 21 दिव्यांगताओं पर विचार किया जाता है। ये पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं– :-

I. व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

- सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन
- श्रेष्ठ दिव्यांगजन
- श्रेष्ठ दिव्यांग बाल/बालिका (18 वर्ष की आयु तक के दिव्यांग बच्चे)
- दिव्यांगजनो के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति
- दिव्यांगता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास पेशेवर
- दिव्यांगता के श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान/नवप्रवर्तन/उत्पाद विकास

II. दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए कार्यरत संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

- दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्थान (निजी संगठन, एनजीओ)
- दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता (सरकारी संगठन/पीएसई/स्वायत्त निकाय/निजी क्षेत्र)
- दिव्यांगों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसी – सरकारी / राज्य सरकार / स्थानीय निकायों को छोड़कर
- सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन /बाधामुक्त वातावरण के सृजन में सर्वश्रेष्ठ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला
- सर्वश्रेष्ठ सुगम्य यातायात के साधन /सूचना एवं संचार प्रोद्यौगिकी
- दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम/यूडीआईडी एवं दिव्यांग सशक्तिकरण की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला
- दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम के अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य दिव्यांगजन आयुक्त
- पुनर्वास पेशवरों के विकास में संलग्न सर्वश्रेष्ठ संगठन

8.2 राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए आवेदन गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (www.awards.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। वर्ष 2024 के राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए आवेदन/नामांकन भी राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से आमंत्रित किए गए थे। आवेदन/नामांकन प्राप्त करने के लिए पोर्टल 15 मई, 2025 से 11 जुलाई, 2025 तक खोला गया था। व्यापक प्रचार के लिए आवेदन/नामांकन आमंत्रित करते हुए 29 मई, 2025 को संपूर्ण भारत के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन को विभाग की वेबसाइट पर भी होस्ट किया गया था। इसके व्यापक कवरेज और प्रचार के लिए विभाग ने 26 मई, 2025 को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को पत्र लिखकर विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित किए थे। पोर्टल पर 2423 आवेदन (व्यक्तिगत उत्कृष्टता श्रेणी में 2164 आवेदन और संस्थागत श्रेणी में 259 आवेदन) प्राप्त हुए।

8.3 विभाग ने सभी आवेदनों की स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग के लिए 4 स्क्रीनिंग समितियों का गठन किया था। स्क्रीनिंग समितियों द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदनों और आवेदकों का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट/वीडियो पर माननीय

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर, 2025 को आयोजित राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा विचार किया गया और राष्ट्रीय चयन समिति ने वर्ष 2025 के लिए 32 पुरस्कार विजेताओं का चयन किया।

8.4 ये पुरस्कार 3 दिसंबर, 2025 को भारत की माननीया राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में प्रदान किए गए थे ।

8.5 वर्ष 2025 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सूची **अनुबंध IX** में दी गई है।

*****

अनुबंध–I

क. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांगजनों की राज्य–वार संख्या

क्र.स.	राज्य	वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांगजनों की कुल संख्या
1	आंध्र प्रदेश	12,19,785
2	अरूणाचल प्रदेश	26,734
3	असम	4,80,065
4	बिहार	23,31,009
5	छत्तीसगढ़	6,24,937
6	दिल्ली	2,34,882
7	गोवा	33,012
8	गुजरात	10,92,302
9	हरियाणा	5,46,374
10	हिमाचल प्रदेश	1,55,316
11	जम्मू और कश्मीर	3,61,153
12	झारखंड	7,69,980
13	कर्नाटक	13,24,205
14	केरल	7,61,843
15	मध्य प्रदेश	15,51,931
16	महाराष्ट्र	29,63,392
17	मणिपुर	58,547
18	मिजोरम	15,160
19	मेघालय	44,317
20	नागालैंड	29,631
21	ओडिशा	12,44,402
22	पंजाब	6,54,063
23	राजस्थान	15,63,694
24	सिक्किम	18,187
25	तमिलनाडु	11,79,963
26	तेलंगाना	10,46,822
27	त्रिपुरा	64,346
28	उत्तर प्रदेश	41,57,514
29	उत्तराखंड	1,85,272
30	पश्चिम बंगाल	20,17,406
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6,660
32	चंडीगढ़	14,796
33	दमन और दीव	2,196
34	दादर और नगर हवेली	3,294
35	लक्षद्वीप	1,615
36	पुडुचेरी	30,189
	कुल	**2,68,14,994**

नोटः दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित दिव्यांगजन

ख. श्रेणी–वार दिव्यांगजन (लाख में)

दिव्यांगता का प्रकार	व्यक्ति	पुरुष	महिला
देखने में	50.33	26.39	23.94
सुनने में	50.72	26.78	23.94
बोलने में	19.98	11.22	8.75
चलने में	54.36	33.70	20.66
मानसिक मंदता	15.05	8.70	6.35
मानसिक रूग्णता	7.22	4.15	3.07
कोई अन्य	49.27	27.28	21.99
बहु दिव्यांगता	21.16	11.62	9.53
कुल	**268.09**	**149.84 (55.89%)**	**118.23 (44.11%)**

ग. दिव्यांगजनों का शैक्षिक स्तर (लाख में)

शैक्षिक स्तर	व्यक्ति	पुरूष	महिला
निरक्षर	121.96	56.40	65.56
साक्षर	146.18	9.34	52.70
(i) साक्षर परंतु प्राथमिक से कम	28.40	17.06	11.33
(ii) प्राथमिक परंतु मिडिल से कम	35.54	21.95	13.58
(iii) मिडिल परंतु मैट्रिक/माध्यमिक से कम	24.48	16.16	8.31
(iv) मैट्रिक/माध्यमिक परंतु स्नातक से कम	34.48	23.30	11.18
(v) स्नातक और उससे ऊपर	12.46	8.39	4.07
कुल (क और ख)	**268.14**	**149.88**	**118.26**

स्रोत : जनगणना 2011 के अनुसार, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय

*****

अनुबंध - **II**

विभाग का योजनावार बजट एवं व्यय

क्र.सं.	योजना	बजट अनुमान 2024-25	संशोधित अनुमान 2024-25	वास्तविक व्यय 2024-25
1	सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यां गजनों को सहायता की योजना (एडिप)	315.00	350.00	348.81
2	दीन दयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)	165.00	139.00	139.39
3	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा)	135.33	111.00	44.16
4	दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	142.68	80.00	89.71
	कुल योजना	**758.01**	**680.00**	**622.07**
	गैर योजना			
5	राष्ट्रीय न्यास को बजटीय सहायता	25.00	31.00	31.00
6	राष्ट्रीय संस्थान (एनआई)	370.00	391.97	409.21
7	भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई)	4.50	4.50	4.50
8	समावेशी एवं सार्वभौमिक डिजाइन के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना	0.00	0.00	0.00
9	राष्ट्रीय पुनर्वास विज्ञान एवं दिव्यांगता अध्ययन विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	0.01	0.00	0.00
10	दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना	25.00	23.30	12.89
11	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को)	0.00	0.00	0.00
12	राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (एनडीएफडीसी)	0.00	0.00	0.00
13	सचिवालय (अनुमानित व्यय)	37.25	31.00	26.84
14	दिव्यागिजन मुख्य आयुक्त (अनुमानित व्यय)	5.50	5.50	6.10
	कुल गैर–योजना	**467.26**	**487.27**	**490.54**
	कुल योग	**1225.27**	**1167.27**	**1112.61**

क्र.सं.	योजना	बजट अनुमान 2025-26	वास्तविक व्यय 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार
1.	सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यां गजनों को सहायता (एडिप) योजना	316.70	291.05
2.	दीन दयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना	165.00	65.76
3.	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन हेतु योजना (सिपडा)	115.10	97.74
4.	दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	145.00	70.55
	कुल योजना	**741.80**	**525.10**
	गैर योजना		
5.	राष्ट्रीय न्यास को बजटीय सहायता	35.00	26.25
6.	राष्ट्रीय संस्थान (एनआई)	430.19	284.66
7.	भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई)	5.00	2.75
8.	राष्ट्रीय पुनर्वास विज्ञान एवं दिव्यांगता अध्ययन विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	0.01	0.00
9.	दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना	25.00	19.23
10.	सचिवालय (अनुमानित विस्तारित)	32.50	20.36
11.	दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त (स्था. विस्तारित)	5.50	3.52
	कुल गैर–योजना	**533.20**	**356.79**
	कुल योग	**1275.00**	**881.89**

*****

अनुबंध – **III**

राष्ट्रीय संस्थानों/समेकित क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा संचालित दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों (एक वर्ष या उससे अधिक अवधि वाले) का विवरण

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या
	पीडीयूएनआईपीपीडी, नई दिल्ली		
1.	सर्टिफिकेट कोर्स इन बेंच स्किल्स (सीबीएस)	1 **वर्ष**	20
2.	डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई)	2 **वर्ष**	20
3.	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बीपीटी)	4 ½ **वर्ष**	68
4.	मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी (एमपीटी)	2 **वर्ष**	32
5.	बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी (बीओटी)	4 ½ **वर्ष**	68
6.	बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स (बीपीओ)	4 ½ **वर्ष**	39
7.	मास्टर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स (एमपीओ)	2 **वर्ष**	11
	एसवीएनआईआरटीएआर, कटक		
1.	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बीपीटी)	4½ **वर्ष**	62
2.	बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी (बीओटी)	4½ **वर्ष**	62
3.	बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स (बीपीओ)	4½ **वर्ष**	46
4.	मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी (एमपीटी)	2 **वर्ष**	15
5.	मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी (एमओटी)	2 **वर्ष**	15
6.	मास्टर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स (एमपीओ)	2 **वर्ष**	10
7.	डीएनबी, पीएमआर	01(प्राथमिक) 01(माध्यमिक)	01+01
8.	सर्टिफिकेट कोर्स इन बेंच स्किल्स (सीबीएस)	1 **वर्ष**	20
9.	बैचलर इन ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी (बीएएसएलपी)	4 **वर्ष**	20
10.	डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई)	2 **वर्ष**	20
	एनआईएलडी, कोलकाता		
1.	बैचलर इन फिजियोथेरेपी	4 ½ **वर्ष**	57
2.	बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी	4 ½ **वर्ष**	56
3.	बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स	4 ½ **वर्ष**	47
4.	मास्टर इन फिजियोथेरेपी (ओर्थोपेडिक्स)	2 **वर्ष**	7
5.	मास्टर इन फिजियोथेरेपी (न्यूरोलोजी)	2 **वर्ष**	3
6.	मास्टर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी (ओर्थोपेडिक्स)	2 **वर्ष**	7
7.	मास्टर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स	2 **वर्ष**	7
8.	एम.एससी. इन नर्सिंग (ओर्थोपेडिक्स एवं रिहैबिलिटेशन नर्सिंग)	2 **वर्ष**	11
9.	पोस्ट ग्रेजुऐट डिप्लोमा इन डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन मैनेजमेंट	1 **वर्ष**	17
10.	सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कम्युनिटी बेस्ड इनक्लूसिव डेवलपमेंट	6 माह	40

एनआईईपीवीडी, देहरादून			
•	***मानव संसाधन विकास (एचआरडी) प्रशिक्षण कार्यक्रम***		
1.	एम.एड स्पेशल एजुकेशन (दृष्टि बाधित)	2 **वर्ष**	15
2.	एम.फिल इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी	2 **वर्ष**	11
3.	एम.फिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी	2 **वर्ष**	07
4.	पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी	1 **वर्ष**	16
5.	इंटीग्रेटेड एम.एससी. एप्लाइड साइकोलॉजी	5 **वर्ष**	40
6.	बी.एड स्पेशल एजुकेशन (दृष्टि बाधित)	2 **वर्ष**	33
7.	बी.एड स्पेशल एजुकेशन (बहु दिव्यांगता)	2 **वर्ष**	33
8.	डी.एड स्पेशल एजुकेशन (दृष्टि बाधित)	2 **वर्ष**	35
9.	डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई)	2 **वर्ष**	30
•	***कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम***		
1.	कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	1 **वर्ष**	21
2.	ब्रेल शॉर्टहैंड (हिंदी)	1 **वर्ष**	16
3.	ट्रेनिंग कोर्स इन ब्रेल स्टेनोग्राफी और सेक्रेटेरियल असिस्टेंस (इंग्लिश)	1 **वर्ष**	15
4.	रेडियो जॉकी	1 **वर्ष**	10
एवाईजेएनआईएसएचडी(डी), मुंबई			
1.	पीएचडी (ऑडियोलॉजी और स्पीच पैथोलॉजी)	3 + **वर्ष**	20
2.	पीएचडी (स्पेशल एजुकेशन)	3 + **वर्ष**	20
3.	मास्टर ऑफ साइंस (ऑडियोलॉजी)	2 **वर्ष**	12
4.	मास्टर ऑफ एजुकेशन – स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	2 **वर्ष**	23
5.	बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच–लेंग्वेज पैथोलॉजी	4 **वर्ष**	43
6.	बैचलर ऑफ एजुकेशन – स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	2 **वर्ष**	30
7.	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑडिटरी वर्बल थेरेपी	1 **वर्ष**	20
8.	डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लेंग्वेज	2 **वर्ष**	30
9.	डिप्लोमा इन इंडियन साइन लेंग्वेज इंटरप्रेटिंग	2 **वर्ष**	30
एनआईईपीआईडी,सिकंदराबाद			
1.	एम.फिल इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी (आईडी)	2 **वर्ष**	14+1(**ईडब्ल्यूएस**)
2.	एम.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2 **वर्ष**	25+2(**ईडब्ल्यूएस**)
3.	पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन अर्ली इंटरवेंशन	1 **वर्ष**	20+2(**ईडब्ल्यूएस**)
4.	बी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2 **वर्ष**	30+3(**ईडब्ल्यूएस**)
5.	डी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (आईडीडी)	2 **वर्ष**	35+3(**ईडब्ल्यूएस**)
6.	डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	1 **वर्ष**	30
7.	डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन (आईडी)	1 **वर्ष**	30
8.	डिप्लोमा इन इंडियन साइन लेंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई)	2 **वर्ष**	20
9.	कम्युनिटी बेस्ड इन्क्लूसिव डिवेलपमेंट (सीबीआईडी)	6 माह	40
10.	अभिभावकों के लिए देखभाल प्रदान करने का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सीसीसीजीपी)	6 माह	20

एनआईईपीएमडी, चेन्नई			
1.	एम.फिल (क्लिनिकल साइकोलॉजी)	2 **वर्ष**	13
2.	एम.एड स्पेशल एजुकेशन (बहु दिव्यांगता)	2 **वर्ष**	20
3.	बी.एड स्पेशल एजुकेशन (बहु दिव्यांगता)	2 **वर्ष**	30
4.	डी.एड स्पेशल एजुकेशन (बहु दिव्यांगता)	2 **वर्ष**	35
5.	डीआईएसएलआई	2 **वर्ष**	30
6.	डीओएएटी *	1 **वर्ष**	15
7.	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली इंटरवेंशन (पीजीडीईआई)	1 **वर्ष**	15
8.	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बीपीटी)	4½ **वर्ष**	28
9.	बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी और स्पीच–लेंग्वेज पैथोलॉजी (बीएएसएलपी)	4 **वर्ष**	27
10.	बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी (बीओटी)	4½ **वर्ष**	28
11.	बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स (बीपीओ)	4½ **वर्ष**	20
12.	सीसीसीजी–आरसीआई	1 **वर्ष**	30
13.	सीसीसीजी–पी	6 माह	30
आईएसएलआरटीसी, नई दिल्ली			
1.	डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई)	2 **वर्ष**	90
2.	डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लेंग्वेज (डीटीआईएसआई)	2 **वर्ष**	120

सीआरसी, गुवाहाटी			
1.	डिप्लोमा इन हियरिंग, लेंग्वेज एंड स्पीच (डीएचएलएस)	1 **वर्ष**	30
2.	बैचलर इन ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी	4 **वर्ष**	20
3.	डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई)	2 **वर्ष**	30
सीआरसीएस, रांची			
1.	डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई)	2 **वर्ष**	30
2.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन	2 **वर्ष**	35
सीआरसीएस, बालंगीर			
1.	डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई)	2 **वर्ष**	30
सीआरसी, इंफाल			
1.	डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई)	2 **वर्ष**	30
सीआरसी, शिलांग			
1.	डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई)	2 **वर्ष**	30
सीआरसी, पटना			
1.	डिप्लोमा इन हियरिंग, लेंग्वेज एंड स्पीच (डीएचएलएस)	1 **वर्ष**	30
2.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (वीआई)	2 **वर्ष**	35
3.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन - हियरिंग इंपेयर्ड (डी.एड एसई– वीआई)	2 **वर्ष**	35
4.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन - बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगता (डी.एड–एसई (आईडीडी)	2 **वर्ष**	35
5.	डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई)	2 **वर्ष**	30
6.	सीबीआईडी	6 माह	40
7.	सर्टिफिकेट कोर्स फॉर केयर गिवर – फॉर पीडब्ल्यूडी	6 माह	40
सीआरसी, त्रिपुरा			
1.	डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई)	2 **वर्ष**	30

सीआरसी, सिक्किम			
1.	डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई)	2 **वर्ष**	30
सीआरसी, सुंदरनगर			
1.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (दृष्टि बाधित)	2 **वर्ष**	35
2.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (श्रवण बाधित)	2 **वर्ष**	35
3.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (बौद्धिक दिव्यांगता)	2 **वर्ष**	35
4.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (बहु दिव्यांगता)	2 **वर्ष**	35
5.	डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई)	2 **वर्ष**	30
सीआरसी, गोरखपुर			
1.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (आईडीडी)	2 **वर्ष**	35
2.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (बहु दिव्यांगता)	2 **वर्ष**	35
3.	डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई)	2 **वर्ष**	30
4.	डिप्लोमा इन हियरिंग, लेंग्वेज एंड स्पीच (डीएचएलएस)	1 **वर्ष**	30
सीआरसी, नेल्लोर			
1.	डी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (एचआई)	2 **वर्ष**	35
2.	डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई)	2 **वर्ष**	30
3.	सर्टिफिकेट कोर्स फॉर केयर गिवर फॉर पेरेंट (सीसीसीजीपी)	6 माह	20
4.	कम्युनिटी बेस्ड इन्क्लूसिव डिवेलपमेंट (सीबीआईडी)	6 माह	40
सीआरसी, दावणगेरे			
1.	डी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडीडी)	2 **वर्ष**	35
2.	डी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (एचआइ)	2 **वर्ष**	35
3.	सर्टिफिकेट कोर्स फॉर केयर गिवर फॉर पेरेंट (सीसीसीजीपी)	6 माह	20
4.	कम्युनिटी बेस्ड इन्क्लूसिव डिसेबिलिटी (सीबीआईडी)	6 माह	40
5.	डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई)	2 **वर्ष**	30
सीआरसी राजनंदगांव			
1.	डी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडीडी)	2 **वर्ष**	35
2.	डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई)	2 **वर्ष**	30
3.	सर्टिफिकेट कोर्स फॉर केयर गिवर फॉर पेरेंट (सीसीसीजीपी)	6 माह	20
सीआरसी–कोझिकोड			
1.	बी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2 **वर्ष**	32
2.	डी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (आईडीडी)	2 **वर्ष**	35
3.	डी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (एमडी)	2 **वर्ष**	35
4.	डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई)	2 **वर्ष**	30
5.	सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी इन बेस्ड इनक्लूसिव डेवलपमेंट (सीबीआईडी)	6 माह	40
6.	सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ केयर गिविंग (सीसीसीजी)	10 माह	25

आरसी, कोलकाता			
1.	मास्टर ऑफ साइंस (स्पीच – लेंग्वेज पैथोलॉजी)	2 **वर्ष**	16
2.	बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच – लेंग्वेज पैथोलॉजी	4 **वर्ष**	34
3.	बैचलर ऑफ एजुकेशन – स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	2 **वर्ष**	23
4.	बैचलर ऑफ एजुकेशन – स्पेशल एजुकेशन– डिस्टेंस एजुकेशन (एचआई)	2.5 **वर्ष**	50
5.	डिप्लोमा इन एजुकेशन – स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	2 **वर्ष**	31
6.	डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन	2 **वर्ष**	30
7.	डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज	2 **वर्ष**	20
8.	डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लिकेशन	1 **वर्ष**	20
9.	पीएच.डी (ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी)	3 **वर्ष**	04

आरसी, सिकंदराबाद			
1.	मास्टर ऑफ साइंस (ऑडियोलॉजी)	2 **वर्ष**	13
2.	बैचलर ऑफ साइंस (ऑडियोलॉजी, स्पीच – लेंग्वेज पैथोलॉजी	4 **वर्ष**	34
3.	बैचलर ऑफ एजुकेशन – स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	2 **वर्ष**	30
4.	डिप्लोमा इन एजुकेशन – स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	2 **वर्ष**	35
5.	डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज	2 **वर्ष**	20
आरसी, नोएडा			
1.	बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी, स्पीच–लेंग्वेज पैथोलॉजी	4 **वर्ष**	25
2.	डिप्लोमा इन एजुकेशन– स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	2 **वर्ष**	38
आरसी, जानला, ओडिशा			
1.	बैचलर इन एजुकेशन– स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	2 **वर्ष**	30
2.	डिप्लोमा इन एजुकेशन– स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट)	2 **वर्ष**	36
3.	डिप्लोमा इन टिचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज	2 **वर्ष**	30
4.	डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन	2 **वर्ष**	30
5.	डिप्लोमा इन हियरिंग, लेंग्वेज एंड स्पीच	2 **वर्ष**	30
एनआईईपीआईडी आरसी, नोएडा			
1.	एम.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2 **वर्ष**	15+2 (**ईडब्ल्यूएस**)
2.	बी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2 **वर्ष**	30+3 (**ईडब्ल्यूएस**
3.	डी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (आईडीडी)	2 **वर्ष**	35+3 (**ईडब्ल्यूएस**)
4.	एम.फिल इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी (आईडी)	2 **वर्ष**	08
एनआईईपीआईडी आरसी, नवी मुंबई			
1.	एम.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2 **वर्ष**	15+1 (**ईडब्ल्यूएस**)
2.	बी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2 **वर्ष**	20+2 (**ईडब्ल्यूएस**)
3.	डी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (आईडीडी)	2 **वर्ष**	35+3 (**ईडब्ल्यूएस**)
4.	डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	1 **वर्ष**	30+3 (**ईडब्ल्यूएस**)
5.	डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन (आईडी)	1 **वर्ष**	25+2 (**ईडब्ल्यूएस**)
एनआईईपीआईडी आरसी, कोलकाता			
1.	एम.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2 **वर्ष**	12+1 (**ईडब्ल्यूएस**)
2.	बी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)	2 **वर्ष**	30+3 (**ईडब्ल्यूएस**)
3.	डी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (आईडीडी)	2 **वर्ष**	35+3 (**ईडब्ल्यूएस**)
4.	डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन (आईडी)	1 **वर्ष**	30+3 (**ईडब्ल्यूएस**)
5.	बी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (आईडी)- ओडीएल	2.5 **वर्ष**	50

*****

अनुबंध -IV

दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 तक डीडीआरएस के अंतर्गत गैर–सरकारी संगठनों को जारी सहायता अनुदान का विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	ज़िला	संगठन का नाम	जारी किया गया सहायता अनुदान
1	तेलंगाना	नालगोंडा	आशा ज्योति वेलफेयर एसोसिएशन फॉर द डिसेबल्ड (आशा ज्योति वेलफेयर एसोसिएशन)	32.98
2	तेलंगाना	हैदराबाद	आत्मीय मानसिक विकास केंद्रम	45.02
3	मणिपुर	जिरीबाम	अचिवमेंट ऑफ राइजिंग मेडेन	20.04
4	उत्तर प्रदेश	लखीमपुर–खेरी	आदर्श मूक बधिर विद्यालय	111.47
5	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम	आदि आंध्र एजुकेशनल सोसाइटी	20.14
6	आंध्र प्रदेश	एलुरु	आदित्य एजुकेशनल सोसाइटी	25.44
7	उत्तर प्रदेश	अयोध्या (फैजाबाद)	अखिल भारतीय विकलांग कल्याण समिति	41.78
8	गुजरात	वडोदरा	अक्षर ट्रस्ट	25.97
9	दिल्ली	दक्षिण पश्चिम	अक्षय प्रतिष्ठान	31.21
10	आंध्र प्रदेश	वाईएसआर	अल–शिफा माइनोरिटी इंस्टिट्यूशन्स फॉर मेंटली रिटार्डेड एंड ओल्ड– ऐज	17.76
11	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	अलकेंदु बोध निकेतन रेसिडेंसियल	55.23
12	ओडिशा	गंजम	ऑल इंडिया वूमेन्सन कांफ्रेन्स (मनोविकास जीईएमएमएआईडब्यू सी)	13.31
13	केरल	एर्नाकुलम	अल्फोंस सोशल सेंटर	66.76
14	दिल्ली	पूर्व	अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट	90.84
15	हरियाणा	जींद	अमर ज्योति फाउंडेशन	71.09
16	पंजाब	रूपनगर	अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन	55.36
17	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	आनंद ट्रेनिंग चैरिटेबल सोसाइटी	18.12
18	तेलंगाना	हैदराबाद	आंध्र महिला सभा, दुर्गाबाई देशमुख वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर फॉर हैंडिकैप्ड	85.38
19	तेलंगाना	निजामाबाद	आंध्र प्रदेश स्टेपट फोरम फॉर इकोनोमिकली वीकर सेक्शन	25.91

20	तेलंगाना	हैदराबाद	अनुराग ह्यूमन सर्विस	40.48
21	तेलंगाना	निजामाबाद	एपी स्टेट फोरम फॉर इकोनोमिकली वीकर सेक्शन	24.95
22	हरियाणा	पंचकुला	आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन (एडब्यूडब्यूए), {वेस्टर्न कमांड आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन (आर्मी वेलफेयर सोसाइटी)}	29.55
23	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	आर्य सुगंध संस्थान	14.27
24	पश्चिम बंगाल	बर्धमान	आसनसोल आनंदम	20.99
25	पश्चिम बंगाल	हावड़ा	आशा भवन सेंटर	20.64
26	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर	आशा दीप धर्मार्थ सेवा समिति	4.49
27	पंजाब	होशियारपुर	आशा दीप वेलफेयर सोसाइटी	39.45
28	केरल	कोट्टायम	आशा निलयम	186.65
29	असम	गुवाहाटी	आशा रिहैबिलिटेशन सेंटर	51.56
30	हरियाणा	हिसार	आशा स्कूल	47.55
31	उत्तर प्रदेश	बबीना झांसी	आशा विद्यालय समिति	6.26
32	केरल	कोझिकोड	आशाकिरण एसोसिएशन फॉर द मेंटली रिटार्डेड पर्सन्स	33.15
33	ओडिशा	बलांगीर	एसोसिएशन फॉर सोशल हेल्प इन रूरल एरिया	2.88
34	ओडिशा	जगतसिंहपुर	एसोसिएशन फॉर सोशल रिकन्सट्रक्टिव एक्टिविटिज (एएसआरए)	72.89
35	ओडिशा	बौद्ध	एसोसिएशन फॉर सोशल वर्क एंड सोशल रिसर्च	9.19
36	हरियाणा	फरीदाबाद	एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ हैंडिकैप्ड	31
37	ओडिशा	पुरी	एसोसिएशन फॉर वोलंटरी एक्शन	159.6
38	महाराष्ट्र	पुणे	अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट	30.04
39	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	बीसीजी स्कूल फॉर द डेफ	35.71
40	बिहार	मुजफ्फरपुर	बाबा गरीबनाथ विकलांग सह–जन सेवा संस्थान	53.41
41	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	बाधित बाल विकास समिति	42.83
42	तमिलनाडु	चेन्नई	बाल विद्यालय– द स्कूल फॉर यंग डेफ चिल्ड्रन	7.03
43	तेलंगाना	मेडचला और मलकाजगिरी	बालविकास एजुकेशनल सोसायटी फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन	30.49
44	पश्चिम बंगाल	बांकुड़ा	बरजोरा अशर आलो	33.97
45	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	भागीरथ सेवा संस्थान	22.13
46	ओडिशा	खोरधा	भैरबी क्लब	28.96
47	ओडिशा	मयूरभंज	भारत ज्योति	19.65

48	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	भारत स्काउट्स एंड गाइड्स	14.53
49	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	विकासयान	29.8
50	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन	13.98
51	तमिलनाडु	चेन्नई	कार्मेल सेंटर फॉर मेंटली रिटार्डेड	54.15
52	केरल	इडुक्की	कार्मेल ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट	111.03
53	मणिपुर	थौबल	सेंटर फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटिज (सीडीएसी)	7.86
54	आंध्र प्रदेश	पालनादू	सेंटर फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन	56.68
55	मणिपुर	इंफाल पश्चिम	सेंटर फॉर मेंटल हायजीन	107.25
56	ओडिशा	भद्रक	सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन सर्विसेस एंड रिसर्च	66.96
57	आंध्र प्रदेश	चिराला, प्रकाशम	चैतन्य इंस्टीट्यूट फॉर द लर्निंग डिसेबल्ड	13.58
58	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम	चैतन्य महिला मंडली	31.81
59	दिल्ली	पूर्व	चंद्र भूषण सिंह मेमोरियल महिला बाल एवं श्रवण विकलांग शिक्षा एवं पुनर्वास संस्थान	37.01
60	केरल	एर्नाकुलम	चावरा स्पेशल स्कूल फॉर आईडी, कूनम्माव	53.88
61	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	चेतना	113.51
62	तेलंगाना	हैदराबाद	चाइल्ड गाइडलाइन सेंटर	65.28
63	पश्चिम बंगाल	नार्थ 24 परगना	चित्तरंजन स्मृति प्रतिबंध सेवा केंद्र	11.33
64	तमिलनाडु	चेंगलपट्टू	क्रिश्चियन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड–इंडिया	24.18
65	मणिपुर	इंफाल पश्चिम	काउंसिल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पूअर एंड लेबरर्स	106.07
66	आंध्र प्रदेश	वाईएसआर	दर्शिनी हैंडिकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी	14.81
67	उत्तर प्रदेश	मेरठ	डेफ एंड डंब स्कूल	45.1
68	तमिलनाडु	चेन्नई	डेवलपमेंट एजुकेशन सेंटर	23.73
69	तेलंगाना	हैदराबाद	देवनार फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड	91.22
70	असम	लखीमपुर	डिक्रोंग वेली एनवायरमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	31.88
71	राजस्थान	जयपुर	दिशा ए रिसोर्स सेंटर फॉर द डिसेबल्ड	45.4
72	उत्तर प्रदेश	बरेली	दिशा समिति	24.15

73	ओडिशा	झारसुगुडा	डिस्ट्रिक्टि डिसेबल्ड स्कूल	46.62
74	हरियाणा	हिसार	डीओटी आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन आशा स्कूल (डॉट आशा सेंटर (आर्मी वेलफेयर सोसाइटी)	15.05
75	पश्चिम बंगाल	बर्धमान	डॉ. शैलेंद्र नाथ मुखर्जी मूक बधिर विद्यालय	176.3
76	मेघालय	शिलांग	द्वार जिंगकिरमेन स्कूल फॉर चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ स्पेशल एजुकेशन	7.22
77	तेलंगाना	महबूबनगर	इको क्लब ब्रह्मा इंस्टिट्यूट फॉर द मेंटली हैंडिकैप्ड	40.11
78	मणिपुर	थौबल	एजुकेशनल एंड रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन	25.04
79	केरल	वेएंड	एम्माउस विला चौरिटेबल सोसाइटी	85.33
80	केरल	एर्नाकुलम	फेथ इंडिया	73.16
81	तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	फ्लोरेंस स्वेनसन हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर द डेफ	36.88
82	उत्तर प्रदेश	मेरठ	फ्रेंड ऑफर हैंडिकैप्ड – इंडिया	60.46
83	ओडिशा	केंद्रपाड़ा	गांधीयन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट (जीआईटीए)	11.57
84	तेलंगाना	निजामाबाद	ग्रेसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट सर्विस	41.88
85	राजस्थान	बीकानेर	ग्रामीण उत्थान मानव संस्थान	17.31
86	उत्तर प्रदेश	आगरा	हैंडिकैप्ड डेवलपमेंट काउंसिल	56.77
87	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	हेलेन केलर मेमोरियल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड	18.87
88	तेलंगाना	मडचला और मलकाजगिरी	हेलेन केलर्स स्कूल फॉर द डेफ	264.76
89	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	होली क्रॉस सोशल सर्विस सोसाइटी	65.1
90	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर	होप सोसाइटी फॉर हैंडीकैप्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड एजुकेशन (एचओपीई)	56.56
91	मणिपुर	इम्फाल पूर्व	ह्यूमन एमपावरमेंट फॉर सोशल इंटिग्रेशन	9.69
92	हिमाचल प्रदेश	ऊना	ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन सेल एंड वेलफेयर एसोसिएशन	19.43
93	आंध्र प्रदेश	कृष्ण	इमैकुलेट हार्ट ऑफ मैरी सोसाइटी फॉर वेलफेयर ऑफ डिसेबल्ड, गुनाडाला, विजयवाड़ा	53.25
94	मणिपुर	इम्फाल पूर्व	इम्फाल गार्जियन सोसाइटी	24.06
95	ओडिशा	कटक	भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी	113.27

96	दिल्ली	नई दिल्ली	इंस्टिट्यूशन फॉर द ब्लाइंड	31.86
97	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	इंस्टिट्यूट फॉर द हैंडिकैप्ड एंड बेकवर्ड पीपुल	138.84
98	उत्तर प्रदेश	जौनपुर	इंटिग्रेटेड इंस्टिट्यूट फॉर डिसेबल्ड	123.1
99	आंध्र प्रदेश	एलुरु	जे एंड जे करुणोदय इंस्टिट्यूट फॉर मेंटली हैंडिकैप्ड	37.09
100	ओडिशा	पुरी	जयकिशन यूथ क्लब	18.59
101	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	जलपाईगुड़ी वेलफेयर ऑर्गेनाईजेशन	39.61
102	दिल्ली	दक्षिण	जनता आदर्श अंध विद्यालय	56.95
103	केरल	कन्नूर	जेसी सोसाइटी फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड	17
104	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	जीयर एजुकेशनल ट्रस्ट	41.55
105	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	जॉनसन अकादमी इंस्टिट्यूट	64.18
106	मध्य प्रदेश	जबलपुर	जस्टिस तन्खा मेमोरियल रोटरी इंस्टीट्यूट फॉर स्पास्टिक एंड हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन	28.27
107	ओडिशा	गंजम	कबी नरसिंह मठ, ब्लाइंड एंड डेफ स्कूल	2.69
108	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	कला भारती रेसिडेंसियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड (कला सोशल वेलफेयर सोसाइटी)	6.19
109	आंध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी	कल्याणी रूरल रिहैबिलिटेशन एंड एजुकेशनल सोसाइटी	42.22
110	मणिपुर	कांगपोकपी	कांगचुप एरिया ट्राईबल वूमन सोसाइटी	14
111	केरल	कोल्लम	करुणा स्पेशल स्कूल फॉर मेंटली हैंडिकैप्ड (करुणा चौरिटेबल सोसाइटी)	17.28
112	राजस्थान	करौली	काव्य शिक्षा एवं विकास सेवा संस्थान	20.15
113	गुजरात	मेहसाणा	खोडियार एजुकेशन ट्रस्ट	8.54
114	तेलंगाना	रंगा रेड्डी	किरणम	6.74
115	तमिलनाडु	चेन्नई	कोंगु अरिवलयम स्कूल फॉर मेंटली रिटार्टेड	50.58
116	पश्चिम बंगाल	नार्थ 24 परगना	कोरक प्रतिस्पर्धा कल्याण केंद्र	10
117	बिहार	सहरसा	कोशी क्षेत्रीय विकलांग विधवा विवाह कल्याण समिति	30.48
118	आंध्र प्रदेश	नांदयाल	क्रांति एजुकेशन सोसाइटी	58.35
119	उत्तर प्रदेश	संभल	केएसजे हाई स्कूल	41.7
120	तेलंगाना	मेडचल हैदराबाद	लक्ष्य साधना सोसाइटी फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड	41.98

121	राजस्थान	कोटा	लाल बहादुर शास्त्री शिक्षा समिति	2.5
122	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	लेबेनशिल्फ़	42.69
123	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	लीमा डेफ एंड मेंटली हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन	37.86
124	तमिलनाडु	तिरुवल्लूर	लाइफ ऐड सेंटर फॉर द डिसेबल्ड	9.46
125	हरियाणा	पानीपत	लोक कल्याण फाउंडेशन	29.34
126	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	लुई ब्रेल ब्लाइंड वेलफेयर सोसाइटी (लुई ब्रेल ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन)	22.1
127	तमिलनाडु	चेन्नई	मधुरम नारायणन सेंटर फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन	13.08
128	केरल	त्रिशूर	मैडोना चैरिटेबल सोसाइटी	23.99
129	मध्य प्रदेश	जबलपुर	महाकोशल नवज्योति सोसाइटी (नव ज्योति स्पेशल स्कूल)	30.46
130	ओडिशा	गजपति	महाराजा कृष्ण चंद्र गजपति स्कूल फॉर ब्लाइंड एंड डेफ	26.13
131	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	महर्षि साम्बा मूर्ति इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल एंड डेवलपमेंट स्ट्डीज	19.2
132	राजस्थान	दौसा	महावीर बाल शिक्षा और विकास समिति	15.76
133	तमिलनाडु	चेन्नई	मनसा स्कूल फॉर द स्पेशल चिल्ड्रन (मनसा स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन सोसाइटी तिरुवल्लूर)	6.03
134	तेलंगाना	खम्मम	मानसिक विकास केंद्रम	258.71
135	मणिपुर	इम्फाल (बिष्णुपुर)	मणिपुर गाइडेंस सेंटर (एमएजीसी)	20.04
136	तेलंगाना	वारंगल	मनोचेतना	20.08
137	केरल	कोल्लम	मनोविकास	64.59
138	केरल	पलक्कड़	मैरियन सर्विस सोसाइटी	69.29
139	उत्तर प्रदेश	मेरठ	मेरठ चिल्ड्रन वेलफेयर ट्रस्ट	27.19
140	तेलंगाना	खम्मम	मेफी मेंटली रिहैबिलिटेशन सेंटर	45.15
141	केरल	पथानामथिट्टा	एमजीएम बेथानी शांति भवन	84.21
142	हरियाणा	सोनीपत	मोड्रन एजुकेशन सोसाइटी	31
143	मेघालय	तुरा	मोंटफोर्ट सेंटर फॉर एजुकेशन	95.77
144	मध्य प्रदेश	उज्जैन	नागदा जेनिथ सोशल वेलफेयर सोसाइटी	79.58
145	उत्तराखंड	देहरादून	नन्ही दुनिया बधिर विद्यालय	24.02

146	दिल्ली	दक्षिण पश्चिम	नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड	23.71
147	हरियाणा	फरीदाबाद	नेशनल एसोसिएशन फॉर द इंटिग्रेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द हैंडिकैप्ड	6.38
148	दिल्ली	ओखला	नेशनल हैंडिकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	6.6
149	ओडिशा	संभलपुर	नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर वूमन डेवलपमेंट	23.71
150	ओडिशा	सुबरनपुर	नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	42.39
151	राजस्थान	जयपुर	नव चेतना मानसिक एवं मूक बधिर विद्यालय	42.88
152	पंजाब	पटियाला	नवजीवनी स्कूल फॉर स्पेशल एजुकेशन	20.56
153	ओडिशा	खोरधा	नेहरू सेवा संघ	13.63
154	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	नेहरू युवाजन सेवा संगम	52.91
155	तेलंगाना	सिकंदराबाद	न्यू डॉन बॉस्को एजुकेशनल सोसाइटी	30.29
156	ओडिशा	पुरी	नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान	181.69
157	पश्चिम बंगाल	पूर्व मेदिनीपुर	निमतौरी तामलुक उन्नयन समिति	50.51
158	मध्य प्रदेश	भोपाल	निर्मल माता सोसाइटी (शालोम स्पेशल स्कूल)	53.32
159	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	नॉर्थ बंगाल हैंडिकैप्ड रिहैबिलिटेशन सोसाइटी, सिलीगुड़ी	120.69
160	असम	कामरूप	नॉर्थ इंस्ट वोलंटरी एसोसिएशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट	9.25
161	ओडिशा	खोरधा	ओपन लर्निंग सिस्टम	22.85
162	मणिपुर	टेंग्नौपाल	ओरिएंटल रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन	11.9
163	उत्तर प्रदेश	कानपुर	पहल विकलांग पुनर्वास केंद्र	56
164	हिमाचल प्रदेश	चंबा	पैराडाइज चिल्ड्रन केयर सेंटर, चवारी	14.9
165	तेलंगाना	सिकंदराबाद	पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड पर्सन्स सिकंदराबाद (पीएएमईएनसीएपी, सिकंदराबाद)	13.1
166	तेलंगाना	पेद्दापल्ली	पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड पर्सन्स सिकंदराबाद (पीएएमईएनसीएपी), गोदावरीखानी, करीमनगर	34.75
167	तेलंगाना	हैदराबाद	पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड पर्सन्स सिकंदराबाद (पीएएमईएनसीएपी)	105.93
168	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	पेरेंट्स ऑन क्लिनिक फॉर डेफ चिल्ड्रन	14.48
169	ओडिशा	मयूरभंज	परिवर्तन	24

170	आंध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी	परिवर्तन इंटिग्रेटेड रूरल पीपुल वेलफेयर सोसाइटी	21.45
171	तमिलनाडु	चेन्नई	पाथवे सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन एंड एजुकेशन फॉर मेंटली रिटार्डेड, ए यूनिट ऑफ डॉ. डीएमसी ट्रस्ट	73.31
172	ओडिशा	पुरी	पतितपावन सेवा संघ, पुरी	46.17
173	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	पावनी इंस्टीट्यूट फॉर मल्टीपल हैंडीकैप्ड एंड स्पास्टिक्स	36.51
174	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर	पवाहरि स्मृति परिषद	21.74
175	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	पहचान एजुकेशन सोसाइटी	1.87
176	मणिपुर	छुरछंदपुर	पीपुल एडवांस इन सोशल सर्विस	43.69
177	तेलंगाना	हैदराबाद	पीपुल विथ हियरिंग इंपेयर्ड नेटवर्क	65.08
178	आंध्र प्रदेश	तिरुपति	पीपुल एक्शन फॉर सोशल सर्विस	16.74
179	आंध्र प्रदेश	नेल्लोर	प्रगति चैरिटीज	101.57
180	केरल	इडुक्की	प्रतीक्षा भवन स्कूल फॉर मेंटली रिटार्टेड	32.41
181	केरल	त्रिशूर	प्रतीक्षा चैरिटेबल सोसाइटी	31.86
182	राजस्थान	जयपुर	प्रयास सेंटर फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग (प्रयास)	50.44
183	असम	जोरहाट	प्रेरणा प्रतिस्पर्धा शिशु विकास केंद्र	50.87
184	तेलंगाना	हैदराबाद	राधा इंस्टिट्यूट फॉर मेंटली हैंडिकैप्ड	2.7
185	मध्य प्रदेश	विदिशा	राजुल विकलांग (दिव्यांगजन) पालक अभिभावक उत्थान समिति	26.37
186	केरल	एर्नाकुलम	रक्षा सोसाइटी फॉर द केयर ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स	58.14
187	पश्चिम बंगाल	नरेंद्रपुर	रामकृष्ण मिशन आशाराम (रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड बॉयज़ अकादमी)	62.95
188	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	रमन शिक्षा समिति	24.47
189	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	राष्ट्रीय सेवा समिति	200.03
190	उत्तर प्रदेश	हाथरस	रावत शिक्षा समिति	42.44
191	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	रीच (रेमेडियल एजुकेशन असेसमेंट काउंसिलिंग ऑफ द हैंडिकैप्ड)	24.42
192	मणिपुर	इंफाल पश्चिम	रिक्रिएशन ए वॉलंटरी एजेंसी स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ मणिपुर	34.79
193	मणिपुर	थौबल	रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हैंडिकैप्ड पर्सन्स (आरआईएचपी)	68.44
194	ओडिशा	भद्रक	रीजनल रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर	50.13
195	तेलंगाना	जोगुलम्बा गडवाल	रेसिडेंसियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड	67.74
196	केरल	तिरुवनंतपुरम	रोटरी इंस्टिट्यूट फॉर चिल्ड्र्न इन नीड ऑफ स्पैशल केयर	47.57
197	मणिपुर	थौबल	रूरल डेवलपमेंट सोसायटी	8.87

198	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	रूरल एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट	13.63
199	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	रूरल इंडिया मेडिकल एंड रिलीफ सोसायटी	52.44
200	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम	एसकेआर पीपल्स वेलफेयर सोसायटी	72.83
201	तेलंगाना	संगारेड्डी	सबिता एजुकेशनल सोसाइटी	50.63
202	तेलंगाना	मेडचला और मलकाजगिरी	साधना सोसाइटी फॉर मेंटली हैंडिकैप्ड	57.01
203	ओडिशा	नयागढ़	शहीद युबा संघ	20.24
204	उत्तर प्रदेश	बलिया	सामाजिक उत्थान समिति	37.65
205	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर	समर्पण संस्था	45.02
206	राजस्थान	जयपुर	संबल समिति	43.47
207	राजस्थान	जयपुर	संभव स्कूल फॉर ऑटिज़म एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी	24.6
208	गुजरात	जूनागढ़	संप्रत एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट	3.04
209	तेलंगाना	आदिलाबाद	संरक्षण वेलफेयर सोसायटी फॉर इंटेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन	49.53
210	उत्तर प्रदेश	बस्ती	संचित विकास संस्थान	16.92
211	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद	संज्ञा शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति	9.71
212	केरल	कोट्टायम	संजोस वेलफेयर सेंटर	154.06
213	उत्तर प्रदेश	इटावा	संत रविदास समाज कल्याण शिक्षा समिति	53.25
214	केरल	कोट्टायम	शांतिनिलयम फॉर हैंडिकैप्ड चिल्ड्न	28.75
215	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	शांतिवर्धन मिनिस्ट्रीं	56.78
216	पुदुचेरी	पुदुचेरी	सत्य स्पेशल स्कूल	56
217	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	सीमा सेवा संस्थान	53.81
218	कोटायम	कोटायम	सेवानिकेतन	76.26
219	केरल	कन्याकुमारी	शांति निलयम	22.72
220	तमिलनाडु	रंगा रेड्डी	शांतिनिकेतन	79.18
221	तेलंगाना	हुगली	शेल्टर (सोसाइटी फॉर हेल्प एजुकेशन लव ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द रिटार्डेड)	72.75
222	पश्चिम बंगाल	कोटा	शिखर सोसाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड	24.39
223	राजस्थान	ऋषिकेश	श्री भारत मंदिर स्कूल सोसाइटी	24.93

224	उत्तराखंड	वाराणसी	श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय	84.28
225	उत्तंर प्रदेश	फतेहपुर	श्री कृष्ण आदर्श विद्या मंदिर	13.18
226	उत्तर प्रदेश	मोरबी	श्री नवजीवन विकलांग सेवाश्रय	16.78
227	गुजरात	पुदुचेरी	श्री पचप्पणे स्कूल फॉर द हियरिंग इंपेयर्ड (श्री पचप्पणे सोसाइटी)	8.29
228	पुदुचेरी	इंदौर	श्री श्री उत्कर्ष समिति	19.46
229	मध्य प्रदेश	मुजफ्फरपुर	शुभम	27.63
230	बिहार	काकीनाडा	सिरी एजुकेशनल सोसाइटी	92.51
231	आंध्र प्रदेश	कृष्ण	सिरिशा रिहैबिलिटेशन सेंटर	49.04
232	आंध्र प्रदेश	कृष्ण	श्रीमती मेरला राममा मेमोरियल ट्रस्ट, गन्नवरम	26.15
233	आंध्र प्रदेश	रीवा	स्नेह शिक्षण एवं मानव सेवा संस्थान	20.77
234	मध्य प्रदेश	एर्नाकुलम	स्नेहा सदन	36.73
235	केरल	निजामाबाद	स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन	151.16
236	तेलंगाना	त्रिशूर	स्नेहाराम चैरिटेबल सोसाइटी	51.06
237	केरल	इम्फाल पूर्व	सोशल एंड हेल्थ डेवलपमेंट ऑर्गेनाईजेशन	104.01
238	मणिपुर	छुरछंदपुर	सोशल ह्यूमन एक्शन फॉर रूरल एम्पावरमेंट सोसायटी	16.77
239	केरल	त्रिशूर	सोशल वेलफेयर सेंटर	62.52
240	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम	सोसायटी फॉर एजुकेशन ऑफ द डेफ एंड ब्लाइंड	36.8
241	तेलंगाना	सूर्यापेट	सोसायटी फॉर एजुकेशनल एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द डिसेबल्ड (एसईआरडी)	20.94
242	मणिपुर	बिश्नुपुर	सोसायटी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ द डिसेबल्ड	66
243	ओडिशा	नयागढ़	सोसायटी फॉर एम्पावरमेंटल डेवलपमेंट एंड वोलंटरी एक्शन (सेवा)	53.33
244	उत्तर प्रदेश	अमरोहा	सोसायटी फॉर इंस्टिट्यूट ऑफ साइको रिसर्च एंड हेल्थ	75.94
245	केरल	कन्नूर	सोसायटी फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली डिफिसिएंट (आश्रयम)	13.47
246	मेघालय	पूर्वी खासी हिल्स	सोसायटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द डिसेबल्ड	61.3
247	पंजाब	पटियाला	सोसायटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द हैंडिकैप्ड	215.27
248	राजस्थान	जयपुर	सोसायटी फॉर वेलफेयर ऑफ मेंटली हैंडिकैप्ड	28.15
249	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	सोसाइटी ऑफ हिडन स्प्राउट्स स्पैशल स्कूल फॉर मेंटली हैंडिकैप्ड	62
250	मिजोरम	आइज़ोल	स्पास्टिक सोसायटी ऑफ मिजोरम	56.42

251	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम	स्फूर्ति वेलफेयर सोसायटी	30.63
252	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	श्री विवेकानंद एजुकेशनल सोसाइटी	19.76
253	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	श्री दक्षिणा भाव समिति	91.25
254	कर्नाटक	कोलार	श्री रमण महर्षि ट्रस्ट फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स	21.69
255	तेलंगाना	हैदराबाद	श्री विद्या सेंटर फॉर स्पेशल चिल्ड्रन	16.06
256	आंध्र प्रदेश	नांदयाल	सेंट एन्स मनोविकास केंद्र	226.33
257	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	सेंट फ्रांसिस स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड रन बाई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट	25.26
258	केरल	अलपुझा	सेंट जोसेफ सोशल सेंटर	53.28
259	केरल	त्रिशूर	सेंट जोसेफ मेंटल हेल्थ केयर होम	29.01
260	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	सनलाइट एजुकेशनल सोसाइटी	24.26
261	छत्तीसगढ	सूरजपुर	सरगुजा ज्ञानोदय एसोसिएशन	91.71
262	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	सूर्य किरण पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड	179.99
263	हरियाणा	रेवाड़ी	सूर्योदय एजुकेशन सोसाइटी	17.23
264	पश्चिम बंगाल	अलीपुरद्वार	स्वप्ना सोसाइटी फॉर ड्रीम ऑफ सक्सेस	28.27
265	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम	स्वर्ण स्वयं कृषि	66.56
266	केरल	त्रिशूर	स्वश्रय रीच सोसाइटी फॉर रेमिडियल एजुकेशन असेसमेंट काउंसलिंग ऑफ हैंडीकैप्ड	45.39
267	तेलंगाना	मेडचला और मलकाजगिरी	स्वयंकृषि	21.34
268	नागालैंड	कोहिमा	तबीथा इनेबलिंग सोसायटी	14.52
269	राजस्थान	श्री गंगानगर	तपोवन मनोविकास विद्यालय समिति	24.42
270	पंजाब	होशियारपुर	टेक चंद सूद चैरिटेबल ट्रस्ट	21.72
271	मणिपुर	थौबल	द डेवलपमेंट फॉर वूमन प्रोग्राम सेंटर	14.93
272	मणिपुर	इंफाल पश्चिम	द हैंडिकेप्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन	5.09
273	ओडिशा	भुवनेश्वर	द इंस्टिट्यट फॉर हैल्पिंग द डिसेबल्ड	59.02
274	तेलंगाना	करीमनगर	द करीमनगर डिस्ट्रिक्ट फ्रीडम फाइटर ट्रस्ट	46.02
275	मणिपुर	इंफाल पश्चिम	द पायनियर डेवलपमेंट एसोसिएशन	28.85

276	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	द रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट	15.9
277	तमिलनाडु	चेन्नई	द स्कूल फॉर यंग डेफ चिल्ड्रन (बाला विद्यालय)	10.89
278	तेलंगाना	सूर्यापेट	द सोसायटी फॉर एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन फॉर द डिसेबल्ड एईआरडी	42.74
279	मेघालय	पूर्वी खासी हिल्स	द सोसायटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द डिसेबल्ड	72.8
280	मिजोरम	आइजोल	थुतक नुनपुइतु टीम	15.27
281	असम	जोरहाट	टीटाबार फिजिकली हैंडिकेप्ड डेफ एंड डंब स्कूल एंड ट्रेनिंग सेंटर	15.61
282	मणिपुर	थौबल	टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूशन एंड रूरल डेवलपमेंट सर्विस (टीडब्यू आईआरडीएस)	93.23
283	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा	उमा एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसाइटी	94.92
284	ओडिसा	खोरधा	यूनियन फॉर लर्निंग ट्रेनिंग एंड रिफॉर्मेटिव एक्टिविटीज (यूएलटीआरए)	31.58
285	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश मूक बधिर विद्यालय	211.79
286	मध्य प्रदेश	जबलपुर	वंदन पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान	37.64
287	मध्य प्रदेश	सीहोर	वसुंधरा वेलफेयर फाउंडेशन	9.15
288	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	वेलुगु	55.71
289	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	विक्ट्री इंडिया चैरिटेबल टेंट ऑफ़ रेस्क्यू यॉट	14.79
290	ओडिशा	भद्रक	विजया	56.18
291	केरल	कन्नूर	विकास सोशल सर्विस सोसाइटी	38.42
292	उत्तराखंड	नैनीताल	विकलांग मंद बुद्धि कल्याण समिति	61.23
293	उत्तंर प्रदेश	आगरा	विकलांग समेकित पुनर्वास संस्थान (इंटिग्रेटेड इंस्टिट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन फॉर द डिसेबल्ड)	28.66
294	गुजरात	दाहोद	विकलांग सर्वांगी विकास ट्रस्ट, दाहोद	17.52
295	मध्य प्रदेश	जबलपुर	विकलांग सेवा भारती	27.89
296	केरल	एर्नाकुलम	विमला महिला समाजम	42.99
297	पंजाब	लुधियाना	वोकेशनल रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर	14.1
298	आंध्र प्रदेश	नंद्याला	वोकेशनल ऑर्गेनाईजेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट सोसायटी	70.42
299	ओडिशा	केंदुझार	वोकेशनल ऑर्गेनाईजेशन फॉर रूरल इंप्रुमेंट	18.28
300	उत्तर प्रदेश	कौशाम्बी	वृंदावन शिक्षा एवं जन कल्याण समिति	127.21
301	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम	वूमन एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर	37.59
302	मणिपुर	इम्फाल पूर्व	वूमेन्स इकोनोमिक डेवलपमेंट सोसायटी (डब्यूईडीएस)	5.91
303	पंजाब	पटियाला	नव चेतना मानसिक एवं मूक बधिर विद्यालय	23.49
304	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	रमन शिक्षा समिति	12.24

II. 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों को जारी की गई सहायता अनुदान का विवरण

(रूपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य	डीडीआरसी का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	जारी की गई सहायता अनुदान
1	गुजरात	डीडीआरसी अहमदाबाद	डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट टीम	4.81
2	राजस्थान	डीडीआरसी अजमेर	राजस्थान महिला कल्याण मंडल संस्था	13.22
3	राजस्थान	डीडीआरसी अलवर	मंथन फाउन्डेशन चरिटेबल ट्रस्ट	13.16
4	महाराष्ट्र	डीडीआरसी अमरावती	अपंग जीवन विकास संस्था	20.83
5	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी बालाघाट	दीन दयाल अंत्योदय समिति	15.22
6	ओडिशा	डीडीआरसी भद्रक	सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन सर्विसेज एंड रिसर्च (सीआरसी), ओडिशा	23.63
7	राजस्थान	डीडीआरसी भरतपुर	राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी	12.92
8	हिमाचल प्रदेश	डीडीआरसी बिलासपुर	चेतना, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश	19.21
9	राजस्थान	डीडीआरसी चित्तौड़गढ़	भगवती सेवा एवं शिक्षण संस्थान, चित्तौड़गढ़	25.20
10	ओडिशा	डीडीआरसी देवगढ़	साई श्री (सोशल अवेयरनेस इंस्टीट्यूट फॉर सर्विस, हेल्प, रिसर्च, एजुकेशन एंड एम्पलॉयमेंट)	25.24
11	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी देवरिया	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी	35.58
12	ओडिशा	डीडीआरसी ढेकनाल	अरुण इंस्टिट्यूट ऑफ रुरल अफेयर्स (AIRA), ढेकनाल, ओडिशा	29.15
13	आन्ध्र प्रदेश	डीडीआरसी ईस्ट गोदावरी	उमा एजुकेशन एंड टेक्नीकल सोसायटी	29.17
14	आन्ध्र प्रदेश	डीडीआरसी एलुरु	उमा एजुकेशनल एंड टेक्नीकल सोसायटी	20.83
15	असम	डीडीआरसी गोलाघाट	इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसोर्स डेवलपमेंट, नगांव	32.14
16	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी गोरखपुर	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी	19.83
17	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी गुना	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी (IRCS)	20.52
18	ओडिशा	डीडीआरसी जगतसिंहपुर	एसोसिएशन फॉर सोशल रिकींस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज (ASRA)	27.41
19	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी झाबुआ	जिला प्रबंधन टीम (DMT)	17.68
20	आन्ध्र प्रदेश	डीडीआरसी काकीनाडा	उमा एजुकेशन एंड टेक्नीकल सोसायटी	24.78

21	राजस्थान	डीडीआरसी कोटा	लाल बहादुर शास्त्री शिक्षण समिति	13.16
22	हिमाचल प्रदेश	डीडीआरसी कुल्लू	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी	6.37
23	महाराष्ट्र	डीडीआरसी लातूर	संवेदना सेरेबल पाल्सी रन बाई द आरएसएस जनकल्याण समिति	40.53
24	पश्चिम बंगाल	डीडीआरसी मालदा	हैदरपुर शेल्टर ऑफ मालदा	23.39
25	महाराष्ट्र	डीडीआरसी नागपुर	महात्मा गांधी सेवा संघ	34.37
26	आन्ध्र प्रदेश	डीडीआरसी नांडयाल	एमएन रुरल एंड अर्बन डेवलपमेंट सोसायटी	28.91
27	ओडिशा	डीडीआरसी नयागढ़	सोसायटी फॉर एनवायरनमेंटल डेवलपमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन (SEVA)	1.89
28	राजस्थान	डीडीआरसी पाली	रिद्धि सिद्धि सेवा संस्थान, जालोर, राजस्थान	12.73
29	आन्ध्र प्रदेश	डीडीआरसी पलनाडु	इंटिग्रेटेड हाई स्कूल (सेंटर फॉर डिसेब्ल्ड)	8.80
30	महाराष्ट्र	डीडीआरसी परभणी	महात्मा गांधी सेवा संघ, परभनी	6.69
31	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी पीलीभीत	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	3.03
32	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी रामपुर	उपासना जन कल्याण समिति, रामपुर	3.76
33	तेलंगाना	डीडीआरसी रंगारेड्डी	किरणम	48.66
34	पंजाब	डीडीआरसी संगरूर	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, संगरूर, पंजाब	2.99
35	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी संत कबीर नगर	संचित विकास संस्थान	18.39
36	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी शिवपुरी	मंगलम	11.78
37	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी सिद्धार्थ नगर	संचित विकास संस्थान, बस्ती	46.76
38	ओडिशा	डीडीआरसी सुवर्णपुर	नेशनल रुरल डेवलपमेंट कोपरेशन	17.03
39	उत्तराखंड	डीडीआरसी टिहरी गढ़वाल	ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति (RADS)	7.96
40	राजस्थान	डीडीआरसी उदयपुर	नारायण सेवा संस्थान	14.85
41	गुजरात	डीडीआरसी वडोदरा	जिला प्रबंधन टीम (DMT)	26.35
42	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी वाराणसी	जिला प्रबंधन टीम (DMT)	48.08
43	आन्ध्र प्रदेश	डीडीआरसी वाईएसआर	दर्शिनी हैंडीकेप्ड सोसायटी	57.46

*****

अनुबंध-V

एडिप योजना के तहत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा आयोजित शिविरों, उपयोग की गई निधियां और शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या का राज्य–वार विवरण

		वित्त वर्ष 2024-25			2025 (01.01.2025 से		
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शिविरों की संख्या	शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (लाख में)	शिविरों की संख्या (अन्य)	शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या (अन्य)	उपयोग की गई निधियां (लाख में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8	218	14.50	5	137	10.59
2	आंध्र प्रदेश	89	10076	1686.58	52	12308	1826.80
3	अरुणाचल प्रदेश	10	86	10.13	11	132	14.69
4	असम	94	11506	1075.56	72	19335	1817.32
5	बिहार	111	5152	785.37	57	4205	626.56
6	चंडीगढ़	6	781	186.78	8	442	88.50
7	छत्तीसगढ़	25	1365	231.70	25	1541	257.14
8	दिल्ली	58	5847	907.76	58	5586	801.92
9	गोवा	11	224	33.18	10	1286	127.75
10	गुजरात	152	26548	3237.41	54	10835	1478.28
11	हरियाणा	61	4005	750.92	78	4920	1016.51
12	हिमाचल प्रदेश	34	1752	157.36	28	1687	152.40
13	जम्मू और कश्मीर	30	2967	328.60	41	8144	774.95

14	झारखंड	44	8277	836.88	67	9490	1035.56
15	कर्नाटक	57	10989	1324.45	158	23557	2635.52
16	केरल	25	1425	152.72	30	1372	130.84
17	लद्दाख	3	130	13.39	2	23	1.94
18	लक्षद्वीप	3	257	18.83	5	273	20.08
19	मध्य प्रदेश	152	14078	2511.38	165	22486	3102.25
20	महाराष्ट्र	157	19308	2636.40	120	16186	1619.96
21	मणिपुर	17	440	43.97	16	284	50.33
22	मेघालय	18	777	50.84	23	969	79.15
23	मिजोरम	21	373	29.78	17	200	18.78
24	नागालैंड	14	590	47.82	13	295	25.76
25	ओडिशा	149	15556	1579.03	164	16278	1564.97
26	पुदुचेरी	24	393	102.59	28	634	118.35
27	पंजाब	62	8273	2029.32	62	6520	1217.19
28	राजस्थान	114	15407	1697.81	95	17666	2268.05
29	सिक्किम	6	18	2.68	6	66	8.79
30	तमिलनाडु	54	2499	416.12	68	4900	726.60
31	तेलंगाना	228	8961	1417.24	84	9018	1255.77
32	दादरा और नगर हवेली	17	455	54.05	18	312	33.96
33	त्रिपुरा	29	784	90.32	22	1024	124.56
34	उत्तर प्रदेश	352	54799	9240.60	329	46770	6959.86
35	उत्तराखंड	54	2442	401.98	24	1262	229.27
36	पश्चिम बंगाल	142	14652	1358.66	115	12489	1336.97
	कुल	**2431**	**251410**	**35462.71**	**2130**	**262632**	**33557.92**

*****

अनुबंध-VI

दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों और उपकरणों के वितरण के लिए एडिप योजना के तहत वर्ष 2024–25 के दौरान (01.01. 2025 से 31.12.2025) राष्ट्रीय संस्थानों/एलिम्को/समेकित क्षेत्रीय केन्द्रों और गैर–सरकारी संगठनों को जारी की गई सहायता अनुदान।

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	शिविर / मुख्यालय	एसएसए	सीआई	कुल
1.	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, एलिम्को, कानपुर	263.27	40.68	-	303.95
2.	अली यावर जंग वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुंबई	1.21	-	6.11	7.32
3.	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, (एसवीनिरतार), कटक, ओडिशा	0.75	-	-	0.75
4.	राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईईपीएमडी), चेन्नई, तमिलनाडु	2.42	-	-	2.42
5.	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद, तेलंगाना	0.13	-	-	0.13
6.	नारायण सेवा संस्थान (एनएआरएसएस), उदयपुर, राजस्थान	5.00	-	-	5.00
7.	श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर, राजस्थान	5.00	-	-	5.00
8	मोबिलिटी इंडिया, बैंगलोर, कर्नाटक	0.37	-	-	0.37
	कुल	**278.15**	**40.68**	**6.11**	**324.94**

*****

अनुबंध – **VII**

सिपडा योजना के तहत (10 लाख रूपये से ज्यादा) (01.01.2025 से 31.12.2025) जारी की गई अनुदान सहायता

क. **(I) बाधामुक्त वातावरण का निर्माण**

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय/संस्थान/कॉलेज/गैर–सरकारी संगठनों का नाम	जारी की गई कुल राशि (लाख रूपये में)
अरूणाचल प्रदेश सरकार	1272.10
आंध्रप्रदेश सरकार	31.00
हिमाचल प्रदेश सरकार	142.17
मध्य प्रदेश सरकार	364.46
उत्तराखंड सरकार	15.60
उत्तर प्रदेश सरकार	562.21
सिक्किम सरकार	142.81
पश्चिम बंगाल सरकार	76.53
पंजाब विश्वविद्यालय (चंडीगढ़)	521.74
छत्तीसगढ़ सरकार	348.52
सीआरसी लखनउ, उत्तर सरकार	105.79

(II) सुगम्य भारत अभियान

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय/संस्थान/कॉलेज/ गैर–सरकारी संगठनों का नाम	जारी की गई कुल राशि (लाख रूपये में)
तमिलनाडु सरकार	1381.06
मध्यप्रदेश सरकार	756.25
सिक्किम सरकार	64.23
उत्तर प्रदेश सरकार	466.10

ख. विशिष्ट दिव्यांगता पहचान परियोजना

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उद्देश्य	जारी की गई राशि (रूपये करोड में)
राज्य सरकार का सहायता अनुदान	राज्य समन्वयक का पारिश्रमिक	1.71
एनआईसीएसआई	एसएमएस सेवा खरीद और पुनःनिर्माण एवं सिस्टेमैटिक यूडीआईडी प्रोजेक्ट	2.50
डाक विभाग	यूडीआईडी कार्ड की स्पीड पोस्ट डिलीवरी सेवाएं	4.51
कलरप्लास्ट	यूडीआईडी कार्ड की छपाई	1.22
सीडैक	ई–केवाईसी और आधार वॉल्ट सेवा	0.44
युवा पेशेवर	पारिश्रमिक	0.05
कुल		**10.43**

ग. जागरूकता सृजन कार्यक्रम

01.01.2025 से 31.12.2025 तक		
क्र. सं.	**संगठन का नाम**	**जारी की गई राशि (करोड़ में)**
1.	एनडीएफडीसी	5.38
2.	एलिम्को	0.36
3.	एवाईजेएनआईएसएचडी	0.13
4.	सीआरसी, अहमदाबाद	0.22
5.	सीआरसी, दावणगेरे	0.11
6.	सीआरसी, गुवाहाटी	0.26
7.	सीआरसी, लखनऊ	0.13
8.	सीआरसी, नेल्लोर	0.11
9.	सीआरसी, राजनंदगांव	0.11
10.	सीआरसी, त्रिपुरा	0.15
11.	आईएसएलआरटीसी, नई दिल्ली	0.24
12.	राष्ट्रीय, नई दिल्ली	0.13
13.	एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद	1.33
14.	एनआईईपीएमडी, चेन्नई	0.17

घ. सुगम्य शिक्षण सामग्री (डीएएलएम परियोजना) का निर्माण : डीएएलएम परियोजना के तहत अलग–अलग फॉर्मेट के लिए 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान आवर्ती और गैर आवर्ती व्यय के लिए ₹ 2,16,62,390/– की राशि जारी की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क.सं.	प्रारूप	आवर्ती सहायता अनुदान	गैर–आवर्ती सहायता अनुदान
1.	ब्रेल	₹ 1,39,79,671/-	₹ 17,00,307/-
2.	बड़ा प्रिंट	₹ 1,62,747/-	₹ 28,25,000/-
3.	ई–पब	₹ 1,61,630/-	₹ 3,00,000/-
4.	टॉकिंग बुक	₹ 2,59,500/-	-
5.	प्रशासनिक	₹ 22,73,535/-	-
	कुल	₹ 1,68,37,083/-	₹ 48,25,307/-

*****

अनुबंध- VIII

I. दिव्य कला मेलों की सूची

क्र. सं.	स्थान	दिनांक
2025 (01.01.2025 से 31.12.2025 तक)		
1.	वडोदरा, गुजरात	09–19 जनवरी, 2025
2.	जम्मू, जम्मू और कश्मीर	14–24 फरवरी, 2025
3.	उदयपुर, राजस्थान	21–30 मार्च, 2025
4.	पटना, बिहार	23–31 अगस्त, 2025
5.	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	15–23 नवंबर, 2025
6.	नई दिल्ली	13–21 दिसंबर, 2025

II. दिव्य कला शक्तियों की सूची

क्र. सं.	राज्य	स्थान	तारीख
2025 (01.01.2025 से 31.12.2025 तक)			
1.	गुजरात	अकोटा स्टेडियम, वडोदरा	19 जनवरी, 2025
2.	जम्मू एवं कश्मीर	गुलशन ग्राउंड, जम्मू	24 फरवरी, 2025
3.	राजस्थान	नगर निगम ग्राउंड, उदयपुर	30 मार्च, 2025
4.	बिहार	गांधी मैदान, पटना	31 अगस्त, 2025
5.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	23 नवंबर, 2025
6.	नई दिल्ली	कर्तव्य पथ	21 दिसंबर, 2025

III. पर्पल मेलों की सूची

राष्ट्रीय संस्थान	स्थान और तिथि	समेकित क्षेत्रीय केंद्र	स्थान और तिथि	कुल
आईएसएलआरटीसी, नई दिल्ली	एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा, 10, 11 सितंबर, 2025	-	-	1

एवाईजेएनआईएसएचडी(डी), मुंबई	पालघर कलेक्टर कार्यालय, 27.06.2025	सीआरसी अहमदाबाद	अंबाजी, राजकोट, गुजरात, 19.11.2025	2
एनआईएलडी, कोलकाता	-	सीआरसी त्रिपुरा	चिल्डर्न प्लेग्राउंड, अगरतला,12.03.2025	6
			बीबीआई प्लेग्राउंड, नॉर्थ त्रिपुरा, 26.03.2025	
			टाउन हॉल अंबासा, धलाई जिला, 24.09.2025	
		सीआरसी सिक्किम	पाकयोंग जिला, 19.03.2025	
			नामची, 15.09.2025	
		सीआरसी नाहरलागुन	ईटानगर, 21.03.2025	
एसवीएनआईआरटीएआर, कटक	ढेंकनाल, 20.06.2025	सीआरसी गुवाहाटी	सिलचर, 9.03.2025	14
			बक्सा, 7.03.2025	
			शिवसागर, 21.03.2025	
			कामरूप मेट्रो, 24.03.2025	
			बारपेटा, 12.03.2025	
		सीआरसी इंफाल	इम्फाल वेस्ट, 27.03.2025	
			इम्फाल पूर्व, 29.03.2025	
		सीआरसी रांची	जमशेदपुर, 27.07.2025	
			रामगढ़, 14.12.2025	
		सीआरसी शिलांग	रिभोई जिला, 01.11.2025	
			ईस्ट खासी जिला, 27.08.2025	
			वेस्ट जैंतिया हिल्स, 17.09.2025	
		सीआरसी बलांगीर	बलांगीर, 17.12.2025	
एनआईएमएचआर, सीहोर	सीहोर, 16.10.2025	सीआरसी भोपाल	गुना, 23.09.2025	3
			सागर,12.11.2025	

एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद	भूपलपल्ली, 25.07.2025	सीआरसी दावणगेरे	दावणगेरे, 28.06.2025	15
			रायचूर, 18 -19 सितंबर, 2025	
			यादगीर, 24 - 25 सितंबर, 2025	
	यानम, 20.09.2025	सीआरसी नेल्लोर	पार्वतीपुरम, 29.07.2025	
	लातूर, 08.09.2025		वाईएसआर कडप्पा, 22.08.2025	
	विजयवाड़ा, 28.09.2025		एएसआर जिला, 25.09.2025	
	विशाखापत्तनम, 22.09.2025	सीआरसी राजनांदगांव	सीआरसी कैंपस, 28.07.2025	
			कोरबा, 23.08.2025	
	हैदराबाद, 21.06.2025		महासमुंद, 26.09.2025	
पीडीयूएनआईपीपीडी, नई दिल्ली	-	सीआरसी लखनऊ	चित्रकूट, 24 और 25 सितंबर , 2025	1
एनआईईपीवीडी, देहरादून	-	सीआरसी गोरखपुर	आजमगढ़, 23 से 24 सितंबर, 2025	3
			बीआरडी मेडिकल कॉलेज, 17 और 18 जुलाई, 2025	
		सीआरसी सुंदरनगर	बीबीएमबी, सुंदरनगर, 9–10 अक्टूबर, 2025	
			कुल	**45**

प्रशिक्षण संस्थान		
संस्थानों का नाम	**स्थान और तिथि**	
इंडियन रेलवे इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मेनेजमेंट (आईआरआईटीएम)	आईआरआईटीएम कैंपस, लखनऊ, 5 सितंबर, 2025	1
नेशनल कम्युनिकेशन अकेडमी – फाइनेंस	घिटोरनी, नई दिल्ली, 3 दिसंबर, 2025	1
नेशनल अकेडमी ऑफ डारेक्ट टैक्स (रीजनल कैम्पस –भोपाल)	एनएडीटी आरसी–भोपाल, 3 दिसंबर , 2025	1
नेशनल अकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्स (रीजनल कैम्पस – मुंबई)	आयकर भवन, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई, 3 दिसंबर , 2025	1
इंस्टिट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मेनेजमेंट (आईएसटीएम)	आईएसटीएम कैंपस, नई दिल्ली, 30 दिसंबर , 2025	1
कुल		**50**

*****

I. वर्श–2025 के लिए दिव्यांगजनों के सषक्तिकरण हेतु राश्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं की सूची

क्र.सं.	श्रेणी	पुरस्कार विजेता का नाम
1.	सर्वश्रेश्ठ दिव्यांगजन	1. सुश्री अबोली विजय जारित 2. सुश्री मेघा पतंगी 3. श्रीमती भाग्यश्री मनोहर नदीमेटला–कन्ना 4. श्री बसंत विकास साहू 5. लेफ्टिनेंट कर्नल द्वारकेष चन्द्रषेखरन 6. श्री राजेष षरद केतकर
2.	श्रेश्ठ दिव्यांगजन	1. सुश्री पूजा गर्ग 2. श्री निपुण कुमार मल्होत्रा 3. सुश्री रक्षिता राजू 4. श्री युद्धजीत दे 5. श्रीमती दीपाली षर्मा 6. श्री फर्डिनेंड लिंगदोह मार्षिलोंग 7. सुश्री गायत्री गुप्ता 8. श्री श्रेयस किरण एन एस 9. कुमारी षीबा कोइलपिचाई 10. श्री मिरांडा डोनबोसको टोमकिनसन
3.	श्रेश्ठ दिव्यांग बाल/बालिका	1. मास्टर मुहम्मद याज़ीन 2. कुमारी धृति प्रणय रांका
4.	दिव्यांगजनों के सषक्तिकरण के लिए कार्यरत सर्वश्रेश्ठ व्यक्ति	1. श्री राजीव भट्ट 2. श्रीमती देवांगी पराग दलाल
5.	दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत सर्वश्रेश्ठ पुनर्वास पेषेवर (रिहैबिलिटेषन प्रोफेषनल)	1. डॉ. श्रुति मोरे भारद्वाज
6.	दिव्यांगता के सषक्तिकरण के क्षेत्र में सर्वश्रेश्ठ अनुसंधान / नवप्रवर्तन / उत्पाद विकास	1. श्री प्रतीक माधव

II. दिव्यांगजनों के सषक्तिकरण में संलग्न संस्थानों के लिए राश्ट्रीय पुरस्कार

क्र.सं.	श्रेणी	संस्था का नाम
1.	दिव्यांगजनों के सषक्तिकरण हेतु सर्वश्रेश्ठ संस्थान (प्राइवेट अर्ष्नाइजेषन / एनजीओ)	1. जय वकील फाउंडेषन एंड रिसर्च सेंटर 2. आर्मी वेलफेयर एजुकेषन सोसाइटी
2.	दिव्यांगों के लिए सर्वश्रेश्ठ नियोक्ता (सरकारी संगठन / पीएसई / स्वायत्त निकाय / निजी क्षेत्र)	1. विंध्य ई इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड
3.	दिव्यांगों के लिए सर्वश्रेश्ठ प्लेसमेंट एजेंसी (गवर्नमेंट/स्टेट गवर्नमेंट/लोकल बॉडिज को छोड़कर)	1. सारथी सीआरएम प्राइवेट लिमिटेड
4.	सुगम्य भारत अभियान के क्रियान्वयन / बाधामुक्त वातावरण के सृजन में सर्वश्रेश्ठ राज्य / यूटी / जिला	1. लुंगलेई जिला, मिज़ोरम
5.	सर्वश्रेश्ठ सुगम्य यातायात के साधन / सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (गवर्नमेंट/प्राईवेट ऑर्गनाइजेशन)	1. बैरियर ब्रेक सष्ल्यूषंस प्राइवेट लिमिटेड
6.	दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम / यूडीआईडी एवं दिव्यांग सशक्तिकरण की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य / यूटी / जिला	1. एजुकेषन डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार 2. राजकोट जिला, गुजरात
7.	दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अपने राज्य में क्रियान्वयन में सर्वश्रेश्ठ राज्य आयुक्त दिव्यांगजन	1. अषफिस अष्फ द स्टेट कमिष्नर फष्र पर्सन्स विद डिसैबिलिटीज़, ओडिषा
8.	पुनर्वास पेषेवरों के विकास में संलग्न सर्वश्रेश्ठ संगठन	1. प्रमिला कटियार स्पेषल एजुकेषन इंस्टिट्यूट, पुखरायन, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेष

*****

अनुबंध-X

(I) भारतीय पुनर्वास परिषद की प्रमुख पहलें और उपलब्धियां (2025–26):-

i. एकीकृत विशेष और समावेशी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईएसआईटीईपी):

इस परिषद ने 101 संस्थानों को विभिन्न दिव्यांगताओं में ISITEP कार्यक्रम को बुनियादी (F), प्रारंभिक (P), मध्य (M), और माध्यमिक (S) स्तर पर प्रदान करने की स्वीकृति दी है।

ii. बी.एससी. क्लिनिकल मनोविज्ञान (ऑनर्स) कार्यक्रम:

इस परिषद ने 36 संस्थानों को बी.एससी. क्लिनिकल मनोविज्ञान (ऑनर्स) पाठ्यक्रम चलाने की स्वीकृति दी है।

iii. एम.ए क्लिनिकल मनोविज्ञान:

इस परिषद ने 32 संस्थानों को एम.ए क्लिनिकल मनोविज्ञान पाठ्यक्रम चलाने की स्वीकृति दी है।

iv. आरसीआई द्वारा अनुमोदित संस्थान और पाठ्यक्रम: आरसीआई ने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है कि शिक्षार्थियों की विस्तृत श्रृखला तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुगम्य हो। वर्ष 2014 से पूर्व, 493 संस्थान आरसीआई स्वीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहे थे, जो वर्तमान में बढ़कर 1,066 संस्थानों तक पहुँच गए हैं। ये संस्थान प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल., और साइ.डी. स्तर के आरसीआई–मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम चला रहे हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तरीय 08 मुक्त विश्वविद्यालय और 01 केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय डिग्री एवं स्नातकोत्तर स्तर पर ओपन डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रम भी चला रहा हैं।

v. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास और मानकीकरण: भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 के अंतर्गत प्रदत्त अधिदेश के अनुसार, यह परिषद नियमित रूप से प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल. एवं साइ.डी.स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास एवं मानकीकरण करती है। वर्ष 2014 तक आरसीआई द्वारा 63 प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए गए थे, जो विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वर्तमान में बढ़कर **91** प्रशिक्षण कार्यक्रम हो गए हैं।

vi. केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर में पंजीकरण: आर.सी.आई. अधिनियम, 1992 के तहत, केवल उन योग्य पुनर्वास पेशेवरों को ही इस क्षेत्र में काम करने की अनुमति है, जिनके पास मान्यता प्राप्त प्रमाणन है और जो केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर में सूचीबद्ध हैं। यह पेशे में उच्च मानक सुनिश्चित करने के उनके प्रयास का हिस्सा है। व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के अपने सतत प्रयासों में, आरसीआई ने पिछले वर्ष पेशेवरों और कार्मिकों को **20497** पंजीकरण प्रदान किए, जिसके साथ आज तक संचयी कुल **2,91,777** व्यक्ति पंजीकृत हो चुके हैं। इस प्रकार, पंजीकृत पुनर्वास पेशेवरों एवं कार्मिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014 में 90,553 से बढ़कर आज की स्थिति के अनुसार **2,91,777** हो गई है, अर्थात् **288%** की वृद्धि दर्ज की गई है।

vii. सतत पुनर्वास शिक्षा (सीआरई) कार्यक्रम: ज्ञान और कौशल को उन्नत करने तथा सीआरआर को बनाए रखने के लिए परिषद ने **1,562(ऑफलाइन और ऑनलाइन)** सीआरई कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे **3,11,190 से अधिक पंजीकृत पेशेवर लाभान्वित** हुए। वर्ष 2014 के दौरान इस परिषद द्वारा 701 सीआरई कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जो अब बढ़कर 1,562 कार्यक्रमों तक पहुँच गई है, जिनसे 3.11 लाख लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ, अर्थात् 220% की वृद्धि दर्ज की गई।

viii. बी.एड. विशेष शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग: आरसीआई ने **राज्य स्तरीय 8 मुक्त विश्वविद्यालयों और इग्नू** के साथ सहयोग किया है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पांच साल के एमओयू के माध्यम से, आरसीआई ने विभिन्न दिव्यांगताओं (एचआई/वीआई/आईडी/एलडी) पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड के माध्यम से एम.एड. विशेष शिक्षा, बी.एड. विशेष शिक्षा, पी.जी डिप्लोमा और प्रमाणपत्र स्तरीय कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाया है।

ix. डिप्लोमा और प्रमाणपत्र स्तरीय पाठ्यक्रमः आरसीआई ने डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रमों की अपनी व्यापक श्रृंखला के माध्यम से व्यक्तियों को सशक्त बनाना जारी रखा है। 2023–25 के बैच में, इस परिषद ने **79%** की उल्लेखनीय उत्तीर्ण दर हासिल की, जिसमें **20,237** छात्रों में से **16,040** ने सफलतापूर्वक अपनी परीक्षाएँ पूरी कीं। इसी तरह, 2023–24 बैच में **66.02%** की उत्तीर्ण दर देखी गई, जिसमें **29,980** छात्रों में से **19,793** उत्तीर्ण हुए। वर्ष 2014 से पूर्व प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रमों में कुल 12,769 नामांकन थे, जो अब बढ़कर 35,030 तक पहुँच गये हैं।

x. समुदाय–आधारित समावेशी विकास कार्यक्रम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (सीबीआईडी) : 22 नवंबर, 2018 को ऑस्ट्रेलिया सरकार के समाज सेवा विभाग के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) और भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) ने मेलबर्न विश्वविद्यालय के साथ मिलकर भारत में प**हला योग्यता–आधारित समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी)** कार्यक्रम विकसित किया है। आरसीआई ने 2024 में सीबीआईडी के अपने तीसरे बैच को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस परिषद द्वारा सीबीआईडी पाठ्यक्रम के चौथे एवं पाँचवें बैच के लिए 37 संस्थानों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जो 01.04.2025 से प्रारंभ हुआ है। वर्तमान में, सीबीआईडी पाठ्यक्रम का पाँचवाँ बैच 37 संस्थानों में संचालित किया जा रहा है।

xi. ई–गवर्नेंस पहलें: इसके अतिरिक्त, इस परिषद ने ई–गवर्नेंस की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों को अपनाया है तथा वर्तमान में केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (CRR) के पंजीकरण एवं अनुरक्षण के लिए पूर्णतः ऑनलाइन समाधान, सतत पुनर्वास शिक्षा (CRE) प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्वीकृति एवं संचालन हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, विशेष शिक्षा एवं दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु प्रशिक्षण संस्थानों के ऑनलाइन मूल्यांकन की व्यवस्था, प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल, उत्तर पुस्तिकाओं का ऑनलाइन मूल्यांकन तथा परिणामों की ऑनलाइन घोषणा की जा रही है। इसके अतिरिक्त, इस परिषद के प्रशासनिक कार्यों हेतु पूर्ण रूप से ई–ऑफिस प्लेटफॉर्म को अपनाया गया है। उपर्युक्त सभी गतिविधियाँ वर्ष 2014 से 2025 के दौरान विकसित एवं क्रियान्वित की गई हैं।

(II) अटल विहारी बाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र (एबीवी–टीसीडीएस), ग्वालियर की प्रमुख गतिविधियाँ (जनवरी 2025 से दिसंबर 2025):-

- यह संस्थान दिव्यांगजनों को विश्व स्तरीय और आधुनिक सुविधाओं के साथ खेल प्रशिक्षण प्रदान करता है, ताकि वे पैरालिंपिक, डेफलिंपिक, स्पेशल ओलंपिक और दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकें और पदक जीत सकें। यहाँ खेल सुविधाओं में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल और टैनिस जैसी आउटडोर गतिविधियाँ शामिल हैं। साथ ही, इनडोर गतिविधियों के अंतर्गत बैडमिंनंटन, व्हीलचेयर बास्केटबॉल, टेबल टैनिस, सिटिंग वॉलीबॉल, जूडो, ताइक्वान्डो, व्हीलचेयर फेंसिंग, व्हीलचेयर रग्बी, बोक्किया, गोलबॉल, फुटबॉल 5–ए–साइड, पैरा डांस स्पोर्ट और पैरा पावरलिफ्टिंग की सुविधा के साथ–साथ छात्रावास भी उपलब्ध है।
- पैरा बैडमिंटन प्रशिक्षण शिविर (दिसंबर 2024–जनवरी 2025): भारतीय दल के चार सदस्यों के लिए एबीवीटीसीडीएस, ग्वालियर में एक महीने का विशेष पैरा बैडमिंटन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था। शिविर का ध्यान पेशेवर कोचिंग और विश्व स्तरीय सुविधाओं के माध्यम से तकनीकी कौशल, शारीरिक फिटनेस और मैच रणनीतियों में सुधार करने पर केंद्रित था, जिसका उद्देश्य एथलीटों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना था।
- अखिल भारतीय पीएएफआई पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025: अखिल भारतीय पीएएफआई पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025 का सफल आयोजन 18–19 जनवरी 2025 को एबीवीटीसीडीएस ग्वालियर में किया गया था, जिसमें 20 राज्यों के लगभग 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस आयोजन ने समावेशी और प्रतिस्पर्धी खेल भावना को बढ़ावा दिया और इसका उद्घाटन माननीय मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा के साथ अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा किया गया।

- साइबर अपराध जागरूकता अभियान: हजीरा पुलिस थाने के सहयोग से 3 फरवरी 2025 को एबीवीटीसीडीएस में साइबर अपराध के विरूद्ध एक जागरूकता अभियान आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांग एथलीटों को ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर खतरों और सुरक्षित डिजिटल प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना था ताकि वे डिजिटल वातावरण में खुद को सुरक्षित रख सकें।

- XIV मध्य प्रदेश राज्य पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप: XIV मध्य प्रदेश राज्य पैरा एथलेटिक्स चैपियनशिप 3 फरवरी 2025 को एबीवीटीसीडीएस, ग्वालियर में आयोजित की गई थी। इसमें 35 एथलीटों की भागीदारी के साथ कुल 18 स्पर्धाएं आयोजित की गईं। इस केंद्र के प्रशिक्षणार्थियों ने सक्रिय रूप से इसमें भाग लिया, जिससे उन्हें बहुमूल्य प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन अवसर और अनुभव प्राप्त हुआ।

- चौथी राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट चैपियनशिप: चौथी राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट चैपियनशिप 5 से 15 फरवरी 2025 तक एबीवीटीसीडीएस, ग्वालियर में आयोजित की गई थी। 'डिसेबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया' के तत्वावधान में आयोजित इस चैंपियनशिप में 18 राज्यों की टीमों और 300 से अधिक विशिष्ट व्हीलचेयर क्रिकेट खिलाड़ियों ने भाग लिया, जो खेल में समावेशिता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देते हैं।

- जोनाथन कप – ऑल क्वॉड व्हीलचेयर रग्बी टूर्नामेंट: जोनाथन कप ऑल क्वॉड व्हीलचेयर रग्बी टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण 1 से 4 मार्च 2025 तक एबीवीटीसीडीएस, ग्वालियर में आयोजित किया गया था। इसमें 12 राज्यों के चौबीस क्वाड्रिप्लेजिक्स एथलीटों ने राउंड–राबिन फार्मेट के टूर्नामेंट में भाग लिया, जो प्रतिस्पर्धी भावना का प्रदर्शन करते हैं और भारत में व्हीलचेयर रग्बी को बढ़ावा देते हैं।

- आईबीएफएफ पार्शियली साइटेड फुटबॉल नेशनल चैपियनशिप: पहली आईबीएफएफ पार्शियली साइटेड फुटबॉल नेशनल चैपियनशिप 24–25 मार्च 2025 को एबीवीटीसीडीएस, ग्वालियर में आयोजित की गई थी। इसमें आठ राज्यों की टीमों ने कोचों और अधिकारियों के साथ भाग लिया, जो देश में आंशिक रूप से दष्टिबाधित फुटबॉल के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

- राष्ट्रीय कोचिंग तैयारी शिविर–1 (फुटबॉल): फुटबॉल के लिए राष्ट्रीय कोचिंग तैयारी शिविर–1 का आयोजन 14 से 23 मई 2025 तक एबीवीटीसीडीएस, ग्वालियर में किया गया था। इसमें दस राज्यों के एथलीटों और कोचों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य कौशल मूल्यांकन, प्रदर्शन में सुधार और भविष्य की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी करना था।

- 15वीं म.प्र. राज्य पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिपः 23 से 26 अगस्त 2025 तक आयोजित 15वीं मध्य प्रदेश राज्य पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एबीवीटीसीडीएस के एथलीटों ने भाग लिया और 22 पदक जीतकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी इन उपलब्धियों ने ग्वालियर जिले को समग्र रूप से दूसरा स्थान दिलाने में मदद की, जिससे पैरा–एथलीटों के बीच मनोबल और प्रेरणा बढ़ी।

- राष्ट्रीय खेल दिवस समारोहः मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में 29 अगस्त 2025 को एबीवीटीसीडीएस, ग्वालियर में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। तीन दिनों तक विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में विजेता एथलीटों को पदक देकर सम्मानित किया गया।

- पीसीआई ने 29 से 31 अगस्त 2025 तक नेशनल एथलेटिक्स यूथ चैंपियनशिप का आयोजन किया, जिसमें पूरे भारत से लगभग 1,100 एथलीटों ने भाग लिया। उनके प्रदर्शन के आधार पर, दिसंबर 2025 में दुबई में आयोजित यूथ पैरा एशियन चैपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए सर्वश्रेष्ठ एथलीटों का चयन किया गया।

- हिन्दी पखवाड़ा समारोहः सरकारी और दैनिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एबीवीटीसीडीएस में 15 सितंबर 2025 से हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। विभिन्न साहित्यिक और रचनात्मक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें अधिकारियों, कर्मचारियों और आवसीय एथलीटों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया।

- स्वच्छता पखवाड़ाः 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्तूबर 2025 तक एबीवीटीसीडीएस में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। कर्मचारियों, कोचों और एथलीटों की उत्साही भागीदारी के साथ पूरे परिसर में स्वच्छता अभियान और जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

- स्थापना दिवस और गांधी–शास्त्री जयंतीः महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के साथ–साथ 2 अक्तूबर 2025 को केंद्र का तीसरा स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम को गरिमा और उत्साह के साथ मनाया गया, जिसने अनुशासन, अखंडता और राष्ट्र सेवा के मूल्यों को सुदृढ़ किया गया।

- 'स्वस्थ महिला – सशक्त परिवार' अभियान एबीवीटीसीडीएस में 17 सितंबर से 2 अक्तूबर 2025 तक 'स्वस्थ महिला – सशक्त परिवार' अभियान आयोजित किया गया था। यह अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य जागरूकता पर केंद्रित था और इसमें परिवारों और समाज को मजबूत बनाने में सशक्त और स्वस्थ महिलाओं के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

- राष्ट्रीय एकता दिवसः 31 अक्तूबर 2025 को एबीवीटीसीडीएस में शपथ ग्रहण समारोह और 'रन फॉर यूनिटी' के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था। इस कार्यक्रम ने प्रतिभागियों के बीच राष्ट्रीय एकीकरण, कता और सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया।

- अंतर्राष्ट्रीय पैपल फेस्ट – अनुभव ज़ोनः 9 से 12 अक्तूबर 2025 तक पणजी, गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैपल फेस्ट के हिस्से के रूप में, एबीवीटीसीडीएस ने दिव्यांग खेलों के लिए एक ' अनुभव ज़ोन' स्थापित किया। इस पहल ने अनुकूलित खेलों और उपकरणों का व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया, जिससे दिव्यांगजनों के बीच जागरूकता बढ़ी और भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया।

- उत्तर मध्य दृष्टिबाधित फुटबॉल आंचलिक चैंपियनशिपः उत्तर मध्य दृष्टिबाधित फुटबॉल आंचलिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 1 से 3 नवंबर 2025 तक जशमेदपुर, झारखंड में किया गया था। इसमें उत्तराखंड की पुरूष और महिला टीमों ने भाग लिया, जिससे उन्हें आंचलिक स्तर पर प्रतिस्पर्धी अनुभव प्राप्त हुआ।

- दिव्य कला मेला – नवंबर 2025ः लखनऊ विश्वविद्यालय में 15 से 23 नवंबर 2025 तक दिव्य कला मेला 2025 का आयोजन किया गया था। एबीवीटीसीडीएस ने अनुकूलित खेलों को बढ़ावा देने और लाईव खेल प्रदर्शनों के माध्यम से दिव्यांग बच्चों को जोड़ने के लिए एक 'दिव्यांग खेल जागरूकता स्टॉल' स्थापित किया।

- वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगाठः वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगाठ के उपलक्ष्य में 7 नवंबर 2025 को एबीवीटीसीडीएस में एक स्मारक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अधिकारियों, कर्मचारियों, कोचों और एथलीटों ने राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हुए बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।

- संविधान दिवस समारोहः 26 नवंबर 2025 को एबीवीटीसीडीएस में संविधान दिवस अत्यंत गरिमामय तरीके से मनाया गया। इस समारोह का उद्देश्य सभी प्रतिभागियों के बीच संवैधानिक मूल्यों, कर्तव्यों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के बारे में जागरूकता फैलाना था।

- राष्ट्रीय बैडमिंटन कोचिंग कैंप – प्रेप 1ः 'स्पेशल ओलंपिक भारत' के तहत 10 से 19 नवंबर 2025 तक एबीवीटीसीडीएस में राष्ट्रीय बैडमिंटन कोचिंग कैंप – प्रेप 1 का आयोजन किया गया था। तकनीकी कौशल, फिटनेस और प्रतिस्पर्धी तैयारियों को बढ़ाने के लिए 17 राज्यों के एथलीटों और कोचों ने इसमें भाग लिया।

- राष्ट्रीय बोच्चे कोचिंग कैंप – प्रेप 1: राष्ट्रीय बोच्चे कोचिंग कैंप – प्रेप 1 का आयोजन 10 से 19 नवंबर 2025 तक एबीवीटीसीडीएस में किया गया था, जिसमें 18 राज्यों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह कैंपं आगामी प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए कौशल विकास और शारीरिक अनुकूलन पर केंद्रित था।

- राष्ट्रीय बास्केटबॉल कोचिंग कैंप – प्रेप 1: राष्ट्रीय बास्केटबॉल कोचिंग कैंप – प्रेप 1 का आयोजन 21 से 30 नवंबर 2025 तक एबीवीटीसीडीएस में किया गया था। इस कैंप का उद्देश्य 'स्पेशल ओलंपिक' कार्यक्रम के तहत एथलीटों के तकनीकी कौशल, टीम वर्क और मैच के लिए तत्परता में सुधार करना था।

- राष्ट्रीय तैराकी कोचिंग कैंप – प्रेप 1: राष्ट्रीय तैराकी कोचिंग कैंप – प्रेप 1 का आयोजन 21 से 30 नवंबर 2025 तक एबीवीटीसीडीएस में किया गया था। एथलीटों ने उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए तकनीक, सहनशक्ति और प्रदर्शन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रशिक्षण प्राप्त किया।

- अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवसः 3 दिसंबर 2025 को एबीवीटीसीडीएस में जिला स्तरीय खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया। इसमें समावेशिता और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देते हुए लगभग 650 दिव्यांगजनों सहित 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- दिव्य कला मेला – दिसंबर 2025ः दिव्य कला मेला दिसंबर, 2025 का आयोजन 13 से 21 दिसंबर, 2025 तक इंडिया गेट, नई दिल्ली में किया गया था। एबीवीटीसीडीएस ने अनुकूलित खेलों को बढ़ावा देने और दिव्यांग बच्चों व आगन्तुकों के बीच समावेशी जुड़ाव को प्रोत्साहित करने के लिए एक 'दिव्यांग खेल जागरूकता स्टॉल' स्थापित किया।

- एबीवीटीसीडीएस के **आवासीय कार्यक्रम** के प्रशिक्षु **श्री ठाकोर सिद्धराजजी प्रवीणजी** ने **डिस्कस थ्रो (टी37 श्रेणी) में चौथा स्थान** प्राप्त किया है – यह वास्तव में एक प्रेरक और सराहनीय उपलब्धि है।

- एबीवीटीसीडीएस, **ग्वालियर** की छात्रा **सुश्री आयुषी ठकराल** ने **एशियन यूथ पैरा बोक्किया, दुबई 2025** में शानदार प्रदर्शन किया है और अपने समर्पण एवं प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया है।

*****

अनुबंध-XI

सफलता की कहानियाँ

I. एडिप योजना

(क) श्री सुरेश चंद्र अग्रवाल, के निचले अंग के आरपीएम मामले में, उनके घुटने की क्षमता और संरेखण को बढ़ाने के लिए पीएमडीके, अहमदाबाद में उनके घुटने की टोपी पर बाएं केएएफओ फिट किया गया था। यह केएएफओ घुटने, टखने और पैर की नियंत्रित गति में सहायता करता है, जिससे पेल्विक संतुलन बनाये रखने और सीधे खड़े होने में मदद मिलती है। यह चलने के दौरान धड़ के पार्श्व झुकाव और रीढ़ की हड्डी के तनाव को कम करता है, उचित संरेखण सुनिश्चित करता है और एक कुशल एवं स्थिर चाल को बढ़ाता है।

(ख) श्री **शाहरूख शेख** के दाहिने पैर के ट्रांस फेमोरल का विच्छेदन हुआ है, जिसके लिए प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र (पीएमडीके), अहमदाबाद द्वारा 'ट्रांस फेमोरल प्रोस्थेसिस' (कृत्रिम अंग) सफलतापूर्वक लगाया गया। व्यापक चाल प्रशिक्षण और पुनर्वास के बाद, उन्हें आत्मविश्वास के साथ भेजा गया, जो उनकी आत्मनिर्भर गतिशीलता और सशक्त जीवन की दिशा में एक नया कदम है।

II. NIEPVD, देहरादून

(क) श्री सौरभ शर्मा, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाले और NIEPVD के मॉडल स्कूल के 2022 बैच के छात्र हैं। वे एक प्रेरक पैरा–एथलीट हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा–मॉडल स्कूल से, डी.एड. विशेष शिक्षा NIEPVD, देहरादून से और स्नातक एसओएल, दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरी की, और साथ ही पूरे समर्पण के साथ खेलों को जारी रखा। अपने माता–पिता के सहयोग और शुरुआत में कोच नरेश सिंह नयाल (NIEPVD) व वर्तमान में कोच नरेश शर्मा के मार्गदर्शन और प्रशिक्षण से, वह भारतीय खेल प्राधिकरण में अपना प्रशिक्षण जारी रखे हुए हैं और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने स्विट्ज़रलैंड, नई दिल्ली और ट्यूनीशिया में आयोजित कई राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैपियनशिप, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, आईबीएसए चैंपियनशिप और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है।

उनकी उपलब्धियों में शामिल हैं: **स्वर्ण पदक – वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, नॉटविल (5000 मीटर और 1500 मीटर); स्वर्ण पदक** – आईबीएसए **चैंपियनशिप (5000 मीटर); स्वर्ण पदक – 12वीं नेशनल जूनियर/सब–जूनियर पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप; स्वर्ण पदक – 22वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप (5000 मीटर); रजत और कांस्य पदक – खेलो इंडिया पैरा गेम्स (5000 मीटर और 1500 मीटर); रजत पदक – 23वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैपियनशिप, चेन्नई (5000 मीटर);**

राष्ट्रीय सड़क दौड़ में कई बार शीर्ष स्थान _ कांस्य पदक – 20वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैपियनशिप और रजत एवं कांस्य पदक – वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, नई दिल्ली (2025)। 5000 मीटर में 15:58 और 1500 मीटर में 4:26 के अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ, सौरभ शर्मा की NIEPVD में उनके प्रारंभिक प्रशिक्षण से लेकर अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता स्थलों तक की यात्रा दृढ़ता, आत्मविश्वास और समावेशी सशक्तिकरण की भावना का उदाहरण पेश करती है।

(ख) **कुमारी शांति बाई झरिया,** मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की रहने वाली एक साधारण परिवार से हैं। उन्होंने वर्ष 2025 में मॉडल स्कूल, NIEPVD, देहरादून से अपनी 12वीं कक्षा पूरी की, जहाँ उनकी खेल प्रतिभा की पहचान की गई और उसे निखारा गया। अपनी शिक्षा के साथ–साथ, उन्होंने असाधारण समर्पण और अनुशासन का प्रदर्शन करते हुए एक होनहार पैरा–एथलीट के रूप में अपनी पहचान बनाई।

उन्होंने प्रमुख आयोजनों में गर्व के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया है, **जिसमें 17वीं नेशनल जूनियर और सब–जूनियर पैरा एथलेटिक्स चैंपियन शिप (2024, बेंगलुरु) में रजत (1500 मीटर) और कांस्य (400 मीटर) पदक ज़ीता, जिसके बाद इसके 18वें संस्करण में स्वर्ण (1500 मीटर) और रजत (400 मीटर) पदक प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, शांति ने एशियन यूथ पैरा 2025 में 1500 मीटर और 400 मीटर स्पर्धाओं में दो रजत पदक ज़ीतकर देश का नाम रौशन किया।**

1500 मीटर में 5:14 मिनट के अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ, शांति की खेल यात्रा निरंतर प्रगति और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। वर्तमान में, वह भारतीय खेल प्राधिकरण में अपना प्रशिक्षण जारी रखे हुए हैं और नई उंचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत हैं। उनकी यात्रा दृढ़ता, लचीलेपन और सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अवसर की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक है।

III. SVNIRTAR, कटक

(क) निराशा से संभावनाओं तकः बीई मयोइलेट्रिक प्रोस्थेसिस के साथ उत्तम स्वैन की यात्रा

श्री उत्तम स्वैन केवल 24 वर्ष के थे जब फरवरी 2025 में एक दुखद फैक्ट्री दुर्घटना में कोहनी के नीचे से उनका दाहिना हाथ कट गया था। इसके बाद के महीनों में, उन्होंने अवसाद, अलगाव और दैनिक जीवन के सबसे सरल कार्यों को करने में असमर्थ होने की कठोर वास्तविकता के साथ संघर्ष किया। वे याद करते हुए कहते हैं, ''मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा जीवन वास्तव में शुरु होने से पहले ही समाप्त हो गया हो।''

अंग–विच्छेदन के सात महीने बाद, अर्जुन ने कृत्रिम अंग के लिए SVNIRTAR में रिपोर्ट किया था। वहां उनके पी एंड ओ विशेषज्ञ ने उन्हें 'बीई म्योइलेट्रिक प्रोस्थेसिस' से परिचित कराया। यह डीपीओ की म्योइलेट्रिक लैब द्वारा विकसित एक हल्का और सहज म्योइलेट्रिक अग्रभुजा है, जिसे विशेष रूप से भारतीय उपयोक्ताओं के लिए कार्यक्षमता, सामर्थ्य और टिकाऊपन के सही संतुलन के साथ डिजाइन किया गया है। पहली फिटिंग एक बड़े बदलाव की तरह थी। यह कृत्रिम अंग उच्च–संवेदनशीलता वाले म्योइलेट्रिक सेंसर का उपयोग करता है जो उत्तम के अवशेष अंग की सूक्ष्म मांसपेशियों के संकेतों को पकड़ लेता है। इसमें कोई हारनैस या कंधों में चुभने वाले पट्टे नहीं थे–बस एक चिकना कार्बन–फाईबर साकेट था जो उनके शरीर के विस्तार जैसा महसूस होता था। कुछ घंटों के प्रशिक्षण के भीतर ही, वे स्वतंत्र रूप से अपने जूते के फीते बांधना, बिना सहायता के चम्मच से खाना, फिर से साइकिल चलाना, सामान्य गति से लैपटॉप पर टाईप करना और अपनी 3 साल की बच्ची को बिना गिरने के डर के गोद में लेने जैसे कार्य करने में सक्षम हो गए। सबसे शक्तिशाली क्षण कृत्रिम अंग प्राप्त करने के एक सप्ताह बाद आया। उत्तम, जो पहले बाइक चलाते थे, उन्होंने अपनी बाइक फिर से चलाने का निर्णय लिया। इसके सटीक ग्रिप की मदद से, उन्होंने हैंडल पकड़ना, थ्रोटल घुमाना और फ्रंट ब्रेक दबाना फिर से सीखा। आज, वे अपनी पिछली कंपनी में आधिकारिक कार्य कर रहे हैं और न केवल उन्हें अपनी नौकरी वापस मिल गई है, बल्कि उनके परिवार के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है।

" लोग जब मुझे अपनी पत्नी और बेटी के साथ बाईंक चलाते हुए देखते हैं, तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि यह एक कृत्रिम हाथ है, उत्तम मुस्कुराते हुए कहते हैं। "म्योइलेट्रिक बीई प्रोस्थेसिस ने मुझे केवल एक हाथ नहीं दिया–इसने मुझे मेरा आत्मविश्वास, मेरी आत्मनिर्भरता और मेरे सपने वापस दिए हैं।"

IV. PDUNIPPD, नई दिल्ली

(क) फिजियोथेरेपी विभागः एक 37 वर्षीय महिला 19 नवंबर, 2025 को फिजियोथेरेपी विभाग में आईं, जिन्हें पिछले चार हफ्तों से गर्दन में गंभीर दर्द, चक्कर आना और वर्टिगो की समस्या थी। उन्हें सी5–सी6 स्तर पर 'माइल्ड सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स' का निदान किया गया था। वह दैनिक जीवन की गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से करने में असमर्थ थी और उन्हें अपनी स्कूटी चलाने में कठिनाई हो रही थी, जिससे उन्हें घरेलू जिम्मेदारियां निभाने में कठिनाई हो रही थी और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी। उन्हें दर्द से राहत, मांसपेशियों को आराम और सर्वाइकल संबंधी स्थिरता देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, एक व्यवस्थित और व्यक्तिगत फिजियोथेरेपी कार्यक्रम शुरु किया गया। 15 दिनों के भीतर उनमें उल्लेखनीय सुधार देखा गया। उनका दर्द धीरे–धीरे कम हो गया, गर्दन की गतिशीलता में सुधार हुआ और चक्कर आने के लक्षण एवं वर्टिगो की समस्या ठीक हो गई। उपचार पूरा होने पर, वह आत्मविश्वास के साथ फिर से स्कूटी चलाने में सक्षम हो गईं। उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी कार्यात्मक स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता को पुनः प्राप्त किया।

(ख) ऑक्यूपेशनल थेरेपी विभागः एक 32 वर्षीय पुरुष अक्टूबर 2025 में ऑक्यूपेशनल थेरेपी विभाग में आए। उन्हें स्ट्रोक हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप शरीर के बाएं हिस्से में कमजोरी, खराब संतुलन, समन्वय की कमी, डिप्लोपिया (डबल विजन), संवेदी कमी, एकतरफा उपेक्षा, ठीक से चलने में असमर्थता और दैनिक जीवन के कार्यों को करने में अक्षमता जैसी समस्याएं थीं। उनके लिए एक व्यापक पुनर्वास कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसमें बाएं हिस्से की ताकत बढ़ाने के लिए 'मोटर थेरेपी', स्थिरता और संतुलन सुधारने के लिए 'बैलेंस थेरेपी', दृष्टि दोष और डिप्लोपिया के लिए 'विजुओ–परसेप्चुअल थेरेपी', संवेदी धारणा में सुधार के लिए 'सेंसरी री–एजुकेशन' और कार्यात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए 'व्यावसायिक पुनर्वास प्रशिक्षण' शामिल था। 3 महीने के उपचार के बाद, उनके संतुलन और समन्वय में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया, और साथ ही, डिप्लोपिया काफी कम हो गया। उनमें चलने और दैनिक जीवन की गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से करने का आत्मविश्वास आया। ऑक्यूपेशनल थेरेपी और परामर्श की मदद से उन्होंने अपनी नौकरी सफलतापूर्वक फिर से शुरु कर दी है।

उपचार से पहले

उपचार के बाद

V. AYJNISHD, मुबंई

(क) मास्टर यशवंत को बहुत कम उम्र में दोनों कानों में गंभीर सेंसरी न्यूरल श्रवण ह्रास का निदान किया गया था, जिससे उनकी सुनने और बोलने की क्षमता काफी प्रभावित हुआ। दो साल की उम्र में, 18.07.2022 को, AYJNISHD (D) के माध्यम से एडिप योजना के तहत उनकी 'कॉक्लियर इंप्लांट' सर्जरी हुई। तब से, वह एडिप–सीआई योजना के तहत सूचीबद्ध केंद्र 'श्रव्य स्पीच एंड हियरिंग सेंटर' में 'ऑडिटरी–वरबल थेरेपी' सत्रों में नियमित रूप से भाग ले रहे हैं।

वर्तमान में, इंप्लांट के 2 साल और 8 महीने बाद, वह स्पष्ट रूप से वाक्यों में बोलने, सरल कहानियाँ सुनाने और कविताएँ गाने में सक्षम है। वह अच्छी शैक्षणिक तत्परता दर्शाते हैं और बुनियादी सामान्य ज्ञान की अवधारणाओं की मजबूत समझ प्रदर्शित करते हैं। वह आमतौर पर इसमेाल किए जाने वाले मौखिक आदेशों का पालन करते हैं, माता–पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ आत्मविश्वास से बात करते हैं, सवाल पूछते हैं और दूसरों के साथ बातचीत करने का सक्रिय प्रयास करते हैं।

उनके माता–पिता ने उनकी इस उल्लेखनीय प्रगति और परिवर्तन को देखकर बहुत संतोष और खुशी व्यक्त की है। AYJNISHD (D) टीम के समर्पण, समन्वित प्रयासों और पेशेवर विशेषज्ञता ने उनके विकास और संचार कौशल को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

(ख) श्री लक्ष्मीकांत काले का जन्म मुंबई में 15 दिसंबर 1976 को हुआ। वे एक असाधारण व्यक्ति हैं, जिन्होंने पेशेवर सफलता हासिल करने के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। 100% श्रवण बाधित होने के बावजूद, लक्ष्मीकांत ने भारतीय स्टेट बैंक में उप प्रबंधक के रूप में एक समृद्ध करियर बनाया है और वे अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं। लक्ष्मीकांत जन्म से ही वाक् और श्रवण बाधित थे, लेकिन उनके सहायक माता–पिता उन्हें हर संभव अवसर प्रदान करने के लिए दृढ़ थे। उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा मार्गदर्शन दिया गया, जिसके कारण उनका प्रवेश जुहू के 'श्रुति स्कूल फॉर द डैफ' में हुआ। बाद में, वे कलानगर, बांद्रा के एक नियमित स्कूल में चले गए, जहाँ उन्हें और अधिक सहयोग मिला। उन्होंने अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् और श्रवण दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, मुंबई से श्रवण यंत्र प्राप्त किया। वर्ष 1995 में अपनी एससीसी पूरी करने के बाद, लक्ष्मीकंत ने AYJNISHD(D), मुंबई से डेस्कटॉप पब्लिशिंग (DTP) में सर्टिफिकेट कोर्स किया। उन्होंने एसबीआई में नौकरी के लिए आवेदन किया, साक्षात्कार सफलतापूर्वक दिया और अप्रैल 2001 में सहायक (लिपिक) के रूप में नियुक्त हुए।

एसबीआई में, लक्ष्मीकांत के सहयोगियों ने उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और मई 2009 में अपना बी.कॉम पूरा किया। उनके समर्पण और कड़ी मेहनत को पहचान मिली और सितंबर 2013 में उन्हें सहायक प्रबंधक के रूप में पदोन्नति मिली, और जुलाई 2017 में वे उप प्रबंधक बन गए। आज, लक्ष्मीकंत अपने सहायक परविार के साथ रहते हैं, जिसमें उनकी माँ, पत्नी, कॉलेज जाने वाली दो बेटियाँ और स्कूल जाने वाला एक बेटा शामिल है। उनकी यात्रा उनके सामर्थ्य और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है।

VI. NILD, कोलकाता

(क) स्पीच थेरेपिस्ट और ऑडियोलोजिस्ट द्वारा मास्टर आकिल हुसैन गाज़ी के वाक् और भाषा विकास की सफलता की कहानी:

मास्टर आकिल हुसैन गाज़ी 2 वर्ष 1 माह उम्र का लड़का है, उसे 4 दिसंबर 2025 को वाक् और भाषा विकास में देरी की समस्या के कारण CDEIC विभाग लाया गया था। उनके माता–पिता ने बताया कि आकिल अपनी उम्र के अनुसार शब्दों का उपयोग नहीं कर रहा था और अपनी ज़रूरतों को मौखिक रूप से व्यक्त करने में कठिनाई महसूस कर रहा है, जिससे उसके समग्र संचार कौशल को लेकर चिंता बढ़ गई है।

CDEIC में विस्तृत विकासात्मक मूल्यांकन के बाद, आकिल में वाक् और भाषा विलंब का निदान किया गया। एक व्यवस्थित 'अर्ली इंटरवेशन प्लान' शुरु किया गया, जिसका मुख्य ध्यान खेल–आधारित स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी के माध्यम से उनके ग्रहणशील और अभिव्यंजक भाषा कौशल में सुधार करना था।

सत्रों के दौरान संयुक्त ध्यान, अनुकरण, ध्वनि उत्पादन, इशारों के उपयोग और शुरुआती शब्द निर्माण पर ज़ोर दिया गया। माता–पिता को सक्रिय रूप से शामिल किया गया और उन्हें घर पर रोज़मर्रा की गतिविधियों के माध्यम से बच्चे को प्रोत्साहित करने का मार्गदर्शन दिया गया।

नियमित थेरेपी सत्रों, निरंतर फॉलो–अप और माता–पिता की मजबूत भागीदारी के साथ, आकिल ने धीरे–धीरे लेकिन सार्थक प्रगति दिखाई। समय के साथ, उसने अपने नाम पर बेहतर प्रतिक्रिया देना, सरल आदेशों का पालन करना, बातचीत के दौरान नज़रें मिलाना और ध्वनियों के साथ इशारों का उपयोग करना शुरु कर दिया। धीरे–धीरे, उसने ध्वनियां देना और एकल शब्दों का प्रयास करना शुरु किया, जिससे संवाद करने की इच्छा में सुधार दिखा। उसकी एकाग्रता, सामाजिक मेल–जोल और संवाद के प्रति रुचि में महत्वपूर्ण सुधार हुआ।

आज, आकिल अपने प्रारंभिक दौरे की तुलना में अपने वाक् और भाषा कौशल में उल्लेखनीय सुधार प्रदर्शित करता है। उसकी यात्रा वाक् और भाषा विलंब के प्रबंधन में शीघ्र पहचान, समय पर हस्तक्षेप और पारिवारिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित करती है।

आकिल हुसैन गाज़ी की प्रगति CDEIC में शीघ्र हस्तक्षेप सेवाओं के लिए एक उत्साहजनक सफलता की कहानी है, जो समान चुनौतियों का सामना कर रहे परिवारों को आशा और विश्वास प्रदान करती है। यह इस बात की पुष्टि करती है कि शुरुआती थेरेपी एक बच्चे की विकासात्मक यात्रा में सार्थक बदलाव ला सकती है।

(ख) नैदानिक मनोवैज्ञानिक द्वारा सफलता की कहानीः एएसडी से पीड़ित बच्चे के व्यवहार में बदलाव और माता–पिता का प्रशिक्षण (ऐशानी पाल, 6 वर्ष/बालिका)

ऐशानी 6 वर्षीय बालिका है, जिसे 'मॉडरेट लेवल ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर' का निदान किया गया था। उसे व्यवहार संबंधी अत्यधिक समस्याओं के कारण CDEIC में भेजा गया था, जहाँ उसका व्यवहार हस्तक्षेप और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया गया। वह अक्सर अत्यधिक नखरे, आक्रमकता (दूसरों को मारना और चीजें फेंकना) दर्शाती थी, निर्देशों का पालन नहीं करना और एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि में बदलाव के दौरान उसे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। ये व्यवहार घर और स्कूल एवं CDEIC तीनों जगहों पर होते थे, जिससे उसके माता–पिता और शिक्षकों के लिए दैनिक दिनचर्या को संभालना बेहद चुनौति पूर्ण हो गया था।

मुख्य घटक के रूप में माता–पिता के लिए सक्रिय प्रशिक्षण सहित, एक व्यवस्थित व्यवहार बदलाव कार्यक्रम शुरु किया गया। प्रारंभ में ऐशानी के व्यवहार के कारणों और प्रेरकों की पहचान करने के लिए एक 'कार्यात्मक व्यवहार मूल्यांकन' किया गया। यह पाया गया कि उसके अधिकांश समस्यात्मक व्यवहार संवाद में कठिनाई, संवेदी अधिभार और मांगों से बचने से संबंधित थे।

माता–पिता को बुनियादी व्यवहारिक रणनीतियों में प्रशिक्षित किया गया जैसेः उचित व्यवहार के लिए सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उपयोग करना, निरंतर दिनचर्या और दृश्य शेड्यूल कार्यान्वित करना, ध्यान आकर्षित करने वाले छोटे व्यवहारों के लिए 'नियोजित उपेक्षा' अपनाना, स्पष्ट और सरल निर्देशों का उपयोग करना और चुनने का विकल्प देना, तथा काउंटडाउन और दृश्य संकेतों के साथ गतिविधियों में बदलाव को संभालना। माता–पिता ने भावनाओं के नियमन, व्यवहारिक प्रकरणों के दौरान शांत रहने और सभी परिस्थितियों में निरंतरता बनाए रखने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। सजा देने के बजाय, उन्होंने वांछित व्यवहारों को तुरंत और लगातार सुदृढ़ करना सीखा।

तीन महीने की अवधि में, महत्वपूर्ण सुधार देखे गए। नखरों की आवृत्ति और तीव्रता में 60% से अधिक कमी आई। आक्रमक व्यवहार लगभग समाप्त हो गया और ऐशानी ने अपनी ज़रूरतों को व्यक्त करने के लिए सरल शब्दों और इशारों का उपयोग करना शुरु कर दिया। उसने कपड़े पहनने, खाने और होमवर्क जैसे दैनिक कार्यों में बेहतर अनुपालन दिखाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता–पिता के आत्मविश्वास और मुकाबला करने की प्रक्रिया में सुधार हुआ है। माता–पिता ने तनाव में कमी और अपने बच्चे के व्यवहार को प्रबंधित करने में बढ़ते आत्मविश्वास की सूचना दी। वे चुनौतिपूर्ण स्थितियों को स्वतंत्र रूप से संभालने और घर पर प्रगति बनाए रखने के लिए सशक्त महसूस कर रहे हैं।

यह सफलता की कहानी इस बात को रेखांकित करती है कि व्यवस्थित अभिभावक प्रशिक्षण से संयुक्त व्यवहार में बदलाव, ASD (ओटिज्म स्पेक्ट्रम डिसओर्डर) से पीड़ित बच्चों में सार्थक सुधार ला सकता है और पारिवारिक कामकाज एवं जीवन की गुणवत्ता को काफी बढ़ा सकता है।

VII. NIEPMD, चेन्नई

(क) नाम – मास्टर वरुण, आयु – 7 वर्ष, लिंग – पुरुष

प्राथमिक निदानः 10 महीने की उम्र में 'इंफेंटाइल हेमिप्लेजिया' का पता चला। उसे अपना दाहिना हाथ इस्तेमाल करने में संघर्ष करना पड़ता था, साथ ही उसे संवेदी प्रसंस्करण संबंधी समस्याएं और व्यवहार संबंधी चुनौतियां थीं।

चुनौतियांः ऑक्यूपेशनल थेरेपी से पहले, वरुण को अपने दाहिने हाथ का उपयोग करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह अपने दाहिने हाथ से वस्तुओं को पकड़ने में असमर्थ था। उसे अतिसक्रियता और संवेदी प्रसंस्करण की समस्याएं थी। ऊंचाई पर चढ़ते समय वह डरता था और दैनिक गतिविधियों के लिए माता–पिता पर निर्भर था। व्यवहार संबंधी समस्याएं थी, जैसे आक्रमकता, कक्षा में ध्यान न देना, लेखन कौशल में समस्या, दूसरों को परेशान करना और अपनी बहन या दोस्तों के साथ न खेलना।

ऑक्यूपेशनल थेरेपी हस्तक्षेप : वरुण ने NIEPMD, चेन्नई में सप्ताह में दो बार ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्राप्त की। ऑक्यूपेशनल थेरेपी टीम के श्री गोकुल ने उसका मूल्यांकन किया, उसकी स्थिति और उपचार प्रक्रिया के बारे में सुझाव दिया। वरुण के दाहिने हाथ की कार्यक्षमता सुधारने के लिए सीआईएमटी पद्धति, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, बाई–मैनुअल थेरेपी, प्ले थेरेपी, समूह गतिविधियों और काइनेजियोटेपिंग का उपयोग करने का सुझाव दिया गया।

परिणाम: थेरेपिस्ट, इंटर्न और NIEPMD कॉलेज ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी के छात्रों के निरंतर टीम प्रयासों से, वरुण ने उल्लेखनीय सुधार दिखाया है:

- अपने दाहिने हाथ का उपयोग करके वस्तुओं को उठाने में सक्षम।
- दाहिने हाथ से गेंद को पकड़ और फेंक सकता है।
- काम करते समय दोनों हाथों का समान रूप से उपयोग करता है।
- संवेदी समस्याओं में कमी और भोजन के प्रति स्वीकृति में वृद्धि।
- वेस्टर्न कमोड के उपयोग के प्रति अनुकूलन और दैनिक दिनचर्या में अधिक स्वतंत्र बना।
- कक्षा में एकाग्रता में सुधार और बाएं हाथ से लेखन कौशल में प्रगति।
- व्यवहार संबंधी समस्याओं में कमी, सामाजिक मेल–जोल और खेल कौशल में वृद्धि।

(ख) नाम: मास्टर अश्विन, **आयु:** 13 वर्ष, **लिंग:** पुरुष

प्राथमिक निदान: सेरेब्रल पाल्सी

चिकित्सा इतिहास: मास्टर अश्विन का जन्म पूर्ण अवधि में कम वज़न के साथ हुआ था और उन्हें 2 दिनों के लिए एनआईसीयू में भर्ती किया गया था। बाद में उनमें 'सेरेब्रल पाल्सी' का निदान किया गया। जब बच्चे ने नवंबर 2023 में NIEPMD का दौरा किया, तो फिज़ियोथेरेपी विभाग में उसका मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन में पाया गया कि उसकी गर्दन और धड़ पर नियंत्रण बहुत कम था, चलते समय संतुलन खराब था, और शरीर की असामान्य गतिविधियों के साथ चाल अस्थिर थी। वह केवल हाथों का सहारा लेकर ही बैठ सकता था। मूल्यांकन के दौरान, उनका जीएमएफएम स्कोर 81 और जीएमएफसीएस लेवल 3 दर्ज़ किया गया था। उनका निम्नलिखित हस्तक्षेपों के साथ नियमित फिज़ियोथेरेपी उपचार किया गया:

- **न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी यूनिट**
- **संतुलन प्रशिक्षण**
- **चाल प्रशिक्षण**
- **वर्चुअल रियेलिटी बेस्ट थेरेपी**

उन्होंने न्यूरोडेवलपमेंटल थेरेपीयूनिट में फिज़ियोथेरेपी प्राप्त की, जहाँ मुख्य प्री–एम्ब्युलेटरी तकनीकी जैसे कि धड़ के नियंत्रण और चलने के दौरान संतुलन प्रशिक्षण पर दिया गया। इससे उनकी चलने की क्षमता में मामूली सुधार हुआ। 'गेट' ट्रेनिंग यूनिट में, उन्हें पैरेलल बार वॉकिंग, ट्रेड मिल ट्रेनिंग और सीढ़ियां चढ़ने जैसे गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने न्यूनतम सहायता के साथ चलने और एकतरफा सहारे के साथ सीढ़ियां चढ़ने में प्रगति की। इन उपचारों के बाद, उनके जीएमएफएम स्कोर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ और यह बढ़कर 90 हो गया तथा वह जीएमएफसीएस लेवल 2 हो गया।

VIII. CDEIC में सफलता की कहानी

एस.के. अब्दुल रहमान (2.6 वर्ष) को एक 'सिंड्रोमिक' बच्चे के रूप में पहचाना गया था। उनकी मुख्य समस्याएं स्वतंत्र रूप से बैठने और खड़े होने में असमर्थता, गर्दन पर बहुत कम नियंत्रण, बोलने में असमर्थता और समझने के स्तर में कमी थी। वह चिकित्सीय हस्तक्षेप के लिए CDEIC यूनिट, SVNIRTAR आया था। वह पिछले एक साल से CDEIC में उपचार ले रहा है। अब वह लेटी हुई स्थिति से स्वतंत्र रूप से बैठ सकता है, सहारे के साथ खड़े हो सकता है और वॉकर की मदद से चल सकता है। अब उसके समझने के स्तर में सुधार हुआ है और वह स्वतंत्र रूप से बैठकर पहेली सुलझाने जैसे गतिविधियां करने में सक्षम है।

*****

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
www.depwd.gov.in